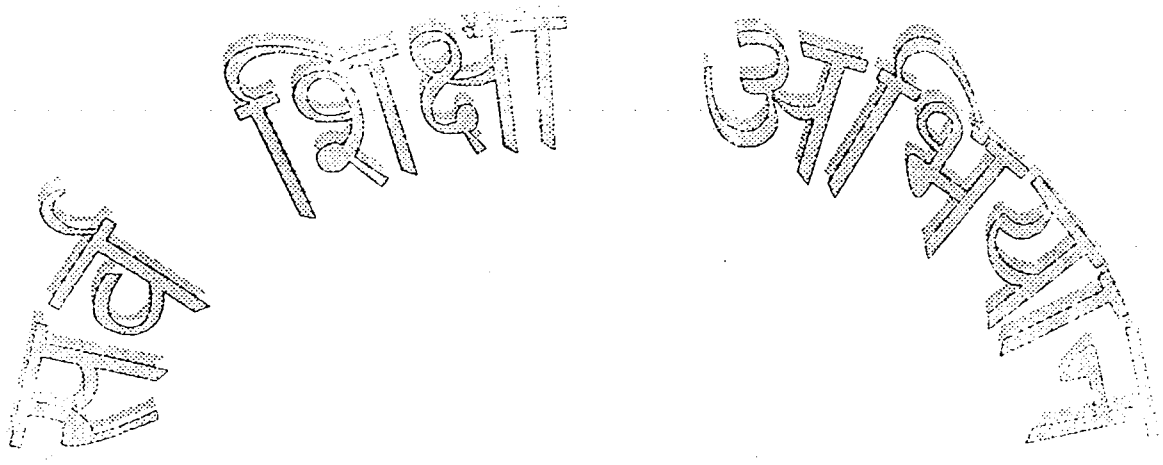

सर्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

(2002-2007)

जनपद - मथुरा

जनपद–मथुरा

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय
अध्याय-1	मथुरा जनपद एक दृष्टि में
अध्याय-2	जनपद का शैक्षिक परिदृश्य
अध्याय-3	नियोजना प्रक्रिया
अध्याय-4	सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य
अध्याय-5	समस्याऐं एवं रणनीति
अध्याय-6	शिक्षा की पहुँच का विस्तार (1)
अध्याय-7	शिक्षा की पहुँच का विस्तार (2)
अध्याय-8	ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम
अध्याय-9	गुणवत्ता संवर्धन
अध्याय-10	परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण
अध्याय-11	परियोजना लागत व बजट
अध्याय-12	मुख्य-मुख्य क्षेत्रों में वर्षवार एवं प्रतिशतवार प्रस्तावित धनराशित का विवरण
अध्याय-13	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2002-03

अध्याय – 1

"मथुरा जनपद एक दृष्टि में"

परिचय :

आगरा मण्डल में स्थित जनपद मथुरा श्रीकृष्ण की जन्मस्थली है। इस जनपद में भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता प्रचुर मात्रा में फैली हुई है। स्थानीय लोग वृजवासी के नाम से पहिचाने जाते हैं। वृजक्षेत्र चौरसी कोस में फैला हुआ है। यहां के लोग राधा और कृष्ण के उपासक हैं।

इस जनपद में आई.ओ.सी. (इन्डियन ऑयल कार्पोरेशन) की एक तेलशोधक रिफाइनरी भी स्थापित है। एक तरफ मथुरा शहर भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, दूसरी तरफ तेलशोधक रिफाइनरी विश्व–विश्ख्यात आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। राधा के जन्मस्थान 'बरसाना' में स्थानीय महिलाओं द्वारा लाठी बरसा कर "लठामार होली" का प्रदर्शन बड़े प्रेम भाव से किया जाता है। वृजवासी लोग बृज संस्कृति की रक्षा हेतु स्थानीय त्यौहारों को बड़ी ही एकता व उत्साहपूर्वक मनाते हैं। यहां के प्रसिद्ध त्यौहार श्री कृष्ण जन्माष्टमी गोवर्धन पूजा, बल्देव छट, मुड़िया पूर्णिमा, रंगीली होली बड़े प्रेम पूर्वक मनाये जाते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा सप्त कोसीय लगाना अति महत्वपूर्ण है।

जनपद मथुरा उत्तर प्रदेश के पश्चिम में यमुना–नदी के किनारे स्थित है। जनपद का कुल क्षेत्रफल 3३615 वर्ग किलोमीटर है। यहां की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है।

प्रशासनिक संरचना :–

जनपद मथुरा में तीन तहसीलें, दस विकास खण्ड निवासी न्याय पंचायतें तथा, सात सौ सत्रह ग्राम पंचायतें हैं । तालिका द्वारा विवरण निम्न प्रकार दर्शाया गया है –

तालिका

प्रशासनिक – इकाइयाँ

क्र0 सं0	श्रेणी	संख्या
1	परगना / तहसील	03
2	विकास खण्ड	10
3	न्याय पंचायतें	89
4	नगर पालिका परिषदें	03
5	नगर पंचायतें	19
6	ग्राम पंचायतें	478
7	ग्राम	737
(i)	आवाद ग्राम/बस्तियाँ	1585
(ii)	गैर आवाद ग्राम	152
8	थाने (पुलिस स्टेशन)	20

श्रोत :– जनपदीय सांख्यिकी – हस्तपुस्तिका मथुरा ।

जनसंख्या :– वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार मथुरा जनपद की सम्पूर्ण जनसंख्या 1677330 मथुरा जिसमें 923320 पुरूष तथा 754010 स्त्री हैं । सम्पूर्ण जन संख्या में अनुसूचित–जाति की पूर्ण संख्या 334683 है ।

जनसंख्या की घनत्व 514 प्रति वर्ग किलो–मीटर है । पुरुष और महिला संख्या का अनुपात 55.56:44.44 है । विकास खण्डवार जन संख्या निम्नांकित सारिणी द्वारा दर्शाया गयी है :--

SETTLEMENT PATTERN

जनपद में कुल 737 ग्राम हैं जिनमें से 1000 से कम आबादी वाले 283 ग्राम व 2000 से 4999 तक आबादी में कुल 414 ग्राम हैं । 5000 से अधिक आबादी वाले मात्र 40 ग्राम ही विस्तृत विवरण निम्न तालिका से दर्शाया गया है ।

TABLE 1/3

SETTLEMENT PATTERN

क्र.सं0	विवरण	500 से कम आबादी	500 से 999 तक	1000 से 1999 तक	1500 से 1999 तक	2000 से 4999 तक	5000 तथा उससे ऊपर तक
1	ग्रामों की संख्या	118	165	140	99	175	40
2	योग का प्रतिशत	16.01	22.3	18.9	13.4	23.7	5.4

उपरोक्त सारणी से यह पता चलता है 1000 से कम आबादी वाले ग्रामों का प्रतिशत 38.31 है तथा 5000 से अधिक आबादी वाले ग्राम का प्रतिशत 5.4% है ।

अर्थ–व्यवस्था :–

जनपद मथुरा में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है । जिसमें 45.3 प्रतिशत लोग भूमि-कर्षण कार्य में रत हैं तथा 19 प्रतिशत व्यक्ति कृषि क्षेत्र में मजदूरी करते है । इसके अतिरिक्त 23 प्रतिशत व्यक्ति अपने निजी व्यवसायों में लगे हुए हैं । शेष व्यक्ति सरकारी सेवाओं में लगे हैं । यहाँ 537361 लोग हैं जो विभिन्न सेवाओं में लगे हुए हैं ।

क्र0 सं0	विवरण	प्रतिशत
1	किसान	45.3%
2	कृषि मजदूर	19.0%
3	निजी उद्योगों में व्यवसाय	2.3%
4	अन्य	33.4%

स्रोत – जनपदीय सांख्यिकीय हस्तपुस्तिका 1997

आवागमन के साधन –

मथुरा जनपद रेल एवं सड़क की सुविधाओं से युक्त है । राष्ट्रीय मार्ग सं. 2 फरह, छाता, चौमुहाँ होता हुआ गुजरता है । सम्पूर्ण सड़क की लम्बाई 63 कि0मी. है । राज्य मार्ग भी मुख्य सड़कों से जुड़े हुए हैं । कुल लम्बाई 61 कि0मी0 है मथुरा से भरतपुर रोड 40 कि0मी0 लम्बा है जो कि राजस्थान प्रदेश में जुड़ता है । जनपद की मुख्य सड़कें जो विभिन्न मार्गों से जुड़े हैं की लम्बाई 209 कि.मी. है ।

सारिणी 1/5

जनपद में सुविधायें

क्र0 सं0	विवरण	संख्या
1	रेलवे स्टेशन	17
2	बस स्टेशन	109
3	टेलीफोन	8197
4	डाकघर	201
5	तारघर	19
6	राष्ट्रीयकृत बैंक	127
7	ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में विद्युतीकरण	733
8	पेयजल की सुविधायें	
	(अ) नलकूप	166
	(ब) हैण्डपम्प	123

अध्याय – 2

जनपद का शैक्षिक –परिदृश्य

परिचय –

यह बड़ा दुर्भाग्य है कि देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हुए 54 वर्षों के उपरान्त भी देश में प्रा0 शिक्षा का सार्वभौमीकरण नहीं हो पाया है । उत्तर प्रदेश में शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जिनमें अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम आँगन बाड़ी केन्द्र तथा सम्पूर्ण साक्षरता केन्द्र प्रमुख है, किन्तु इसके बावजूद भी प्राथमिक विद्यालयों में शतप्रतिशत नामांकन तथा शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है ।

जनपद में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । 6 से 11 वर्ष की आयु की 50 प्रतिशत से भी अधिक बालिकायें विद्यालय नहीं जाती है । मथुरा जनपद बालिका–शिक्षा के क्षेत्र में अधिक पिछड़ा हुआ है जब कि उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में कन्याओं की शिक्षा की स्थिति यहाँ से ठीक है मथुरा जनपद की साक्षरता की प्रतिशत 47.3 प्रतिशत है जो इटावा है ।

शैक्षिक संस्थायें –

जनपद में 1111 प्राथमिक विद्यालय हैं, 316 पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, 116 हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज स्थापित किये गये थे । यहाँ पर 10 औद्योगिक (Professional) विद्यालय तथा 10 डिग्री कालेज हैं ।

शिक्षण – संस्थाओं को निम्नसारिणी द्वारा भी समझा जा सकता है –

सारिणी – 2/14

शिक्षण – संस्थाओं की स्थिति

क्र0 सं0	विवरण	शिक्षण संस्थाओं की संख्या			
		वर्ष 99–2000	2000–01	2001–02	2002–03
1.	प्राथमिक विद्यालय	1022	1044	1069	1111
2.	जूनियर हाईस्कूल क. परिषदीय	–	–	–	311
	ख. राजकीय	–	–	–	05
	ग. मान्यता प्राप्त वित्त पोषित हाईस्कूल/इण्टर कालेज से सम्बन्ध	–	–	–	93
	घ. परिषदीय मान्यता प्राप्त वित्त पोषित	–	–	–	23
	योग (क+ख+ग+घ)	–	–	–	432
3.	उद्योग परक/व्यावसायिक विद्यालय.	–	07	10	10
4.	डिग्री कालेज	–	–	10	10

सारिणी संख्या 2/4

-: जनपद के विद्यालयों – सम्बन्धी सूचनाऐं :-

क्र0सं0	संस्था का नाम	परिषदीय राजकीय	मान्यता प्राप्त	योग
1.	प्राथमिक विद्यालय	1111	556	1667
2	पूर्व माध्यमिक विद्यालय	316	116	432
3 4.	हाई स्कूल एव इन्टरमीडिएट कालेज	23	93	116
5	डिग्री कालेज (गर्ल्स)	02	–	02
6.	डिग्री कालेज (बॉयज)	08	–	08
7	व्यावसायिक शिक्षण संस्थायें	10	–	10
8	प्राविधिक संस्थायें	01	–	01
9.	शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थायें	01		01
10	जवाहर नवोदय विद्यालय	01		01
11	केन्द्रीय विद्यालय	03	–	03
12.	पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान	01	–	01
13.	विद्या केन्द्र	–	–	20
14	मकतब	–	–	20
14A	ऑगन बाडी केन्द्र	262	–	262
14B	ई०सी०सी०ई० केन्द्र	–	–	80
15.	केन्द्रीय बकरी एवं भेड़ शोध केन्द्र	01	–	01
16	सैनिक स्कूल	01	–	01
17.	बी0एड0/एल0टी0 ट्रेनिंग कालेज	03	–	03
18	इन्जीनियरिंग कालेज	03	–	03
19	संस्कृत कालेज	04	–	04

सारिणी संख्या – बी0 एस0 ए0 – 1998

विद्यालय – भवन एवं सुविधायें

क्र0सं0	विवरण	संख्या	
		प्राथमिक	पूर्व मा0 वि0
1	भवन हीन विद्यालय	शून्य	शून्य
2	एक कमरे वाले विद्यालय	52	–
3	दो कमरे वाले किन्तु भीड युक्त विद्यालय	784	–
4	शौचालय रहित विद्यालय	797	40
5	पेयजल की सुविधा रहित विद्यालय	35	25
6	जर्जर विद्यालय	33	20
7	चहार दीवारी रहित विद्यालय	743	95
8	मरम्मत तलब विद्यालय	35	23

स्रोत – बी0एस0ए0 – 2003

नगर क्षेत्र मथुरा, वृन्दावन तथा कोसी कलाँ में संचालित एवं कार्यान्वित विद्यालयों की स्थिति निम्न सारिणी में दर्शायी हैं ।

सारिणी – 2/6

–: नगर क्षेत्र की विद्यालयों के भवनों की स्थिति :–

क्र0सं0	विवरण	मथुरा	वृन्दावन	कोसी कलाँ
1	भवन हीन विद्यालय	–		–
2	मरम्मत तलब विद्यालय	18	02	04
3	किराये के भवन में विद्यालय	41	07	01

अरोवित क्षेत्र तथा विद्यालय जहाँ मौलिक सुविधायें उपलब्ध नहीं है.

विवरण

सारिणी संख्या 2/7

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1किमी. से कम दूरी पर विद्यालय	1किमी. से अधिक किन्तु 1.5 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी. से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्धता	प्रस्तावित प्राथमिक/ E.G.S
ऐसी बस्ती की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	1007	193	24	24
ऐसी बस्ती की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है ।	147	116	31	31

स्रोत - विभागीय आंकड़े कुल ग्राम/बस्तियां 1587

परिषदीय तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1 किमी0 से कम दूरी पर उच्च प्रा0 विद्यालय	1किमी0 से अधिक दूरी पर उच्च प्राथमि0 उपलब्ध	मानक के अनुसार आवश्यक उच्च प्रा0 विद्या0/ATE
ऐसी बस्ती की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक	367	130	111
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है ।	807	64	45

स्रोत - विभागीय आंकड़े कुल ग्राम/बस्तियां0

सारिणी संख्या – 2/8

DETAILS OF DROPOUT FOR THE DISTRICH

वर्ष	कक्षा - I	कक्षा - II	कक्षा - III	कक्षा - IV	कक्षा - V
98-99	योग 56994 बालक 34424 बालिका 22570				
99-2000		योग 49041 बालक 29252 बालिका 19762			
2000-01			योग 44210 बालक 26434 बालिका 17782		
2001-02				योग 40532 बालक 24908 बालिका 15624	
2002-03					योग 38676 बालक 22928 बालिका 15747

सारणी संख्या-2-9

सम्पूर्ण नामांकन अनुपात

(GROSS ENROLMENT RATIO)

(05-7-2003)

आयु वर्ग	कुल बच्चों की सं.			नामांकित छात्रों की सं०			जी०ई०आर०		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6 से 11 वय वर्ग	201989	167008	368997	193297	157123	350420	95·6	94·08	94.9
11 से 14 वय वर्ग	79763	58200	137963	75339	53265	128604	94·5	91·5	93.2

प्राथमिक शिक्षा का प्रशासनिक संगठन

(Administrative Setup for Primary Education)

जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुशासित तथा निरीक्षित की जाती है जिनकी सहायता के लिए दो उप-बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यरत है। उपबेसिक शिक्षा अधिकारी के कर्तव्य तहलीलवार वितरित है। जनपद में दस सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी भी प्रत्येक ब्लाक स्तर पर सेवारत है तथा उनके साथ तीन प्रति विद्यालय निरीक्षक कार्यरत है।

नगर क्षेत्रों के लिए तीनों नगर शिक्षा अधिकारी (शिक्षा अधीक्षक) है जो कि अपनी ड्यूटी मथुरा, वृन्दावन तथा कोसी कलां नगर क्षेत्रों में देते है। उपबेसिक शिक्षा अधिकारी अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम को देख रहे है। ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन समन्वयक है जिनके निर्भंत्रण में प्राथमिक तथा जूनियर हाई स्कूलों की कार्यवाही चल रही है। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित ब्लाक में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मासिक वेतन के आहरण वितरण अधिकारी की हैसियत से कार्यरत है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा का कार्यालय किराये के भवन में चल रहा है जो अत्यधिक जीर्ण तथा प्राचीन है। यहां शौचालय तथा पेयजल सुविधा का अभाव है।

प्राथमिक शिक्षा का अन्य कार्यक्रमों से सम्बन्ध :

शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए अन्य संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना परम आवश्यक है। विभिन्न कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त विवरणी नीचे दी जाती है–

जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान (डायट) यह संस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 2(दिल्ली-आगरा रोड) पर रिफायनरी टाउनशिप, बाद (मथुरा) नगरी से लगभग दस किलो मीटर दूर है जिसकी दो मंजिला इमारत है। यह भवन नवनिर्मित है । इस डायट संस्थान की सात शाखायें हैं –

तालिका 2/10 "डायट का स्टाफ"

क्र0सं0	पद	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	प्रधानाचार्य/ प्राचार्य	01	01	--
2.	उप–प्राचार्य	01	01	--
3.	वरिष्ठ प्रवक्ता	06	01	05
4.	प्रवक्ता	17	07	10
5.	कार्यानुभवी अध्यापक	01	01	--
6.	सांख्यकीकार	01	01	--
7.	प्राविधिक सहायक	01	01	--
8.	कार्यालय अधीक्षक	01	01	--
9.	लेखाकार	01	--	01
10.	आशु लिपिक	01	--	01
11.	लिपिक	09	09	--
12.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	05	05	--

स्रोत – डायट, मांट– मथुरा

अध्यापकों के स्वीकृत पद तथा कार्यरत अध्यापक

सारणी

प्राथमिक विद्यालय

अध्यापक श्रेणी	स्वीकृत पद	कुल अध्यापक/अध्यापिका संख्या		
		पुरूष	महिला	योग
प्रधान अध्यापक	822	491	331	822
सहायक अध्यापक	2045	1483	562	2045
योग	2867	1974	893	2867
नगर क्षेत्र प्र0 अध्यापक	51	27	24	51
सहायक अध्यापक	407	336	71	407

परिवार सर्वेक्षण –संकलन प्रपत्र –सार वर्ष –2003–04

जनपद– मथुरा ।

जाति	कुल बच्चों की संख्या				स्कूल जाने वाले बच्चे				स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या						विकलांग बच्चों की संख्या			
	बालक		बालिका		बालक		बालिका		बालक			बालिका			बालक		बालिका	
	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	5+से 6+	7से 10+	11से14	5+से 6+	7से 10+	11से14	6–11	11–14	6–11	11–14
सामान्य	65369	29000	55100	22447	62945	27598	52087	20627	7532	1322	1399	6306	1455	1814	463	243	305	128
अ.जा.	53927	19744	43104	13729	51686	18678	40063	12609	6357	1217	1055	4531	1601	1114	488	217	281	134
अ.ज.जा.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पि.जाति	62962	24586	53121	17082	61157	23391	50652	15822	8030	1084	1193	6407	1214	1256	505	218	315	156
अल्पसंख्यक	19731	6433	15683	4942	17509	5672	14321	4207	3523	756	658	1900	568	735	218	73	93	41
योग	201989	79763	167008	58200	193297	75339	157123	53265	25442	4379	4305	19142	4838	4919	1674	751	994	459

*विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

कारण	5+से 6+		7से 10+		11से14	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.अपने घर के कामों में लगे रहना	–	–	2123	1217	3015	834
2. मजदूरी में लगे रहना	–	–	–	–	–	–
3. माई बहनों की देखभाल	–	–	780	3142	463	3198
4.विद्यालय दूर होने के कारण	1047	928	246	169	259	198
5. अन्य	24395	18214	1230	310	568	689

*विकलांग बच्चों के कारण

कारण	बालक		बालिका	
	6–11	11–14	6–11	11–14
1.दृष्टि	769	189	479	174
2. सुनना	297	97	62	88
3.बोलना	348	56	56	37
4.अधिगम अक्षमता	–	78	–	62
5.मानसिक मंदता	–	–	–	–
6.शारीरिक अक्षमता	260	124	215	79
7.अन्य	–	207	182	19

*विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले/विकलांग बच्चों की संख्या भरी जायेगी ।

विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी
मथुरा ।

भौतिक सुविधाओं की माँग

सारिणी – 2.14

क्र0 सं0	मद	प्राथमिक स्तर				उच्च प्राथमिक स्तर				
		कमी	वित्त स्वीकृत		मॉग प्रावि. धानित	कमी	वित्त स्वीकृत			मॉग प्रावि. धानित
			डी0पी0 ई0पी0	एस0 एस0 ए0			1	2	3	
1.	नवीन विद्यालय	101	56	24	21	156	–	111	02	15
2.	विद्यालय पुनःनिर्माण	33	–	–	33	20	–	–	–	20
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	794	–	–	794	364	–	–	–	364
4.	मरम्मत/लघु योग्य विद्यालय	35	–	–	35	23	–	–	–	23
5.	दीर्ध मरम्मत योग्य विद्यालय	0	–	–	0	0	–	–	–	0
6.	पेयजल सुविधा	35	–	–	35	15	–	–	–	15
7.	शौचालय	507	–	–	507	40	–	–	–	40

स्त्रोत – ऑकड़े वी0 एस0 ए0 कार्यालय

1. डी0पी0ई0पी0
2. एस0एस0ए0
3. जिला योजना

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें (परिषदीय विद्यालय 01.7.2003 की स्थिति)

(प्राथमिक स्तर)

क्र.सं.	प्रा0 विद्यालय भवनहीन/जर्जर पुरनिर्माण	ग्रामीण	नगर	योग
1.	प्रा0 विद्यालय भवनहीन/जर्जर पुर्ननिर्माण	33	–	33
2.	एक कक्षीय विद्यालयों की सं.	52	–	52
	दो कक्षीय विद्यालयों की सं.	784	–	784
	तीन कक्षीय विद्यालयों की सं.	114	65	179
	चार कक्षीय विद्यालयों की सं.	29	21	50
	पांच कक्षीय तथा पांच कक्ष से अधिक विद्यालयों की सं.	08	14	22
	योग	987	48	1087
3.	मरम्मत योग्य विद्यालय लघु मरम्मत	35	–	35
	मरम्मत योग्य विद्यालय वृहद मरम्मत	शून्य	–	शून्य
4.	शोचालय विहीन विद्यालय	38	12	50
5.	हैण्ड, पंप विहीन विद्यालय	35	–	35
6.	चहारदीवारी रहित विद्यालय	554	189	743

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें (परिषदीय विद्यालय 01.7.2003 की स्थिति)

(उच्च प्राथमिक स्तर)

क्र.सं.	उच्च प्रा0 विद्यालय भवनहीन/जर्जर पुरनिर्माण	ग्रामीण	नगर	योग
1.	लघु मरम्मत योग्य	23	15	38
2.	वृहद मरम्मत योग्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	एक कक्षीय विद्यालयों की सं.	04	-	04
	दो कक्षीय विद्यालयों की सं.	07	01	08
	तीन कक्षीय विद्यालयों की सं.	46	-	46
	चार कक्षीय विद्यालयों की सं.	211	05	211
	पांच कक्षीय तथा पांच कक्ष से अधिक विद्यालयों की सं.	42	05	47
	योग	310	06	316
4.	शोचालय विहीन विद्यालय	40	—	40
5.	हैण्ड, पंप विहीन विद्यालय	25	-	25
6.	चहारदीवारी रहित विद्यालय	92	03	95

सारणी 2/11

–: विकास खण्ड वार विद्यालयों का विवरण:–

क्र0 सं0	खण्ड विकास का नाम	प्राथमिक विद्यालय		परिषदीय उच्च प्रा0		पूर्व माध्यमिक विद्यालय			
		परिषदीय मान्यता प्राप्त		वा0	बालि0	मान्यता प्राप्त बालक	कन्या	राजकीय बालक	कन्या
1.	मथुरा	99	47	9	4	12	–	01	–
2.	फरह	85	33	07	02	11	01	–	–
3.	गोवर्धन	94	49	17	3	16	3	01	–
4.	छाता	96	40	26	05	10	--	–	–
5.	चौमुहाँ	79	21	17	03	07	01	–	–
6.	नन्दगांव	70	26	15	–	08	–	–	–
7.	गांट	100	12	10	02	03	–	–	–
8.	राया	102	53	12	06	12	–	–	–
9.	नौहझील	112	22	20	02	07	–	–	–
10.	बल्देव	103	45	15	01	11	–	–	01
योग		945	348	148	28	97	05	02	01
12.	नगर क्षेत्र– मथुरा	76	160	01	01	24	01	01	01
2.	नगर क्षेत्र–वृन्दावन	15	26	–	01	13	--	–	01
3.	नगर क्षेत्रकोसीकला	08	22	–	–	05	–	–	–
योग		99	208	01	02	45	–	–	02
	महायोग	1111	556	280	30	110	06	03	03

ई0एम0 आई0 एस0 प्रकोष्ठः

जनपद में समस्त परिषदीय ग्रामीण नि0 क्षेत्र तथा मान्यता प्राप्त प्रा0 विद्यालयों के शैक्षिक समस्याओं के निराकरण करने तथा क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप नियोजन के उद्देश्य हेतु ई0एम0आई0 प्रकोष्ठ की स्थापना डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत की गयी है। इस प्रकोष्ठ से वर्ष 2000-01 में जनपद के प्रत्येक परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त प्रा0 विद्यालयों से विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र भराये गये जिसका विश्लेषण कर विभिन्न प्रकार के इन्डीकेटर निकाले गये हैं। जिससे जनपद की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट निर्माण करने में मदद ली गई।

ई0एम0आई0 एस0 प्रकोष्ठ से प्राप्त इन्डीकेटरों के माध्यम से जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में उनकी समस्या एवं आवश्यकता अनुरूप कार्य योजना बनाकर शिक्षा के सार्व व्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हो रहा है। उपरोक्त प्रकोष्ठ की उपादेयता को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी ई0एम0आई0एस0 प्रकोष्ठ की स्थापना का प्रावधान किया गया है

प्रकोष्ठ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स अध्याय-2 में संलग्न है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट सूचांक

जनपद-मथुरा

1997 से 2000 तक परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन-मथुरा

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1999-2000	107040	34885	141925	75.4	24.6	100
2000-2001	107730	36835	144565	74.5	25.5	100
2001-2002	105475	41018	146493	72.0	28.0	100

स्रोत: विभागीय आंकड़े

परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं वृद्धि-मथुरा

वर्ष	कक्षा-6	कक्षा-7	कक्षा-8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1999-2000	50606	47318	44001	141925	
2000-2001	51735	49947	42883	144565	1.8
2001-2002	52429	50591	43473	146493	1.3

स्रोत: विभागीय आंकड़े

उक्त सारणी में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षावार नामांकन दर्शाया गया है जिसके विश्लेषण उपरान्त ज्ञात हुआ है कि 2000-2001 एवं 2001-2002 में क्रमशः 1.8 प्रतिशत एवं 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

परिषदीय विद्यालयों का ट्रांजिसन दर कक्षा 5 से कक्षा 6 तक

वर्ष	कक्षा-5	कक्षा-6	ट्रांजिसन दर
1999-2000	44626	18205	40.8
2000-2001	51036	27310	53.5
2001-2002	58446	29230	50.0

किसी भी प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम में यह अतिआवश्यक है कि कितने बच्चे एक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर दूसरे स्तर की शिक्षा में नामांकन होते हैं अतः जनपद मथुरा के परिषदीय विद्यालयों का ट्रांजेशन दर (अर्थात कक्षा 5 से कक्षा 6 में नामांकित होने वाले बच्चें) उक्त सारणी में ज्ञात किया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 1999 से 2001 के बीच 9.2 प्रतिशत की ट्रांजेशन दर में वृद्धि है। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि मात्र प्राथमिक स्तर के लगभग 50 प्रतिशत बच्चें उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकित हो पाते है।

अध्याय – 3

नियोजन प्रक्रिया (Planning Process)

2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान की जा सके, यही सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। यह अभियान समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा को जन–जन तक पहुंचाने सम्बन्धी चिर अभिलषित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है।

सर्वशिक्षा अभियान में स्त्री–पुरुष को समान मानते हुए सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। स्कूल–पद्धति से कार्य–निष्पादन में सुधार लाने तथा समतामूलक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में यह एक प्रतिशील प्रयास है।

इस अभियान के माध्यम से सभी प्रयासों में एक सूत्रता लाने की परिकल्पना की गई है। ऐसी कोशिशें की जायेंगी जिनसे सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु स्कूल–स्तर से निचले स्तर तक कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके। पंचायती राज संस्थाओं, निर्धारित क्षेत्रों में जनजातीय परिषदों जिनमें ग्राम–पंचायतें भी शामिल हैं की स्वीकृति प्रदान करने केअलावा राज्यों को भी प्रेरित करना होगा कि वे शिक्षकों, स्वयं सेवकों, कलाकारों, महिला संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों आदि को सम्मिलित करें और अपने क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का विस्तार करें।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम्य शिक्षा योजना

सूक्ष्म नियोजन को उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना में अत्याधिक महत्व प्रदान किये जाने का उद्देश्य यह था कि प्रत्येक ग्राम तथा बस्ती के प्रत्येक परिवार के 6–11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाये।

नियोजन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जिला स्तर तथा उप जिला–स्तर पर भी विभिन्न कार्यशालायें संगठित की गईं। विकास खण्ड स्तर तथा ग्राम्य स्तर पर भी विशेष सामूहिक परिचर्चायें की गईं। इलाहाबाद में तीन दिवसीय प्रशिक्षण द्वारा कोर टीम को प्रशिक्षित किया

गया और यह बताया गया कि किस प्रकार जिला पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया जायेगा और क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

इससे प्राथमिक शिक्षा तथा सम्बन्धित सेवाओं के बीच सम्बन्ध निर्धारित होता है। इससे डी0पी0ई0पी0 सूक्ष्म नियोजन पर अधिक जोर देती है जिससे कि समुदाय प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध उत्तरदायित्व स्वीकार करता है और यह जानता है कि सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुविधायें प्रदान कर रही है। इस प्रकार जिला स्तर तथा उप जिला स्तर पर सूक्ष्म नियोजन का कार्य किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बाद द्वारा साथ ही साथ बेस लाइन अध्ययन भी संचालित किया गया।

Planning Team

इसी दौरान एक दूसरी प्लानिंग टीम गठित की गई जो प्लान तैयार करने का कार्य कर सके। इस टीम में बी0एस0ए0, डिप्टी बी0एस0ए0, ए0बी0एस0ए0 जिला समन्वयक तथा और प्राचार्य, डायट सम्मिलत हैं।

Organisation of Workship & Interactions

जिला स्तर, विकास खण्ड स्तर तथा ग्राम्य स्तर पर मीटिंगें तथा कार्यशालायें आयोजित की गईं जिनमें सभी सम्बन्धित व्यक्तियों ने भाग लिया। प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित कठिनाइयों तथा समस्याओं का निराकरण करने हेतु विचार विमर्श हुए ताकि डी0पी0ई0पी0 के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

मुस्लिम तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं के बीच भी सामूहिक तर्क वितर्क के द्वारा चर्चा की गई। ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0, बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 द्वारा खुली मीटिंगों में योजना की जानकारी तथा लाभ बताए गये। यह भी जानकारी ली गई कि 6–11 वर्ष के बच्चों की संख्या क्या है ? विद्यालय न जाने वालो बच्चों की संख्या क्या है? यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं ? क्या गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय के जीवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन प्राप्त हैं ? क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं आदि आदि।

सूक्ष्म नियोजक द्वारा निम्न कार्य ग्राम वासियों की सहायता से किये गये –

1. परिवार सर्वेक्षण

परिवार सर्वेक्षण –संकलन प्रपत्र –सार वर्ष –2003–04

जनपद– मथुरा ।

जाति	कुल बच्चों की संख्या				स्कूल जाने वाले बच्चे				स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या						विकलांग बच्चों की संख्या			
	बालक		बालिका		बालक		बालिका		बालक			बालिका			बालक		बालिका	
	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	6–11	11–14	5+से 6+	7से 10+	11से14	5+से 6+	7से 10+	11से14	6–11	11–14	6–11	11–14
सामान्य	65369	29000	55100	22447	62945	27598	52087	20627	7532	1322	1399	6306	1455	1814	463	243	305	128
अ.जा.	53927	19744	43104	13729	51686	18678	40063	12609	6357	1217	1055	4531	1601	1114	488	217	281	134
अ.ज.जा.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पि.जाति	62962	24586	53121	17082	61157	23391	50652	15822	8030	1084	1193	6407	1214	1256	505	218	315	156
अल्पसंख्यक	19731	6433	15683	4942	17509	5672	14321	4207	3523	756	658	1900	568	735	218	73	93	41
योग	201989	79763	167008	58200	193297	75339	157123	53265	25442	4379	4305	19142	4838	4919	1674	751	994	459

*विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण

कारण	5+से 6+		7से 10+		11से14	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.अपने घर के कामों में लगे रहना	–	–	2123	1217	3015	834
2. मजदूरी में लगे रहना	–	–	–	–	–	–
3. भाई बहनों की देखभाल	–	–	780	3142	463	3198
4.विद्यालय दूर होने के कारण	1047	928	246	169	259	198
5. अन्य	24395	18214	1230	310	568	689

*विकलांग बच्चों के कारण

कारण	बालक		बालिका	
	6–11	11–14	6–11	11–14
1.दृष्टि	769	189	479	174
2. सुनना	297	97	62	88
3.बोलना	348	56	56	37
4.अधिगम अक्षमता	–	78	–	62
5.मानसिक मंदता	–	–	–	–
6.शारीरिक अक्षमता	260	124	215	79
7.अन्य	–	207	182	19

*विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले/विकलांग बच्चों की संख्या भरी जायेगी ।

विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी
मथुरा ।

2. स्कूल का शैक्षिक मानचित्र

3. सूचनाओं का विश्लेषण

4. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

परिवार सर्वेक्षण के कार्य में ग्राम प्रधान, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, उत्साही अन्य व्यक्तियों तथा अध्यापकों का भी सहयोग लिया गया।

तत्पश्चात शैक्षिक मानचित्र के माध्यम से गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। ग्राम निवासियों के सहयोग से उत्तम ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। शैक्षिक मानचित्र से निम्नांकित तथ्यों की जानकारी की गई –

1. ग्राम/बस्ती की सम्पूर्ण जनसंख्या

2. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या

3. स्त्री पुरुष की अलग-अलग जनसंख्या

4. पढ़ने या न पढने वाले बच्चों की संख्या

5. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी

6. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी

7. बालिका शिक्षा की दशा

उपर्युक्त बिन्दुओं को सर्वाशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु आधार बनाया गया है।

<u>स्कूल चलो अभियान</u>

जनपद में जुलाई 2000 से बालक/बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करने तथा ड्राप आउट को समाप्त के प्रयोजन से वर्ष 2000–2001 में यह अभियान चलाया गया। फलस्वरूप नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई है। जिसका लाभ सर्वशिक्षा अभियान में प्राप्त होगा। स्कूल चलो कार्यक्रम के तहत व्यापक प्रचार प्रसार किया गया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उपबेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप विद्यालय निरीक्षक और समन्वयक सहित बैठक आयोजित की गई तथा स्कूल चलो अभियान की रूपरेखा तैयार की गई।

प्रपत्र– ।

जनपद–मथुरा ।

स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियां /प्रगति वर्ष 2003–04

बाल गणना तथा नामांकन 6–11 आयु वर्ग में																	
6 से 11 आयु वर्ग में बच्चों की जनसंख्या			11 से 14 आयु वर्ग में बच्चों की जनसंख्या			6 से –11 आयु वर्ग स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या			11 से 14 आयु वर्ग स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या			स्कूल चलो अभियान से पूर्व 6–11 आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन की स्थिति			स्कूल चलो अभियान से पूर्व 11–14 आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन की स्थिति		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201989	167008	368997	79763	58200	137963	29821	23982	53803	4305	4919	9224	193297	157123	350420	75339	53265	128604

वय वर्ग 6–11 के चिन्हित बच्चों के सापेक्ष नामांकन की स्थिति			वय वर्ग 11–14 के चिन्हित बच्चों के सापेक्ष नामांकन की स्थिति			स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत नामांकन प्रतिशत 6–11 आयु			स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत नामांकन प्रतिशत 11–14 आयु		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
26772	21496	49268	2941	3435	6376	89.77%	89.63%	91.57%	68.31%	69.83%	69.12%

स्कूल चलो अभियान की उपलब्धियां /प्रगति वर्ष 2003–04

प्रपत्र–2

6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या			6 से 14 आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या			स्कूल चलो अभियान से पूर्व 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन की स्थिति			अद्यतन नामांकन की स्थिति 6–14 आयु वर्ग (3–5 =6)			स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत नामांकन में वृद्धि तथा प्रशि.		जनपद के कुल गांव /स्कूल जिसमें बाल गणना पूर्ण की गयी	
3			4			5			6			7		8	
बालक	बालि.	योग	बालक	बालि.	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालि.	योग	वृद्धि	प्रतिशत	गांव	स्कूल
3	4	5	6	7	8	15	16	17	18	19	20				
281752	225208	506960	34126	28899	63025	268636	210388	479024	13116	14820	27936	55644	88.28%	1800	1067

प्रपत्र –3

स्कूल-चलो अभियान की वास्तविक उपलब्धि वय वर्ग 6से 14 वर्ष 2003–04

सर्वेक्षण /अभियान के अन्तर्गत स्कूल न जाने वाले चिन्हित बच्चों की संख्या	चिन्हित बच्चों में स्कूल में पंजीकृत बच्चों की संख्या	अपंजीकृत बच्चों की संख्या जो स्कूल जाना प्रारम्भ नहीं किये हैं	प्रतिशत 4 का 3 से	अनुमोदित
3	4	5	6	7
63025	55644	7383	88.28%	11.71%

स्कूल चलो अभियान 2003 (जनपदवार उल्लेखनीय कार्य)

क्र. सं	कार्यक्रम	जनपद स्तर पर	ब्लाक स्तर पर / नगर क्षेत्र	ग्राम सभा / ग्राम मजरे / बस्ती
1	रेलियां	01	11	1087
2	प्रभात फेरी	02	06	1084
3	गोष्ठी / बैठक	04	20	1087
4	कला जत्था	–	–	–
5	नुक्कड नाटक	–	–	–
6	नारे लेखन	–	10	400
7	बैनर	10	20	1087
8	पोस्टर	–	–	–
9	समाचार पत्र में प्रकाशन	05	10	55
10	रेडियो पर प्रसारण	01	–	–
11	सिनेमाघर में प्रसारण	–	–	–
12	मीना कैम्पेन के कैसिट का प्रसारण	–	15(एन.पी.आर.सी.)	–
13	पद यात्राएं	–	–	–
14	ग्रीष्म कालीन शिविर	–	–	11
15	संकल्प / शपथ समारोह	–	–	–
16	अन्य विभाग का सहयोग	–	–	–

जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में अभियान की समीक्षा बैठक दिनांक 4.7.2001 को आयोजित की गई तथा कोर ग्रुप का गठन किया गया जिसमें निम्नांकित निर्णय लिये गये : –

1. जिले में विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक बी0डी0ओ0 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।
2. जिले में 89 न्याय पंचायतों पर प्रत्येक एन0पी0आ0सी0 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।
3. जनपद की 717 ग्राम पंचायतों पर स्कूल चलो अभियान के लिये वरिष्ठ अध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त शिक्षा अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र का दौरा करके कार्यक्रम को सफल बनायें प्राचार्य डायट, बाद मथुरा जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, तहसीलदार,सचिव साक्षरता समिति, जिला सूचना अधिकारी, बाल विकास जिला समाज कल्याण अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर कार्यक्रम को सफल बनायें।

विशाल रैलियों का आयोजन किया गया जिनमें छात्रों/छात्राओं, अध्यापकों/अध्यापिकाओं, पत्रकारों, तथा सम्मानित व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया।

जिला स्तर पर जिलाधिकारी मथुरा ने झण्डा दिखाकर रैली प्रारम्भ कराई। ब्लाक स्तर पर प्राचार्य, डायट बाद, मथुरा ने झंडा दिखाकर रैली निकलवाई। ग्राम के प्रधानों, बी0डी0सी0 मैम्बरों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों का सहयोग भी सराहनीय रहा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अपने–अपने ब्लाकों में धूमधाम से अभियान चलाया।

<u>विभिन्न विभागों का सहयोग</u> – निम्न विभागों का सहयोग प्राप्त कर प्रारम्भिक शिक्षा को प्रभावी बनाया जाता है –

1. आई0सी0डी0एस0 विभाग से आंगन बाड़ी केन्द्रों का सहयोग।
2. स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लेकर बच्चों का डाक्टरी मुआयना तथा उपचार कराया जाता है।
3. समाज कल्याण विभाग का सहयोग प्राप्त कर पाइमरी छात्रों को रु0 300/– सालाना तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को रु0 480/– की दर से

सालाना वजीफा दिलाया जाता है। यह अन्य जाति के सभी बच्चों को मिलता है।

4. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का सहयोग लेकर प्रत्येक 80 प्रतिशत उपस्थिति वाले छात्रों को प्राइमरी स्कूलों में प्रति छात्र 3 किलोग्राम गेहूं प्रतिमाह की दर से पोषाहार भोजन के तहत दिलाया जाता है।

5. ग्राम पंचायतों का सहयोग लेकर निशुल्क भूमि प्राप्त कर नवीन स्कूलों की स्थापना का कार्य किया जाता है।

6. उत्तर प्रदेश जल निगम/यू0पी0 ऐग्रो का सहयोग प्राप्त करके छात्रों को पीने का पानी प्राप्त करने हेतु हैण्ड पम्प लगवाये जाते हैं।

7. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सहायता से प्राइमरी में रु0 300/– तथा पूर्व मा0 वि0 में रु0 480/– की छात्रवृत्ति दिलाई जाती है यह छात्रवृत्ति सभी छात्रों को नहीं मिलती है। न्यूनतम संख्या में ही छात्र लाभान्वित होते हैं। कभी कभी वंचित भी रहते हैं प्रायः वंचित ही अधिक रहते हैं।

8. डी0आर0डी0ए0 का सहयोग लेकर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिसमें 40 प्रतिशत धनराशि शिक्षा विभाग देता है और शेष 60 प्रतिशत धनराशि का प्रबन्ध जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ही करता है।

क्र.सं.	जनपद स्तर/ ब्लाक स्तर/ ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक विचार–विमर्श में जो बिन्दु उभरे उनका संक्षिप्त विवरण
1.	जनपद स्तर	7.11.2001	D.P.O. मथुरा।	जिला पंचायत अध्यक्ष -1 जिला पंचायत अधिकारी--1 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी–1 कुल (04)	1. शिक्षा में गुणवत्ता परक सुधार अपेक्षित। 2. अशोषित बस्तियों में मानक के अनुसार नवीन विद्यालयों की स्थापना। 3. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलना। 4. ईंट भट्टा में कार्यरत बाल श्रमिकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था करना। 5. गोवर्धन, नन्दगांव व बरसाना में शिक्षा वृत्ति में लगे बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलना।

2.	तहसील स्तर	10.11.2001	विकासखण्ड कार्यक्रम, मथुरा	ब्लाक प्रमुख–1 B.D.O.-1, Dy. BSA-1, A.B.S.A.-03, कुल (06)	1. आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन। 2. शिक्षा की उपादेयता संदिग्ध है। 3. व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। 4. बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना है।
3.	तहसील स्तर	11.11.2001	विकासखण्ड कार्यक्रम, गॉट	ब्लाक प्रमुख–1 B.D.O.-1, तहसीलदार–1 Dy. BSA-1, A.B.S.A.-03, कुल (07)	1. शिक्षा के प्रति अभिभावक व बच्चों में जागरूकता करना। 2. बच्चों के व्यक्तिगत रूची में कमी। 3. अध्यापन में शिक्षण कार्य में अरूचि। 4. निरीक्षण पर्यवेक्षक में कमी।
4.	तहसील स्तर	12.11.2001	विकासखण्ड कार्यक्रम, छाता	ब्लाक प्रमुख–1 उपजिलाधिकारी Dy. BSA-1, A.B.S.A.-03, कुल (06)	1. विद्यालयों में अध्यापकों की कमी। 2. बालिका शिक्षा के प्रति अरूचि। 3. बालिका शिक्षा की साक्षरता दर कम होना। 4. माता शिक्षक संघ को सुदृढ़ करना। 5. शिक्षा की विभिन्न योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना।
5.	ब्लाक स्तर	12.11.2001	B.R.C., मथुरा	ब्लाक प्रमुख–1, B.D.O.-1, अधिकारी–02 BRC/ABRC-03 (कुल 07)	1. बिना लिंग भेद के बालिका शिक्षा पर बल 2. समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की आवश्यकता। 3. बालक/बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव व नामांकन। 4. शिक्षा के साथ–साथ कार्यानुभव सम्बन्धी कौशल।
6.	विकास खण्ड स्तर	19.11.2001	B.R.C., फरह	ब्लाक प्रमुख–1, B.D.O.-1, ABSA-1 BRC/ABRC-03 (कुल 06)	1. सामाजिक रूढ़िओं, अन्धविश्वासों को शिक्षा के प्रसार से दूर करना। 2. बाल श्रमिकों के लिए वैकल्पिक विद्यालयों की व्यवस्था करना। 3. लिंग भेद समाप्त करना। 4. अभिभावकों में जागरूकता पैदा करना।

7.	विकास खण्ड स्तर	19.11.2001	B.R.C., गोवर्धन	ब्लाक प्रमुख–1, B.D.O.-I, ABSA-I BRC/ABRC-03 (कुल 06)	1. शिक्षा वृत्ति में लगे बच्चों के लिए अलग वैकल्पिक विद्यालय खोलना। 2. शिक्षा के साथ–साथ विद्यालय में कार्यानुभव सम्बन्धी कौशल सिखाना। 3. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता।
8.	विकास खण्ड स्तर	19.11.2001	B.R.C., बल्देव	ब्लाक प्रमुख–1, B.D.O.-I, ABSA-I BRC/ABRC-03 (कुल 06)	1. अध्यापकों व अभिभावकों में सामंजस्य की कमी। 2. अध्यापकों से शिक्षा कार्य में अतिरिक्त अन्य कार्य लेना। 3. शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता पैदा करना।
9.	विकास खण्ड स्तर	20.11.2001	B.R.C., माँट	ब्लाक प्रमुख–1, B.D.O.-I, ABSA-I BRC/ABRC-03 (कुल 06)	1. बाल श्रमिकों के अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव। 2. विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था। 3. अध्यापकों का मानक के अनुसार संख्या में उपलब्ध होना।
10.	विकास खण्ड स्तर	20.11.2001	B.R.C., राया	ब्लाक प्रमुख–1, B.D.O.-I, ABSA-I BRC/ABRC-03 (कुल 06)	1. राजनैतिक सामाजिक सहभागिता का अभाव। 2. अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य में अरूचि। 3. अध्यापकों के शिक्षा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों का कराया जाना।
11.	विकास खण्ड स्तर	21.11.2001	B.R.C., नौहझील	ब्लाक प्रमुख–1, B.D.O.-I, ABSA-I BRC/ABRC-03 (कुल 06)	1. ईंट भट्टों में लगे बच्चों के लिए वैकल्पिक स्कूल की व्यवस्था करना। 2. विद्यालय में शिक्षकों का अभाव। 3. बालिका शिक्षा में अधिक पिछड़ापन।
12.	विकास खण्ड स्तर	22.11.2001	B.R.C., छाता	ब्लाक प्रमुख–1, B.D.O.-I, ABSA-I BRC/ABRC-03 (कुल 06)	1. विद्यालयों में शिक्षकों की कमी। 2. सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन। 3. बाल श्रमिकों की संख्या अधिक होना। 4. बालिका शिक्षा के प्रति रूचि का कम होना।

13.	विकास खण्ड स्तर	23.11.2001	B.R.C., चौमुहाँ	ब्लाक प्रमुख–1, B.D.O.-1, ABSA-1 BRC/ABRC-03 (कुल 06)	1. विद्यालयों में अध्यापकों की कमी। 2. बालिका शिक्षा में साक्षरता न्यूनतम। 3. शैक्षिक व आर्थिक पिछड़ापन। 4. शिक्षा की उपादेयता संदिग्ध।
14.	विकास खण्ड स्तर	24.11.2001	B.R.C., नन्दगाँव	ब्लाक प्रमुख–1, B.D.O.-1, ABSA-1 BRC/ABRC-03 (कुल 06)	1. बच्चों का शिक्षा वृत्ति में लगे रहना। 2. अभिभावकों व बच्चों में शिक्षा के प्रति अरूचि। 3. सामुदायिक सहभागिता का अभाव। 4. बालिकाओं का घर के कार्यो में लगे रहना।
15.	ग्राम स्तर	26.11.2001	लाड़पुर	अध्यापक–4 अभिभावक–6 अधिकारी–1 कुल (11)	1. 11–14 वर्ष वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। 2. भौतिक संसाधनों का अभाव। 3. अति0 कक्षा कक्ष, चाहरदीवारी का अभाव
16.	ग्राम स्तर	26.11.2001	नगला देवी निशन	अध्यापक–2 अभिभावक–6 अधिकारी–1 कुल (09)	1. अध्यापक/अभिभावक व छात्रों में सामंजस्य न होना। 2. विद्यालय का वातावरण आकर्षक न होना 3. अध्यापक से अन्य कार्य कराया जाना।
17.	ग्राम स्तर	26.11.2001	रसूलपुर	अध्यापक–5 अभिभावक–8 अधिकारी–1 प्रधान–1 कुल (15)	1. अध्यापकों की शिक्षा कार्य में अरूचि। 2. सतत् मूल्यांकन का अभाव। 3. विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था। 4. शिक्षक का व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में कमी।
18.	ग्राम स्तर	27.11.2001	गादौर	अध्यापक–1 शिक्षामित्र–1 अभिभावक–5 ग्राम प्रधान–1 BDC सदस्य–1 अधिकारी–1 कुल (10)	1. अध्यापकों की कमी। 2. 11–14 का वर्ग के बच्चों की शिक्षा का अभाव। 3. संशाधनों का अभाव। 4. आर्थिक पिछड़ापन। 5. चाहरदीवारी व अति0 कक्षा की आवश्यकता है।

19.	ग्राम स्तर	27.11.2001	अन्दुआ	अध्यापक–4 अभिभावक–5 ग्राम प्रधान–1 BDC सदस्य–1 अधिकारी–1 कुल (12)	1. सामुदायिक सहभागिता का अभाव। 2. शौचालय, चाहरदीवारी की आवश्यकता। 3. निरीक्षण–पर्यवेक्षण में कमी। 4. बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था।
20.	जनपद स्तर	28.11.2001	शिविर कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा	जिलाधिकारी–1 CDO–1 DPRO–1 DSO–1 Dy. CMO–1 Dy CMO--1 जिला समाज कल्याण अधिकारी–1 जिला अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग–1 जिला कार्यक्रम अधिकारी--1 बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला सूचना निदेशक, अधिशाषी अभि., RBS, BSA, लेखाधिकारी समस्त BSA, Dy. BSA, जिला समन्वयन ब्लॉक प्रमुख--2 महिला समा, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, शिक्षक संघ के प्रतिनिधि, नेहरू युवा केन्द्र, प्राचार्य समाट अन्य प्रतिनिधि व समाज सेवी	1. सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम से अवगत कराना। 2. जन–जन तक योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार कराना। 3. अरोधित बस्तियों/ग्रामों में प्रा0वि0 व उच्च प्रा0वि0 की स्थापना हेतु मानकों की जानकारी। 4. 6–14 वर्ष वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्ता पर शिक्षा की व्यवस्था करना। 5. जिन बस्तियों में विद्यालय खोलना सम्भव नहीं है वहां वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था करना। 6. छात्र संख्या के अनुपात में अति0 कक्षाकक्ष, चाहरदीवारी, पेय जल, शौचालय आदि भौतिक संसाधनों की व्यवस्था करना। 7. जर्जर / ध्वस्त विद्यालय भवनों का पुनः निर्माण कराना। 8. लघु एवं दीर्घ मरम्मत वाले विद्यालय भवनों की मरम्मत कराना। 9. पोषाहार व छात्रवृत्ति का वितरण कर छात्रों को ठहराव विद्यालय में बनाये रखने हेतु प्रोत्साहित करना। 10. विद्यालय का वातावरण आकर्षक बनाना।

					11. गतिविधि एवं खेलों पर आधारित बाल केन्द्रित शिक्षा की व्यवस्था करना। 12. एकल विद्यालयों में अध्यापक/शिक्षामित्र की व्यवस्था करना। 13. नवीन विद्यालयों की स्थापना एवं भवन निर्माण कराना। 14. सतत् मूल्यांकन एवं अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराना। 15. प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना। 16. बुक बैंक की स्थापना कराना। 17. ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय भूमिका अदा करने हेतु प्रेरित करना तथा समय-समय पर ग्राम स्तर की बैठकों में प्रतिभाग कर समीक्षा एवं मूल्यांकन करना 18. सूक्ष्म नियोजन द्वारा ग्राम / बस्ती की समस्याओं को चिन्हित करना। 19. उपरोक्त कार्यों हेतु स्वयं सेवी व सामुदायिक सहभागिता की भागीदारी। 20. विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजना को क्रियान्वयन करना।
21.	ग्राम स्तर	03.12.2001	नांगल	ग्राम प्रधान–1 BDC सदस्य–1 अधिकारी–1 अभिभावक–10 NPRCC–1 अध्यापक–4 कुल (18)	1. बच्चों को 1 कि.मी. दूर विद्यालय में जाना। 2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था करना 3. सक्रिय सामाजिक सहभागिता का अभाव। 4. शिक्षा के प्रति अभिभावकों व बच्चों में जागरूकता का अभाव।
22.	ग्राम स्तर	04.12.2001	ओहावा	ग्राम प्रधान–1 BDC सदस्य–1 अधिकारी–1	1. अध्यापक का विद्यालय में कम ठहराव। 2. विद्यालय का वातावरण आकर्षण न होना

				अभिभावक–4 NPRCC–1 अध्यापक–2 कुल (10)	3. अभिभावकों व बच्चों में शिक्षण कार्य में अरुचि। 4. बाल श्रमिकों के अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव।
23.	ग्राम स्तर	05.12.2001	पीसरी	ग्राम प्रधान–1 सदस्य–2 अधिकारी–1 अभिभावक–6 अध्यापक–2 कुल (18)	1. आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन। 2. मेहनत मजदूरी करने के कारण शिक्षा के लिए समय नहीं मिल पाता है। 3. अनु0जाति के वर्ग में शिक्षा के प्रति जागरूकता में कमी है। 4. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता
24.	ग्राम स्तर	06.12.2001	न0 लच्छी (बरसाना कलां)	ग्राम प्रधान–1 सदस्य–4 अधिकारी–1 अभिभावक–10 शिक्षामित्र–1 अध्यापक–2 कुल (19)	1. शैक्षिक पिछड़ापन। 2. असेवित बस्ती होने के कारण विद्यालय की आवश्यता। 3. बच्चों को 2 कि.मी. दूर शिक्षा ग्रहण करने जाना। 4. सामाजिक रूढ़ियों व अन्धविश्वास प्रगति में बाधक है। 5. अभिभावक बालिकाओं का नामांकन विद्यालय में नहीं कराते।
25.	ग्राम स्तर	03.12.2001	नाहरा	ग्राम प्रधान–1 BDC सदस्य–1 सदस्य–2 अभिभावक–6 अध्यापक–2 कुल (12)	1. नन्दगाँव व बरसाना में बच्चों की शिक्षा वृत्ति में लगे jguk@i.Mkxkh;k कार्य में रुचि लेना। 2. पूरे समय विद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। 3. शिक्षा के साथ दस्तकारी की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। 4. भौतिक संसाधनों का अभाव। 5. बालिका शिक्षा के प्रति अरुचि।

हाउस होल्ड सर्वे

वर्ष 2003-04 में जनपद मथुरा के समस्त विकास खण्ड में हाउस होल्ड सर्वे कराया गया जिसके द्वारा विभिन्न कारणों से स्कूल न जाने वाले बच्चों का चिन्हिकरण किया गया। जनपद में हाउस होल्ड सर्वे कार्य निम्न चरणों में क्रियान्वित हुआ।

क्र0सं0	राज्य स्तर/जनपद स्तर/ब्लाक स्तर/ न्यायय पंचायत स्तर/ ग्राम एवं मजरे स्तर	तिथि	कार्य	कार्य में संलग्न संदर्भ व्यक्ति
1.	राज्य स्तर	15.04.2003	प्रशिक्षण डाटा एकत्रीकरण एवं फीडिंग हेतु	(1) जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता (2) कम्प्यूटर आपरेटर
2.	जनपद स्तर	21.05.2003	प्रशिक्षण एवं सर्वे प्रपत्र का वितरण	(1) बी0एस0ए0, (2) जिला समन्वयक बालिका (3) जिला समन्वयक (प्रशि0) (4) कम्प्यूटर आपरेटर (5) ब्लाक समन्वयक 10 (6) ए0बी0एस0ए0 10
3.	ब्लाक स्तर	22.05.2003	प्रशिक्षण सर्वे प्रपत्र वितरण	जनपद के कुल 10 ब्लाक से जुड़े कुल 89 न्याय पंचायत समन्वयक
4	न्याय पंचायत स्तर	24.05.2003	प्रशिक्षण एवं सर्वे प्रपत्र वितरण	जनपद के कुल 1087 विद्यालयों के प्रधान/स0अ0
5	ग्राम/मजरे स्तर	01.06.2003 से 20.06.2003 तक	सर्वे कार्य एवं प्रपत्र भरना	जनपद में सभी ग्राम प्र0अ0/स0अ0
6.	जनपद स्तर	24.06.2003 से 25.06.2003 तक	डाटा का एकत्रीकरण	ब्लाक के कुल 10 समन्वयक

अध्याय – 4

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा सभी के लिये अनिवार्य करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में सर्व शिक्षा अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह तय किया गया है कि नवीं पंच वर्षीय योजना में 85 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार देगी तथा 15 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार खर्च करेगी। दसवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 25 प्रतिशत धन खर्च करेगी और फिर उसके पश्चात की अवधि में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें आधी आधी धनराशि इस सर्व शिक्षा अभियान पर खर्च करके सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा को उपलब्ध करायेंगी।

राष्ट्रीय स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किये गये हैं।

1. वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालयों, शिक्षा गारन्टी केन्द्रों, वैकल्पिक स्कूलों तथा बैक टू स्कूल के कैम्पों में 100 प्रतिशत नाम दर्ज कराना।
2. वर्ष 2007 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा–5 की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
3. वर्ष 2010 तक कक्षा–8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लेना।
4. गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना
5. छात्र–छात्राओं तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर अन्तर समाप्त कराना।
6. वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

इन लक्ष्यों को जिले के लिये भी माना गया है।

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु प्रणाली।

भारत की जन गणना वर्ष 2001 से प्रत्येक प्रदेश तथा जिले की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध हो चुके हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के आंकडों को आधार मान कर वर्ष 2001 तक

दस वर्षो में जिले की जनसंख्या वृद्धि के आधार पर नापा, नई दिल्ली के माड्यूल में वर्णित कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मैथेन्ड से जिले की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गई। मथुरा जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 14.9 प्रतिशत है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयु वर्गवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। अतः 1991 के प्रतिशत को मानते हुए वय्र 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6–11 वय्र बाल संख्या ज्ञात करने के लिये 14.9 प्रतिशत तथा 11 से 14 वर्ष्ज्ञ की बाल संख्या ज्ञात करने के लिये 6.2 प्रतिशत का अनुपात लिया गया है। वर्ष्ज्ञ 2001 की जनगणना के विभिन्न आयु वर्ग की जन संख्या ग्रामीण/नगरीय ग्रामीण और नगरीय अनु0 जाति/जनजाति के लिये विशेष आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी0ई0आर0 को आधार मानते हुए नीपा, नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित इनरोलमेन्ट रेशियो मैथ्ड से वर्ष 2002 से 2010 तक का जी0ई0आर0 प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रोपित जी0ई0आर0 तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर 6–11 के लिये वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर 11–14 के लिये वर्ष 2007 तक शत प्रतिशत नामांकन कर लक्ष्य रख गया है। चूंकि सम्पूर्ण नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर एज बच्चे भी होते हैं अतः जी0ई0आर0 का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी0ई0आर0 में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6–11 वर्ष तथा 11–14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेंगे।

MATHURA

क्र0 सं0	वर्ष	6–11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं (वर्षवार)	NER
	1	2	3	4	5	6	7
1-	2002-03	360879	345414	131257	198692	15465	95
2-	2003-04	368997	350420	166757	165086	18577	100
3-	2004-05	377114	377114	189411	187703	0	100
4-	2005-06	385410	385410	193578	191832	0	100
5-	2006-07	393889	393889	197837	196052	0	100

वर्ष 2003–2004 में 6 से 11 वय वर्ग के 18577 बच्चों को अध्याय –7– में उल्लिखित विशिष्ट रणनीतियों के तहत 30 सितम्बर 2003 तक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ कर नामांकन के शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा।

MATHURA

क्र0 सं0	वर्ष	11–14 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चे	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चे	परिषदीय नामांकित बच्चे	जो विद्यालय में नहीं जा रहे हैं	NER
	1	2	3	4	5	6	7
1-	2002-03	188947	160244	101005	30436	28753	85
2-	2003-04	137963	128604	95166	24079	9359	93
3-	2004-05	140708	140708	97088	43620	0	100
4-	2005-06	143508	143508	99020	44488	0	100
5-	2006-07	146308	146308	100952	45356	0	100

" प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य"

सारिणी – 4/1 जनपद मथुरा

वर्ष	6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या	नामांकन	एन0ई0आर0
	योग	योग	
2002–03	360879	345414	95
2003–04	368997	350420	100
2004–05	377414	377414	100
2005–06	385410	385410	100
2006–07	393889	393889	100

अध्याय .....7..... से संदर्भ ग्रहण करें।

" उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य"

सारिणी – 4/2 जनपद मथुरा

वर्ष	11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या	नामांकन	एन0ई0आर0
	योग	योग	
2002–03	188947	160244	85
2003–04	137963	128604	93
2004–05	140708	140708	100
2005–06	143508	143508	100
2006–07	146308	146308	100

अध्याय .....7..... से संदर्भ ग्रहण करें।

ड्राप आउट कम करने के लक्ष्य

मथुरा जनपद में सर्वशिक्षा अभियान हेतु प्लान की रचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट कम करने हेतु निम्न प्रकार से लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :–

वर्ष	प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट की स्थिति	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ड्राप आउट की स्थिति
2000--01	34.8	17.4
2001--02	24	15
2002--03	14	13
2003–04	9	11
2004–05	5	9
2005--06	0	7
2006–07	0	5
2007–08	0	3
2008–09	0	1
2009–10	0	0

"सर्वशिक्षा अभियान" परियोजन को क्रियान्वित करते समय जिले में "ड्राप आउट" के सम्बन्ध में हुई प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट पता लगाने के लिये अलग–अलग को हार्टकोउरटडी करानी होगी।

बेसलाइन सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण परिणाम

वेस लाइन सर्वेक्षण में कक्षा–2 और कक्षा–5 को कक्षा 1 और कक्षा 4 के पाठ्यक्रम पर आधारित मानक उपकरणों के माध्यम से परिणाम दिया गया। इस परीक्षण के परिणामों का विश्लेषण बालक–बालिकाओं तथा विभिन्न समुदाओं के छात्र/छात्राओं को शैक्षिक सम्प्राप्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया जिसका परिणाम तालिका द्वारा जनपद मथुरा का दर्शाया गया है। वे छात्र/छात्रायें जो 40 प्रतिशत से कम प्राप्तांक प्राप्त किये हो उसको यह माना भिन्न है कि उन्होंने न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं किया तथा दूसरा वर्ग जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत इंगित है 80 प्रतिशत यह मानक माना जाता है जिसमें छात्र मास्टरी स्तर की भिन्न उस विषय विशेष में प्राप्त कर लेता है यह वर्गीकरण बालक बालिकाओं का तथा विभिन्न समुदाय जैसे एस.सी. एस.टी, ओ.बी0सी0, एवं अन्य समुदाय के बच्चों के लिए भी किया गया है।

प्रतिशत मध्यमान भाषा – प्रतिशत मध्यमान के आधार पर ज्ञात हुआ कि न्यूनतम प्रतिशत मध्यमान प्राप्तांक भाषा में मथुरा जनपद का प्राप्त हुआ है जो 23.35 प्रतिशत है।

प्रतिशत मध्यमान गणित – कक्षा 2 के छात्रों को भाषा की भांति गणित में भी मानक उपकरणें के माध्यम से परीक्षण किया गया जो कक्षा–1 के पाठ्यक्रम पर आधारित था। प्राप्त परिणामों के आधार पर जनपद मथुरा का न्यूनतम प्रतिशत मध्यमान रहा जो कि 31 प्रतिशत–40प्रतिशत के बीच रहा।

Percent Mean, MeanAchievementAnd .D.
Class II (Genderwise + Castwise) Language

Total		Gender wise				Caste Wise					
Percentage		Boys		Girls		S/C S/T		OBCs		Others	
Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
23.32	20.13	5.01	4.26	4.29	3.54	4.04	3.22	3.15	4.07	5.51	4.21

Distribution of Percent Scores of Students Language Genderwise Class-II

Boys		Girls	
No. MLL S 40%	Acheiving Mastery S 80%	No. MLL S 40%	Acheiving Mastery S 80%
80.6	1.7	87.8	3.6

Distribution of Percent Scores of Students Language (Castewise) Class-II

Student S < 40%			Student S > 80%		
SC / ST	OBCs	Others	SC / ST	OBCs	Others
87.2	94.3	77.6	1.0	0.0	2.3

Percent Mean, MeanAchievementAnd .D. Class II (Genderwise + Castwise) Mathematics

Total		Gender wise				Caste Wise					
Percentage		Boys		Girls		S/C S/T		OBCs		Others	
Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.	Mean	S.D.
33.10	23.75	7.47	4.62	6.49	4.41	5.92	4.73	6.16	4.40	7.31	4.79

Distribution of Percent Scores of Students
Mathematics Genderwise Class-II

Boys		Girls	
No. MLL S < 40%	Acheiving Mastery S > 80%	No. MLL S < 40%	Acheiving Mastery S > 80%
64.1	6.8	30.3	3.3

Distribution of Percent Scores of Students
Mathematics (Castewise) Class-II

No. MLL S < 40%			Achieving Mastery S > 80%		
SC / ST	OBCs	Others	SC / ST	OBCs	Others
76.0	75.6	65.3	3.3	1.6	6.4

कक्षा 5 के छात्रों को भी कक्षा 2 की भांति भाषा और गणित के मानक उपकरणों के माध्यम से उनकी शैक्षिक सम्प्राप्ति मापन हेतु परीक्षण किया गया। यह दोनों ही उपकरण कक्षा 4 के पाठ्यक्रम पर आधारित थे।

मथुरा जनपद का प्रतिशत प्राप्तांक 38.33 है।

अध्याय – 5

समस्याऐं तथा रणनीति

मथुरा जिले में विभिन्न स्तरीय फोकस ग्रुप डिसकशन में प्राप्त विचारों का विश्लेषण किया गया और उपलब्ध संसाधनों का सापेक्ष व्यवहारिक तथा सन्तुलित रणनीति तैयार की गई। छात्र–नामांकन के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति, नवीन विद्यालय भवनों का निर्माण कराना, जीर्णभवनों की मरम्मत कराना, हैण्ड पम्पों तथा शौचालयों की व्यवस्था कराना स्कूलों का वातावरण सुन्दर तथा प्रभावशाली बनाना आदि बातों का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा सभी स्कूल के बाहर बच्चों को शिक्षा की प्रमुख धारा से जोड़ने तथा उनके ठहराव पर खास ध्यान दिया जायेगा।

समस्यायें	रणनीति
1. आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन	छात्रों तथा अभिभावकों की सोच परिवर्तन हेतु हर सम्भव प्रयास किया जायेगा। महिला मंगल दल ग्राम शिक्षासमितियों का सहयोग, जागरूक लोगों का सहयोग, महिला समाख्या, बाल विकास परियोजना की कार्यकर्त्री आदि सभी का सहारा लेकर वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।
2. असेवित तथा मलिन बस्तियों में स्कूल न होना।	जिन ग्राम / बस्तियों की आबादी 300 तक है और 1.5 किमी. के अर्धव्यास में स्कूल नहीं है वहां प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे तथा 6–8 वर्ष के 30 बच्चों में 1 किमी. स्कूल से दूरी के हिसाब से ई0जी0एस0 केन्द्र खोले जोयेंगे तथा 9–14 वर्ष के बच्चों के लिये ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थपना की जायेगी। नगर क्षेत्र में दो पाली योजना तथा किराये के भवनों में चलने वाले **स्कूलों को हटाकर असेवित क्षेत्र में खोला जायेगा बशर्ते कि वहां पर छात्र संख्या कम हो। मलिन बस्ती में छात्र अधिक होने पर उस स्कूल को ट्रान्सफर किया जायेगा।**

3. अभिभावक की सोच कि बच्चा रोजगार प्राप्त करे	प्रायः अभिभावकगण ऐसे होतेहैं कि जो यह चाहते हैं कि पढ़ कर बच्चा कोई रोजगार प्राप्त कर ले या सरकारी / गैर सरकारी नौकरी पा जाये लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में नौकरियों का बड़ा अभाव है। ऐसी स्थिति में उन्हें यह बताना होगा कि वे अपनी सोच में बदलाव लायें क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकासकरना होता है न कि मात्र नौकरी पा जाना।
4. छात्रों की शैक्षिक रुचि में अभाव	अधिकांश बच्चे स्कूल को जेल खाना समझ कर डरते हैं। अतः ऐसे प्रयास करने होंगे कि बच्चा विद्यालय के वातावरण में प्रसन्न रहे और विद्याध्ययन हेतु तत्पर हो सके। जैसे रोचक पाठ्यक्रम निर्माण, समय विभाजक चक्र को सार्थक बनाना, विषय के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, खेलकूद कराना, तथा स्कूल से बाहर टूर पर ले जाकर व्यवहारिक शिक्षण प्रदान करना तथा मृदुल व्यवहार तथा प्रेम देना।
5. छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की कमी	यदि 40:1 के मानक पर शिक्षकों की व्यवस्था न हो तो ग्राम शिक्षा समिति का सहारा लेकर अध्यापकों अथवा शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की जायेगी। पू0 मा0 वि0 में विषय अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी। यदि प्राथमिक विद्यालय को पू0मा0वि0 के साथ चलाना पड़े तो प्रा0 वि0 का प्रधान ही सम्पूर्ण प्रबन्ध तंत्र तथा संचालन कार्य देखेगा।
6. विद्यालय का वातावरण आकर्षक होना	छात्रों द्वारा सामूहिक कार्य कराने हेतु समूह बनाने हेतु अनुदान 6' X 6' की प्लास्टिक की चटाई खरीदी जायेगी। बच्चों की मदद से पाठ संकेत पढाने हेतु सहायक सामग्री तैयार कराई जायेगी। इसे "लर्निंग बाई डूईंग" पद्धति का विकास होगा। बच्चों द्वारा पौधा लगाकर क्यारियों में फूल आदि के पौधे लगवाये जायेंगे इससे बागवानी कार्यों को सीखेंगे तथा स्कूल का वातावरण भी सुन्दर बनेगा। बच्चों का मन यहां खूब लगने लगेगा।

7. गरीब बच्चों के पास पाठ्यपुस्तकें न होना	किताबें खरीदना गरीब बच्चों की महान समस्या है। अतः सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें दिया जाना प्रस्तावित है।
8. अध्यापकों पर लिपिकीय कार्यों का भार	प्रायः अध्यापकों का समय विभागीय सूचनायें तैयार करने तथा प्रेषित करने में ही दिमाग खराब रहता है। अतः उनसे केवल शिक्षण कार्य ही लिया जाये इसके लिये यह जरूरी है कि विभागीय सूचनायें विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटरीकृत की जायेंगी।
9. अध्यापकों की शिक्षण कार्य अरूचि	अध्यापकों में विषय के प्रति रुचि होना नितान्त आवश्यक है। अतः समय–समय पर प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित की जायेंगी 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा अन्यथा वार्षिक वेतन वृद्धि/दक्षता रोक पार नहीं की जायेगी।
10. छात्रों की निर्धारित यूनिफार्म	यदि स्कूल के सभी छात्रों की पोशाक एक ही जैसी होती है तो उससे विद्यालय की शिक्षण दशा पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। गणवेश के अभाव में विद्यालय परिवेश का अनुकूलन समान नहीं है। साथ ही साथ छात्रों में एकरूपता नहीं आ सकती है। उन छात्रों में हीनता भावना आ जाती है जिनके पास ड्रेस नहीं होती है। अतः इस बीमारी से बचना चाहिए अन्यथा छात्रों का मानसिक विकास रूप जायेगा। दूसरे ओर छात्रों के पास यूनिफार्म होने पर अभिभावक तथा जनता में छात्रों का बाह्य प्रभाव तथा आकर्षण मुखरित हो उठता है। अतः विद्यालय की ड्रेस निर्धारित की जाये।
11. शैक्षिक निरीक्षण का अभाव	शिक्षा अधिकारियों का अधिकाधिक निरीक्षण कराकर विद्यालयों को प्रगति पथ पर अग्रसारित किया जायेगा।
12. समाज का सक्रिय योगदान	गाम के लोगों में ऐसा भावना पैदा की जायेगी कि यह स्कूल उनका अपना है उन्नति होगी तो ग्राम का नाम होगा स्कूल में अच्छी पढाई से ही गांव की प्रगति हो सकेगी। अतः ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा। सतत देखरेख के द्वारा आवश्यक परामर्श प्राप्त किये जयेंगे ताकि अभीष्ठ सफलता प्राप्त हो सके।

13. विकलांग बच्चों की व्यवस्था	इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मुख्य विकास अधिकारी को विकलांग बच्चों की सूचना देनी होगी और उनके माध्यम से ए0 डी0 पी0 आई0 को बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजा जायेगा इस प्रकार विकलांग बच्चे आराम से स्कूल पहुंच कर शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
14. बाल श्रमिकों की समस्या	अक्सर गरीब अभिभावक अपने बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक होती है इस दौरान मिल फैक्ट्री और कारखानों में अथवा बनिया की दुकान पर बचपन से ही काम पर भेज देते हैं ताकि रोजी रोटी की समस्या हल हो सके। अतः ऐसे अभिभावकों को समझाना होगा और शिक्षा का महत्व बताना होगा। तभी बच्चे स्कूलों में दाखिल होंगे पढ़ने के बाद उनको काम पर जाते वक्त शिक्षा अत्यन्त सहयोगी होगी क्योंकि बौद्धिक विकास हो जाने पर प्रत्येक कार्य की वैज्ञानिक कार्य प्रणाली द्वारा करने लगेंगे तथा जीवन स्तर उच्च बना सकेंगे।

अध्याय – 6

शिक्षा की पहुंच का विस्तार (1)

1. प्राथमिक स्तर पर नवीन विद्यालय भवनों की जरूरत

वर्ष 1999–2000 से जनपद मथुरा में जिला प्राथमिक–शिक्षा कार्यक्रम डी.पी.ई.पी. पद्धति के अन्तर्गत लागू किया गया जिसमें पर्सपेक्टिव प्लान के अन्तर्गत सर्वेक्षण के आधार पर नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिये विभागीय मानक के अनुसार 56 असेवित बस्तियां पाई गईं। इनमें से प्रथम वर्ष 1999–2000 में 15 नवीन प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुए और द्वितीय वर्ष में 25 प्रा0 विद्यालय खुलने की कार्यवाही की जा रही है। शेष 16 विद्यालय असेवित बस्तियों में आगामी दो वर्षों में खोल दिये जायेंगे। तदनुसार 56 विद्यालय असेवित बस्तियों में लक्ष्य की पूर्ति करते हुए संचालित होंगे जहां कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। वर्तमान सर्वेक्षण के आधार पर प्रा0 शिक्षा हेतु असेवित बस्तियां और विकसित हो गई जिन्हें "सर्व शिक्षा अभियान" योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कर, प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी जिसका विवरण विकास खण्डवार निम्नवत है :–

सारिणी 6/1 प्राथमिक विद्यालय हेतु /उच्च प्रा0 वि0

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	असेवित बस्तीयों की संख्या (प्रा0 वि0)	असेवित उच्च प्रा0 वि0 हेतु
1.	मथुरा	19	29
2.	फरह	06	08
3.	गोवर्धन	03	09
4.	छाता	06	07
5.	चौमुहाँ	04	11
6.	नन्दगाँव	04	04
7.	मांट	03	13
8.	राया	23	16
9.	नौहझील	03	19
10.	बल्देव	09	10
	योग	72	126

विद्यालय की साज-सज्जा:

सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत प्रत्येक नवीन विद्यालय भवन को सुसज्जित करने के लिये उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अन्तर्गत टाट, पट्टी, श्यामपट्ट, मेज, कुर्सी, अध्यापकों के लिए अलमारी, सन्दूक पंजिकायें खेल सामग्री पुस्तकालये हेतु पुस्तकें एवं अन्य सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराई जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में काष्ठोपकरण शिक्षण सामग्री खेल सामग्री, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

पेयजल सुविधा, शौचालय तथा चाहरदीवारी:

नवीन प्राथमिक एवं उ0प्रा0 विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे। प्रत्येक विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। विद्यालय में चाउण्ड्री वाल भी तैयार कराई जायेगी ताकि बालिकाओं की सुरक्षा तथा विद्यालय प्रांगण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकें।

निर्माण कार्यदायी संस्था:

"सर्वशिक्षा अभियान" योजनान्तर्गत ग्राम-शिक्षा समितियों को यह दायित्व सौंपा गया है कि वे सामुदायिक सहभागिता एवं अपनत्व की भावना को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयों का निर्माण-कार्यों में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

नवीन उ0प्रा0 विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था:

इस योजना में प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उ0प्रा0 विद्यालय की उपलब्धता बनाई गई है। पूर्व से चल रहे प्रा0 वि0 में भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि साधन उपलब्ध है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उ0प्रा0 विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों तक उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय परिसर में ही की जायेगी ताकि प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकें। इस प्रकार नवीन उ0प्रा0

नवीन प्रा० विद्यालय साज सज्जा :

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी । इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा । इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री का क्रय किया जायेगा - मेज़, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, टाटपट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्यामपट्ट, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्विपमेन्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, रिंग, गेंद, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, अबेकस, ज्ञान कोष, खिलौने, चौखट्टे (?) लकड़ी के ब्लाक आदि)। उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी, किन्तु ग्रामीण अंचलों में विज्ञान किट, गणित किट, सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिये इनकी व्यवस्था जनपदीय क्रय समिति के माध्यम से करायी जायेगी ।

<u>नवीन उ०प्र० विद्यालय साज सज्जा-</u> ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी । ग्राम शिक्षा समिति को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी । इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री को क्रय किया जायेगा- मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, गिलास, घण्टा, कूड़ादान, म्यूजिकल इक्यूपमेन्ट, (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि), खेल सामग्री (फुटबाल, वालीबाल, फुटबॉल में हवा भरने का पम्प, नगाड़ा, रस्सा, स्किपिंग रोप), गणित किट, विज्ञान किट, [illegible] आदि आदि तथा शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी) ।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण

सर्वशिक्षा योजनान्तर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्रा0 वि0 की स्थापना प्रथमतः राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आबादी एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी बस्ती में छात्र/छात्राओं की उपलब्धता ध्यान में रखते हुए, जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रति वर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्ययोजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य हेतु रु. 200000/-- दो लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष के हिसाब से रखागया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

सर्वशिक्षा अभियान योजनान्तर्गत विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चहार दीवारी, आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेगे। विकास खण्ड कार्यालय पर कार्यरत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से पर्यवेक्षण कार्य कराया जायेगा ताकि टैक्नीकल रूप से कार्य सही है।

विकास खण्डवार असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	मथुरा	–	02	--	--	--	--	--	--
2.	फ़रह	–	02	--	--	--	--	--	--
3.	गोवर्धन	–	02	--	--	--	--	--	--
4.	बल्देव	–	01	--	--	--	--	--	--
5.	छाता	–	03	--	--	--	--	--	--
6.	चौमुहाँ	–	02	--	--	--	--	--	--
7.	नन्दगांव	–	02	--	--	--	--	--	--
8.	माँट	–	04	--	--	--	--	--	--
9.	राया	–	02	--	--	--	--	--	--
10.	नोहझील	–	04	--	--	--	--	--	--
	योग	–	24	--	--	--	--	--	--

विकास खण्ड वार असेवित बस्तियों में विद्यालयों की स्थापना

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
1.	मथुरा	04	15
2.	फरह	2	10
3.	गोवर्धन	2	14
4.	बल्देव	2	12
5.	छाता	2	09
6.	चौमुहाँ	2	11
7.	नन्दगांव	2	9
8.	माँट	2	8
9.	राया	03	10
10.	नोहझील	03	13
	योग	24	111

उच्च प्राथमिक विद्यालय

विकास खण्डवार एवं वर्षवार असेवित बस्तियों में उ० प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	मथुरा	01	08	–	–	--	--	--	--
2.	फरह	01	08	–	–	--	--	--	--
3.	गोवर्धन	02	08	–	–	--	--	--	--
4.	बल्देव	02	09	–	–	--	--	--	--
5.	छाता	02	10	–	–	--	--	--	--
6.	चौमुहाँ	02	08	–	–	--	--	--	--
7.	नन्दगांव	01	08	–	–	--	--	--	--
8.	माँट	04	10	–	–	--	--	--	--
9.	राया	01	08	–	–	--	--	--	--
10.	नोहझील	06	12	–	–	--	--	--	--
	योग	22	89	---	–	--	--	--	--

अध्याय – 7

शिक्षा की पहुंच का विस्तार–II

शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवम् नवाचार शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 11 वय वर्ग एवम 9 से 14 वय वर्ग के बच्चे जो भौगोलिक, सामाजिक तथा स्थानीय परिस्थितियों के कारण ड्राप आउट हो जाते हैं। ऐसे बच्चा को औपचारिक शिक्षा के समानान्तर व्यवस्था उपलब्ध कराकर शिक्षा ग्रहण कराने का अवसर प्रदान करना है। जिसमें अनौचारिक शिक्षा के कमियों का निराकरण करके शिक्षा गारंटी/योजना वैकल्पिक शिक्षा एवम् नवाचार शिक्षा को क्रियान्वित किया जायेगा।

औपचारिक शिक्षा :

जनपद मथुरा में भी प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्न विकास खण्डों में अनौपचारिक केन्द्र चलाये गये।

1. मांट
2. फरह
3. बल्देव
4. नौहझील

प्रत्येक विकास खण्ड में 100 अनौपचारिक केन्द्र खोले गये थे। जपनद मथुरा में कुल 400 केन्द्र संचालित कर प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया गया।

अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत बच्चों का नामांकन

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	नामांकन		योग
		बालक	बालिका	
1.	फरह	1353	1126	2479
2.	बल्देव	1316	1230	2549
3.	मांट	1384	1118	2502
4.	नौहझील	1851	664	2515
	योग	5907	4138	10045

डी0 पी0 ई0 पी0।।। योजनान्तर्गत जनपद में प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की दिशा में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2000–01 में 10 विद्या केन्द्र तथा 05 मकतब संचालित है। जिसमें क्रमशः 452 तथा 228 बच्चों को नामांकन किया गया है। उपरोक्त क्रम वर्ष 2001–02 में क्रमशः 10 विद्या केन्द्र एवम 15 मकतबों को खोला जायेगा। उच्च प्राथमिक शिक्षा में भी शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विद्या केन्द्र, ब्रिज कोर्स, प्रहर पाठशालाओं को संचालित किया जाएगा।

डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत खुले वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	वैकल्पिक शिक्षा / मकतब		छात्रों का नामांकन
		विद्या केन्द्र	मकतब	
1.	मथुरा	02	—	98
2.	राया	02	01	142
3.	फरह	—	01	47
4.	मांट	—	01	38
5.	गोहझील	01	—	51
6.	नन्दगाँव	02	—	78
7.	छाता	01	02	139
8.	गोवर्धन	01	—	46
9.	चौमुहाँ	01	—	41
	योग	10	05	680

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अनौपचारिक केन्द्र

(वर्ष 2002 से 2007 तक)

	प्रस्तावित केन्द्र	संचालित केन्द्र	2003-04 से संचालित होने वाली केन्द्रों की सं०	नामांकित बच्चों की संख्या		
				बालक	बालिका	योग
ई०जी०एस०	51	20	41	1235	1339	2574
ए०आई०ई० (प्रा० स्तर)	30	20	10	588	1103	1691
ए० आई०ई० (उ०प्रा०स्तर)	45	—	30	333	747	1080

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद मथुरा हेतु कुल 31 ई०जी०एस० तथा 75 ए०आई०ई०/ज्ञान केन्द्रों को खोले जाने का प्रावधान है जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है।

वर्ष	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	योग
विद्या केंद्र	20	-		20	10	-	-	-	51
AIE/ज्ञान केन्द्र(U.P.S)		-	15	-	—	—	—	—	75
AIE (P.S)	—	—	10	20	—	—	—	—	30

प्रस्तावित ई0जी0एस0 की सूची

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित केन्द्रों की (प्राथमिक शिक्षा) संख्या	उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रस्तावित केन्द्रों की सूची
1.	मथुरा	04	05
2.	फरह	03	05
3.	गोवर्धन	02	03
4.	छाता	03	05
5.	बल्देव	02	03
6.	चौमुहाँ	04	05
7.	नन्दगाँव	03	06
8.	मांट	03	05
9.	राया	03	03
10.	नौहझील	04	05
	योग	31	45

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम

ड्राप आउट एवम् अधिक आयु हो जाने के कारण शैक्षणिक/मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाऐगी। उपरोक्त केन्द्रों के संचालन हेतु प्राथमिक स्तर केन्द्रों हेतु 01 अनुदेशक तथा उच्च प्राथमिक केन्द्रों केलिए 02 अनुदेशकों की व्यवस्था की जाऐगी।

शिक्षा गारन्टी योजना एवम् वैकल्पिक नवाचार शिक्षा के तहत प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु जनपद मथुरा के सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक एवम् उच्च प्राथमिक की शिक्षा सुविधा प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

ग्वाला समस्या :

जनपद मथुरा के विकास मांट यमुना नदी के किनारे पडने वाले गांव एवं बस्तियों के बच्चों की एक बड़ी संख्या अपने घर के जानवरों को चराने के कार्य में संलग्न होने के कारण औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उपरोक्त वर्णित कारणों से इस क्षेत्र विशेष में बच्चों के शत प्रतिशत नामांकन एवम् ठहराव को सुनिश्वत कराने हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के खोलने का प्रस्ताव किया जा रहा है। विशेष कर इन केन्द्रों के संचालन का समय सांयकालीन रखा जोयगा, सांय 02 बजे से 06 बजे तक कुल 4 घण्टे।

ब्रिज कोर्स

जनपद मथुरा के मांट विकास खण्ड में एक बंजारा समुदाय विगत कई वर्षों से यहां पर आता है। जिनके साथ 6 से 11 वय वर्ग एवम् 9 से 14 वय वर्ग के बच्चे भी वहां पर आते हैं। सम्बन्धित विकास खण्ड के समन्वयकों को स्थानीय व्यक्तियों द्वारा यह अवगत कराया कि ये समुदाय लगभग 04 माह सितम्बर से दिसम्बर माह तक आवास करते हैं। उपरोक्त स्थानान्तरित बच्चें को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने हेतु इस स्थान विशेष पर ब्रिज कोर्स प्रस्तावित किया जा रहा है।

चाहरदीवारी

जनपद अध्यात्मिक शहर होने के कारण वर्ष के लगभग प्रत्येक माह में श्रद्धालु द्वारा धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया जाता है। इससे, गोवर्धन, बल्देव, गोकुल, महावन, बरसाना, नन्दगांव के मन्दिर परिसर एवम् भ्रमण मार्ग के समीप के प्राथमिक/उच्च प्रा0 विद्यालयों से बच्चें भीख मांगने हेतु भाग जाते हैं जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है इस समस्याओं के निराकरण हेतु उपरोक्त धार्मिक स्थलों के सभी विद्यालयों के बाउण्ड्री वाल चाहरदीवारी प्राथमिकता के आधार पर निर्माण किए जायेंगे।

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	धार्मिक स्थल का नाम	विद्यालयों की संख्या		योग
			प्रा0 वि0	उ0प्रा0वि0	
1.	गोवर्धन	गोवर्धन गिरिराज परिक्रमा मार्ग	15	03	18
2.	वल्देव	वल्देव, गोकुल, महावन	05	01	06
3.	नन्दगाँव	बरसाना, नन्दगाँव	06	02	08
		योग	26	06	32

ईंट भट्टा मजदूर – प्रहर पाठशाला

जनपद के विकास खण्ड नौहझील में लगभग 40 से 50 भट्टे वर्तमान समय में संचालित हैं। यहां पर उक्त ग्राम में बड़ी संख्या में श्रमिक कार्य में संलग्न हैं। यहां पर दो प्रकार के बच्चे हैं। एक वर्ग श्रमिक नहीं है तथा दूसरा वर्ग जो श्रमिक है। ये अपने माता–पिता के साथ ईंट बनाने के कार्य में संलग्न हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के सार्वव्यापीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहां पर आवश्यकता के अनुरूप वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के मॉडलों को खोला जाएगा 68 विद्या केन्द्र एवं प्रहर पाठशाला को खेलने हेतु प्रस्तावित है। तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 187 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का प्रस्ताव किया गया है।

बालिका शिक्षा

जनपद के विकास खण्ड नन्दगांव, छाता, चौमुहां, नौहझील, मांट में साक्षरता अपेक्षाकृत कम है। चौमुहां विकास खण्ड का सहार एवंग् नन्दगांव के ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता न्यूनतम के साथ बालिकाओं का नामांकन एवम् ठहराव भी कम है। उपरोक्त क्षेत्रों विशेष प्रकार के कार्यक्रमों को संचालित कर बालिकाओं के नामांकन दर एवं ठहराव में वृद्धि की जाऐगी।

समय :

वैकल्पिक एवमं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत खोले जाने वाले केन्द्रां के संचालन समय 04 घंटे/दिन रखा गया है। जिसमें 01 घंटा अनुदेशक को अपनी तैयारी के लिए तथा 03 घंटे शिक्षण कार्य हेतु रखे गये हैं।

अनुदेशक चयन प्रक्रिया :

अनुदेशक उसी समुदाय एवं स्थान का होगा जहां पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र को खोला जायेगा यदि उस स्थान एवं समुदाय विशेष का अर्ह व्यक्ति न मिलने पर न्याय पंचायत स्तर/जिला स्तर से आवेदन पत्र प्राप्त कर चुनाव किया जा सकता है।

योग्यता :

अनुदेशक पद हेतु न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल तथा न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए महिला अनुदेशक को प्राथमिकता दी जाएगी।

किसी अनुदेशक का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति 2/3 बहुमत से प्रस्ताव रखकर अनुदेशक को हटाया जा सकता है। तथा ग्राम शिक्षा समिति का लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशक का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक, नगर क्षेत्र सभासद सम्बन्धित वार्ड नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम् प्रधानाध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

प्रशिक्षण :

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयनित अनुदेशकों का एक माह का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवम् प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु धनराशि जिला स्तरीय समिति द्वारा 1500 रुपये की धनराशि प्रति अनुदेशक की मद से जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में अनुदेश को कोई मानदेय—अनुदेशक मानदेय देय नहीं होगा। अनुदेशक को वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु वितरण 1000/— की धनराशि अनुदेशक की दर से केन्द्रों के सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी

जिसे अध्यक्ष एवम सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा अनुदेशक को चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

पर्यवेक्षण :

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के सफल संचालन हेतु शैक्षिक सपोर्ट एवम पर्यवेक्षण कार्य समय समय पर नियमित रूप से सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0डी0आई0/ब्लाक रिर्सोस पर्सन/एस0आर0जी0/न्याय पंचायत समन्वयक/ब्लाक समन्वयक जिला समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति एवम अनुदेशक की मासिक बैठक आयोजित की जाएगी तथा उपरोक्त बैठकों का अनुश्रवण न्याय पंचायत समन्वयकों द्वारा किया जायेगा।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री :

प्रत्येक वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के साज–सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु 2350 रुपये की धनराशि प्रति केन्द्र दिया जायेगा। यह धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में स्थनान्तरित किया जायेगा। जिससे केन्द्रों के संचालन हेतु आवश्यक शिक्षण सामग्री को ग्राम शिक्षा समिति क्रय करके सम्बन्धित केन्द्रों के अनुदेश को उपलब्ध करा दी जायेगी।

मूल्यांकन :

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अन्तर्गत अध्ययनरत बच्चों का नियमित रूप से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बधित केन्द्र के अनुदेशक द्वारा किया जायेगा तथा बच्चों को निकटतम प्राथमिकि विद्यालयों में औपचारिक शिक्षा हेतु मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।

प्रबन्धन लागत :

विकास खण्ड स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों पर प्रबन्धन की अधिकतम लागत निम्नवत है।

80 से 100 केन्द्रों के मध्य	2.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष
50 से 80 केन्द्रों के मध्य	2.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष
25 से 50 केन्द्रों के मध्य	1.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष
25 केन्द्रों से कम	रुपया 100.00 प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष

वर्तमान सर्वेक्षण के आधार पर विभागीय मानक के अनुसार उच्च प्रा0 वि0 खोलने हेतु विकास खण्डवार निम्नवत सारिणी में अंकि असेवित बस्तियां पाई गई हैं। जहां 800 से अधिक आबादी तथा तीन किलोमीटर की दूरी पर उच्चतर प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ऐसी असेवित बस्तियों की संख्या जनपद मथुरा में 120 होती है जहां इस योजनान्तर्गत विद्यालय खोले जाने होंगे।

सारिणी 6/3 उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु

	तीन किमी. से कम दूरी पर परिषदीय मान्यता प्राप्त उच्च प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	तीन किमी. से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्रा0 विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय
ऐसे ग्राम / बस्ती की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	367	130	111
ऐसी बस्तियों/ग्रामों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है।	807	64	45

शिक्षकों की व्यवस्था

सर्वशिक्षा अभियान योजनान्तगत मानक के अनुसार प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था प्रस्तावित है। यह व्यवस्था उत्तरोत्तर छात्रा संख्या के अनुपात में बढाई जायेगी प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा चार सहायक अध्यापकों सहित कुल पांच अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है। चार अध्यापकों में से एक अध्यापक विज्ञान व गणित विषय हेतु होगा तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु एक महिला शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षकों के चयन में 50% महिलाओं के आरक्षण का प्राविधान किया गया है।

ब्रिज कोर्स:

ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कौलीन/क्षेत्र आधारित शिविर सड़क/प्लेटफार्म मलिन बस्तियों दुकानों, घुमन्तू बच्चों, नौकरी पेशे कुलीगिरी करने वाले बच्चों तथा बाल श्रमिकों/खतरे के उद्योगों में लगे 9 से 14 वय वर्ग के बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्रविशिष्ट आधारित शिविर संचालित किये जायेंगे।

विकास खण्ड मांट में 1 ब्रिज कोर्स केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से संचित रहे इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है ।

प्रत्येक ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविरों में 9 से 14 वय वर्ग के न्यूनतम 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेंगे। ये शिविर पूर्णतया आवासीय होंगे तथा इन शिविरों में बच्चों के रहने खाने-पीने तथा शिक्षण आदि की शिक्षा निशुल्क होगी।

वर्ष	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	योग
ब्रिज कोर्स	—	89	—	—	—	—	—	—	89

निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ब्रिज कोर्स/शिविरों के लिए एक (1) केयर टेकर दो (2) पैराटीचर एक (1) कुक तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी और उपरोक्त पद का चयन मानक प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा जिसके लिए जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकालीन अवधि हेतु संविदा के अन्तर्गत व्यवस्था की जायेगी। केयर टेकर/अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था,

छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षण सामग्री आदि के लिए वित्तीय मानक प्राइमरी एवं उच्च प्राथमिक की भांति रखी जायेगी। मात्र आवासीय व्यवस्था खान-पान की निःशुल्क व्यवस्था एवं साज सज्जा आदि के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी। अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था ग्राम पंचायत/ग्राम शिक्षा समिति/जन समुदाय का सहयोग/कुछ अंशदान प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

शिविरों की अवधि 4 माह से 18 माह तक रखी जायगी इन हेतु 3000.00 प्रति छात्र/छात्रा अनुमन्य होगी।

स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता:

प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्वयं सेवी संगठनों से ज्यादा से ज्यादा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ब्रिज कोर्स के संचालित कराने में सहयोग लिया जायेगा।

हाउस होल्ड सर्वे के तहत चिन्हित बच्चों के प्रवेश हेतु तैयार की गयी रणनीतियॉ

जनपद मथुरा में मई व जून 2003–2004 में हाउस होल्ड सर्वे कराया गया जिसमें 5+ से 14 वय वर्ग के कुल 63027 बच्चे विद्यालय में प्रवेश हेतु चिन्हित किये गये। उपरोक्त चिन्हित बच्चों का स्कूल न जाने के कारण का विश्लेषण पर मुख्यतः निम्न कारण उभर कर आये।

क्रं.सं. कारण	बच्चों की संख्या वय वर्ग		
	5+से6+	7+10+	11से14
1. अपने घर के कामों में लगे रहना	–	3330	3844
2. मजदूरी में लगे रहना	–	–	–
3. भाई बहनों की देख भाल	–	3922	3661
4. विद्यालय दूर होने के कारण	1975	415	–
5. अन्य	42609	1540	1257

उपरोक्त मुख्य 4 कारणों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को विद्यालय की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कार्य किये जा रहे हैं। क्रमांक 5 में अन्य शीर्षक में मुखयतः ऐसे बच्चे ही जो जुलाई में आयु 5 वर्ष के हो रहे हैं या हो चुके उनके शतप्रतिशत प्रवेश को सुनिश्चित करके जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा रा0प0 कार्यालय के निर्देशन में टास्क फोर्स का गठन करके, एम0टी0एम0, पी0टी0ए0 स्कूल चलो अभियान, डोर टू डोर सम्पर्क एवं अभिभावक काउन्सेलिंग के माध्यम से दिनांक 30.08.2003 तक कुल प्रवेश हेतु चिन्हित 63027 बच्चों के सापेक्ष 89.25 प्रतिशत बच्चों का प्रवेश प्रा0वि0 एवं जूनियर विद्यालयों में कराया जा रहा है। शेष जो शाला त्यागी श्रमिक एवं एक लम्बे समय से विद्यालय नहीं गये एवं ऐसे बच्चे जिनके पहुँच में विद्यालय नहीं हैं। जिसके लिये निम्न कार्य योजना संचालित है।

1. <u>ब्रिज कोर्स (न्याय पंचायत स्तर पर)</u>

कुल 89 न्याय पंचायत में से 82 केन्द्र चयनित हो चुके हैं। जिसमें 164 अनुदेशक का चयन किया जा चुका है। उक्त ब्रिज कोर्स में नामांकित बच्चों को कक्षा–1 से 5 तक की शैक्षिक दक्षता प्रदान करने के उपरान्त विद्यालयों से जोड़ दिया जायेगा।

.....2

2. अनुसूचित जाति/जन जाति

जनपद, मथुरा में अनुसूचित जाति/जनजाति बच्चों हेतु कुल 5 ब्रिज कोर्स दिनांक 05.09.2003 से संचालित किये जा रहे हैं। जिसमें कुल 215 बच्चे नामांकित हैं। इन बच्चों को कक्षा–1 से 3 तक की शैक्षिक दक्षता प्रदान करने के उपरान्त विद्यालय से जोड़ दिया जायेगा।

3. आवासीय ब्रिज कोर्स

उक्त ब्रिज कोर्स जनपद, मथुरा में शैक्षिक संगठन महिला सम आख्या के द्वारा संचालित कराया जाना प्रस्तावित है जिसमें विद्यालय न जाने वाली 60 बालिकाओं को शैक्षिक दक्षता प्रदान कर विद्यालय से जोड़ दिया जायेगा।

4. ए0आई0ई0/ई0जी0एस0 केन्द्र

जनपद मथुरा में 11 से 14 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये 30 ए0आई0ई0 केन्द्र प्रस्तावित है जिसके तहत 16 ए0आई0ई0 केन्द्रों का चयन किया जा चुका है तथा शेष केन्द्रों के स्थल एवं अनुदेशकों का चयन की कार्यवाही चल रही है। उक्त के माध्यम से कुल 908 बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

जनपद में 6 से 11 वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कुल 40 केन्द्र संचालित हैं जिसमें 1280 बच्चे अध्यतन हैं।

जनपद--[illegible]

वर्ष 2003–04 के लिए ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों की स्थिति –

दिनांक–15.06.03

क0 सं0			लक्ष्य	स्थल चयन की स्थिति	अनुदेशक चयन की स्थिति	प्रशिक्षण की स्थिति	केन्द्र संचालन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ई0जी0एस0		20	20	20	20	20
2	ए0आई0ई0	प्राथमिक	20	20	20	20	20
		उच्च प्रा0	30	30	05	—	—
3	[illegible]	गैर आवासीय	69	62	56	—	—
		आवासीय	01	निदेशक [illegible] की जा चुकी है।			
	योग		160	132	103	40	40

नामांकन हेतु कार्ययोजना

जनपद–मथुरा

क0सं0	जनपद का नाम	उन बच्चों की संख्या जिनका नामांकन 31-अगस्त तक नहीं हो सका है ।			नामांकन कराने हेतु प्रयास						विशेष
					ई0जी0एस0	ए0आई0ई0		ब्रिजकोर्स			
		बालक	बालिका	योग		प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	आवासीय	गैर आवासीय	SCST ब्रिजकोर्स	
1	मथुरा	2976	3798	6774	—	—	1080	60	5073	215	शेष 346 बच्चों को विशेष प्रयास कर 30 सितम्बर तक नामांकित कराने का प्रयास किया जायेगा. ।

अध्याय-8
ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

प्राय: अब तक यह अनुभव किया जाता है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में एक कठिनाई आती है और वह यह है कि बालक/बालिकाओं का विद्यालय में पंजीकरण तो हो जाता है किन्तु कतिपय कारणों से ठहराव में वृद्धि न होने के कारण ड्राप आउट की समस्या आती है। सर्व शिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्धि करने के लिए कारगर प्रयास किये जा रहे है जिनमें मुख्य प्रयास निम्नवत् है:-

सारिणी-8-1
वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता मांग

क्र.सं.	आइटम/सुविधा का नाम	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक
1.	नवीन विद्यालय	21	111
2.	अ. विद्यालय का पुनर्निर्माण	33	20
	ब. लघु मरम्मत	35	23
3.	अ. अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	338	21
	ब. दीर्घ मरम्मत	शून्य	शून्य20
4.	पेयजल सुविधा	35	15
5.	शौचालय	507	40
6.	चहार दीवारी	—	—

प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त कक्षों की मांग निम्नलिखित आधार पर निकाली गई

	संख्या
1. एक कक्षीय 52 विद्यालयों में प्रत्येक में एक अतिरिक्त कक्ष	52
2. 784 अन्य प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष	
कुल कक्षों की संख्या	784

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षो में शिक्षकों की आवश्यकता

MATHURA

क्र0 सं0	वर्ष	SSA में प्रस्तावित कुल अति.शिक्षक	SSA में प्रस्तावित शिक्षा मित्र	अन्य शिक्षक	अन्य शिक्षा मित्र	क्रमागत शिक्षक	क्रमागत शिक्षा मित्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	2002-03	-		-	195	-	195
2-	2003-04	24	389	341	-	341	584
3-	2004-05	-	341	50	—	391	925
4-	2005-06	-	51	51	—	442	976
5-	2006-07	-	52	52	—	494	1028

प्राथमिक विद्यालयों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

MATHURA

क्र0 सं0	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षामित्र	योग (3+4)	40:1 दर से शिक्षक	कुल आवश्यक शिक्षक/शिक्षा मित्र	शिक्षक	शिक्षा मित्र
1	2002-03	179623	3325	195	3520	4490	970		
2	2003-04	183663	3520	389	3909	4591	682	341	
3	2004-05	187703	4250	341	4591	4692	101	50	392
4	2005-06	191832	4601	51	4652	4795	103	51	51
5	2006-07	196052	4743	52	4795	4901	106	53	53

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता

MATHURA

क्र0	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	विद्यालय संख्या	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवश्यक कक्षा कक्ष औसतन 3 कक्षा कक्ष प्रति विद्यालय	SSA के अन्तर्गत प्रस्तावित अति. कक्षा कक्ष
	1	2	3	4	5	6
1-	2002-03	179623	1087	2467	3261	-
2-	2003-04	183663	1087	2467	3261	238
3-	2004-05	187703	1087	2705	3261	256
4-	2005-06	191832	1087	2961	3261	[illegible]
5-	2006-07	196052	1087	3261	3261	—

सन 2001 **की** जनगणना क आधार पर गांववार विस्तृत आंकड प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

अतिरिक्त कक्षा-कक्षा की आवश्यकता हेतु वर्षवार विवरण
(उ० प्रा०स्तर)

वर्ष	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष की संख्या
2002-03	12
2003-04	09
2004-05	~~100~~
2005-06	100
2006-07	~~143~~
2007-08	—
2008-09	—
2009-10	—
योग	~~364~~

उपरोक्त में से डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत वर्ष 2001–2002 में निर्माण कराने का प्रस्ताव 80 कक्षों का है तथा इस प्रकार कुल अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता है।

विद्यालय विकास अनुदान :

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय भवन के रख रखाव हेतु प्रति वर्ष 5000.00 रूपये का अनुदान दिया जायेगा और 2000.00 रू0 प्रतिवर्ष विद्यालय विकास अनुदान दिया जायेगा।

वर्ष	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07
प्रा0 वि0	–	25	1111	1111	1111
उ0प्रा0वि0	179	326	340	432	432

अतिरिक्त कक्ष :

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों में 52 एवं 784 अन्य प्रा0 विद्यालयों में 2175 कक्षों की तीन कक्षीय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय चार कक्षीय हो जायें। कक्ष बनवाने हेतु 2003–04 क्रमशः 138 एवं 100–100 का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	योग
प्रा0 वि0	–	238	256	200		794
उ0प्रा0वि0	12	09	100	100	143	364

शौचालय :

जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 40 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें शौचालय उपलब्ध नहीं हैं। 2003–04 से क्रमशः 10, 20 एवं 10 शौचालय बनवाने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	योग
प्रा0 वि0	20	–	197	190	100	507
उ0प्रा0वि0	–	10	20	10	–	40

उच्च प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।

पेयजल व्यवस्था :

जनपद में 20 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहॉ पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। अतः इन विद्यालयों के लिये वर्ष 2001–2002 में इन विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था हेतु लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	योग
प्रा0 वि0	–	–	10	15	10	35
उ0प्रा0वि0	–	–	05	10	10	25

पुनः निर्माण प्राथमिक विद्यालय :

जनपद में 33 प्राथमिक विद्यालय के भवन जर्जर हो चुके हैं। अतः इनके पुनः निर्माण हेतु वर्ष 2003—04 वर्ष 2004—05 वर्ष 2005—2006 में क्रमशः 13, 10 एवं 10 का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष	02—03	03—04	04—05	05—06	06—07	योग
प्रा0 वि0	—	—	13	10	10	33
उ0प्रा0वि0	—	—	10	10	—	20

मरम्मत एवं रख—रखाव विद्यालय :

जनपद के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 5000.00 रू0 प्रति विद्यालय प्रति वर्ष विशेष अनुदान वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

जनपद में [illegible] प्राथमिक विद्यालय तथा 316 उ0प्रा0 वि0 लघु मरम्मत योग्य हैं, जिनकी मरम्मत हेतु 20000.00 रू0 बीस हजार रूपये की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 33 प्राथमिक विद्यालय तथा 20 उ0प्रा0 विद्यालय वृहद मरम्मत योग्य हैं। उसकी मरम्मत हेतु रू0 70000.00 रूपये सत्तर हजार रूपये की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकारी जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहद मरम्मत की स्वीकृति का अधिकारी परियोजना कार्यालय को होगा।

बालिका शिक्षा :

राष्ट्रीय उन्नति एवं विकास तभी पूर्ण हो सकता है जबकि जन समुदाय के सभी लोग पढ़े लिखे हों जायें। इस बात की महत्ता का अनुमान लगाते हुए भारतीय संविधान 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु बालक/बालिकाओं की शिक्षा का प्राविधान सवीकार किया है। संविधान में

राज्य को निर्देश दिया गया है कि इस आयु वर्ग के बच्चो के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान किया जाये।

संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार नागरिकों को हर प्रकार के भेदभाव, धर्म एवं जाति, लिंग एवं जन्म के स्थान पर आधारित उत्पीडन से रक्षा करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं ने संविधान में बालिकाओं की शिक्षा वचन बद्धता का समर्थन किया है एवं अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया है। बालिका–शिक्षा के प्रचलित परिवेश एवं रणनीतियों में समय के साथ बदलाव आया है। वर्ष 1986 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और तत्पश्चात् प्रारम्भ की गई कार्यनीति के अन्तर्गत महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा को स्तर में बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में स्थापित किया है। महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने एवं प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुंच एवं धारणा में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने को प्राथमिकता दी जायेगी एवं इसके विशेष सहायक सेवा में, समयबद्ध लक्ष्य एवं उत्तम अनुश्रवण होगा।

उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर राष्ट्रीय दर 52.2 प्रतिशत के विपरीत 41.6 प्रतिशत है। महिलाओं एवं पुरुषों की राष्ट्रीय साक्षरता दर कई जिलों में 7 प्रतिशत से भी कम है नामांकन आंकड़े न केवल जोडकर व सामाजिक समूहों पर आधारित भिन्नता दर्शाते हैं अपितु यह पर्याप्त रूप से नगर ग्राम असमानता को भी दर्शाते हैं। यह अनुमान है कि स्कूल में दाखिल होने वाले छात्रों में से 55 प्रतिशत छात्र कक्षा – 3 उत्तीर्ण करने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ कर चले जाते हैं।

उ0 प्र0 में बालिकाओं के कुल नामांकन अनुपात में वर्ष 1996–97 से वर्ष 1999–2000 के मध्य 14.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण वर्ष 1999–2000 में बालिकाओं के जी0ई0आर0 में 98 प्रतिशत की वृद्धि है। जो वर्ष 1996–97 में 80.4 प्रतिशत बेसिक शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 केअनुसार राज्य का कुल नामांक 100 प्रतिशत है वर्ष 1999–2000 में बालकों के लिये 105.3 प्रतिशत एवं बालिकाओं के लिये 98.7 प्रतिशत है। वर्ष **1999–2000 बालिकाओं के लिये 96–97 में कुल नामांकन अनुपात की तुलना में यह 24.6 प्रतिशत है।**

C Gender Training :

जनपद के कुल 478 ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बालिका शिक्षा के प्रति उनकी संवेदनशील में अभिवृद्धि हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण कराये जाने का प्राविधान किया गया है। जिसके तहत बालिकाओं के नामांकन ठहराव एवं गुणवत्ता संवर्धन के प्रति संवेदनशील बनाया जायेगा। साथ ही बालिकाओं की शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अपने ग्राम स्तर की समस्याओं के अनुरूप नियोजन किये जाने के संदर्भ में भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

वर्ष	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	योग
वी0ई0सी0 की सं0	478	–	478	–	478	1434

आदेश संकुल निर्माण (एम0डी0डी0ए0) :

जनपद के बालिकाओं की शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन हेतु जनपद के जिन न्याय पंचायत केन्द्रों में महिला साक्षरता न्यून है उनको आदर्श संकुल के रूप विकसित किये जाने का प्राविधान ही जहॉ पर बालिका शिक्षा की विशेष समस्याओं के अनुरूप उनकी शिक्षा के सर्वव्यापीकरण तथा गुणवत्ता संवर्धन हेतु विशेष प्रकार के कार्यक्रम किये जायेंगे। जनपद मथुरा में कुल 20 आदर्श संकुल का निर्माण किया जायेगा।

वर्ष	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	योग
न्याय पंचायत	–	–	10	10	–	20

ग्रीष्मकालीन शिविर :

जनपद के ऐसे विकास खण्ड, न्याय पंचायत अथवा ग्राम क्षेत्र विशेष जहॉ पर बालिका शिक्षा का नामांकन दर अत्यधिक न्यून है तथा ठहराव कम रहा है वहॉ ग्रीष्मकाल में स्कूल न जाने वाली या पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं का 15 दिवसीय शिविर लगाया जायेगा जहॉ पर उनको शिक्षा प्रदान कर उनकी आयु एवं सम्प्राप्ति स्तर के अनुरूप मुख्य स्कूल से जोड़े जाने का प्राविधान किया गया है। जनपद में कुल 100 ग्रीष्मकालीन शिविर चलाये जायेंगे।

वर्ष	02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	योग
शिविरों की सं0	–	–	60	40	–	100

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कम्प्यूटर शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा में कम्प्यूटर के उपयोग किए जाने से सार्थक परिणाम की सम्भावना है। कम्प्यूटर शिक्षा से जहाँ एक ओर जहाँ लक्ष्यों को सीखने में मदद मिलेगी वही दूसरी ओर शिक्षकों को विषय सामग्री को बच्चों के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में सुविधा होगी। शिक्षकों तथा बच्चों दोनों को सर्वोत्तम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकेंगे । कम्प्यूटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिये परियोजना जनपदों में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्यूटर कार्यक्रमों को अन्तर्गत प्रथमतः प्रतिवर्ष 10-10 विद्यालयों को चयनित किया जायगा तथा एक जनपद में सम्पूर्ण परियोजना अवधि में कुल 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के प्रावधान हेतु प्रतिवर्ष एक मुश्त 60,000/- रू. व्यय किये जायेंगे

वर्षवार	2001-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10
कम्प्यूटर हेतु उ.प्रा. विद्यालयों की संख्या	—	—	10	10	5	5	—	—	—

कार्यक्रम :

बालिकाओं की शिक्षा हेतु समुदाय के साथ कार्य करना। प्राथमिक शिक्षा की सामुदायिक स्वामित्व प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये सामाजिक सहभागिता अति आवश्यक है। सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन देने हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना एवं जिला प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत कई संगठनात्मक नीतियों का क्रियान्वयन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति में से कम से कम तीन महिला सदस्यों को लेने का प्राविधान है। इनमें एक ग्राम पंचायत की निर्वाचित सदस्या, एक अनुसूचित जाति की नामांकित महिला तथा एक नामांकित माँ का होना आवश्यक है।

बालिकाओं की शिक्षा के लिये सामुदायिक सहभागिता निम्नांकित होगी।

1. बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं विद्यालय प्रबन्धन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहन।
2. महिला समूहों का संगठन एवं महिला समाख्या का साथ–साथ उसका समन्वयन।
3. ग्राम शिक्षा समिति माता शिक्षक संघ अभिभावक शिक्षक संघ।
4. ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
5. बालिकाओं की अवश्यकता के प्रति प्रशिक्षण की जागरूकता को प्रोत्साहन देना।

मीना अभियान :

डी0 पी0 ई0 पी0 कार्यक्रम के तहत बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सामुदायिक वचनबद्धता के विकास के लिए "मीना कैम्पेन" नामक एक विशेष योजना प्रारम्भ की गई है। यह यूनीसेफ द्वारा 'मीना' नाम बालिका पर तैयार भव्य हास्य सामग्री का प्रयोग इस योजना में किया जाता है।

'मां बेटी मेला' 'एवं 'महिलाओं की संसद' :

बालिकाओं की शिक्षा के विषय में महिलाओं का संगठित होना आवश्यक है और इस उद्देश्य से 'मां बेटी मेलों' और 'महिला संसदों' का आयोजन किया जाता है। इसके

कार्यान्वियन के एक वर्ष के अन्दर लगभग माँ–बेटी मेलों एवं महिला संसद का आयोजन किया गया है जिनके मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :–

1. आवश्यक सामग्री का वितरण तथा बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता का विकास करना।

2. बालिकों की शिक्षा के विषय में माताओं को शिक्षित करना।

3. शिक्षकों तथा अभिभावकों के मध्य क्रियाशील सम्बन्ध स्थापित करना।

4. बालिकाओं द्वारा अनुभव की गई समस्याओं के प्रति ध्यान आकृष्ट करना।

5. बेटे और बेटियों के प्रति लोगों के विचारों को जानने के लिये जैण्डर आधारित वार्ताओं का आयोजन करना।

6. वर्तमान शिक्षा प्रणली से उपसमिति लोगों से इसे प्रभावशाली बनाने का आग्रह।

मीना कैम्पेन

क्र. सं.	न्याय पंचायत का नाम	माँ–बेटी मेला	मीना कैम्पेन
1.	सतोहा	1	9
2.	शेरनी	1	5
3.	हाथिया	1	5
4.	बेरी	1	4
5.	सहार	1	3
	योग	5	26

समानता के लिए शिक्षा :

महिला संगठनों के अतिरिक्त "महिला समाख्या कार्यक्रम" विभिन्न आयु वर्गों के लिये शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। महिला समाख्या के कार्यक्रम में शैक्षिक एवं अन्य हस्तक्षेप समुदायों जैसे महिला संघो के साथ मिलकर विकसित किये गये हैं।

इन प्रयासों से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये "किशोरी केन्द्र" "महिला शिक्षण केन्द्र" खोलना शामिल है। महिला समाख्या का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण इस प्रकार है।

1. महिलाओं की शौक्षिक प्राथमिकताओं का आदर करना।
2. व्यक्तिगत विविधता के आदर एवं सोच विचार के लिए समय।
3. समुदाय एवं ग्रामीण स्तरीय कार्यक्रमों में महिला संघों की भागीदारी के लिये समर्थन बनाना।
4. शैक्षिक प्रतिभाओं में जेन्डर संवेदनशीलता।
5. बालिकाओं एवं महिलाओं की शिक्षा के अनुकूल वातावरण का निर्माण।

उत्तर प्रदेश में पुरुषों एवंग महिलाओं के मध्य लिंग भेद पर आधारित शैक्षिक असमानता को ध्यान में रखते हुए महिला समाख्या की वैकल्पिक शिक्षा के आवास एवं प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

Child Education Centre *बाल केन्द्र :*

जब संघ की महिलाओं ने बाल शिक्षा का महत्व अनुभव किया तो उन्होंने अपने घर के पास ही बच्चों की शिक्षा व्यवस्था चाही। अतः बाल केन्द्रों की स्थापना हुई। इस में विशेष रूप से उन कन्याओं को शिक्षा के अवसर मिले जो औपचारिक शिक्षालयों तक नहीं पहुंच सकती हैं।

किशोरी केन्द्र :

छोटे बच्चों की शिक्षा बाल केन्द्रों पर स्तम्भित है लेकिन ऐसी किशोरियां जो प्राथमिक शिक्षा के बाद प्रायः स्कूल छोड़ कर बैठ जाती हैं। अतः महिला समुदाय एवं किशोरियों से

विचार विमर्श के बाद किशारी केन्द्र कायम किये गये। इन केन्द्रों ने किशोरियों को उच्च प्रा0 शिक्षा की ओर प्रोत्साहित किया। समय का लचीलापन तथा महिला अध्यापकों के कारण नामांकन में वृद्धि हुई।

किशोरी संघ :

इन संघों का उदय किशोरी केन्द्रों से हुआ हैं। ये किशोरियों के समूह हैं जिनका संगठन स्वास्थ्य शिक्षा, पर्यावरण, कानूनी साक्षरता, व्यवसायिक प्रशिक्षण, आदि विषयों को दृष्टिगत रख कर किया गया है।

वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :

उन छात्राओं को जो अपरिहार्य कारणोवश विद्यालय नहीं जाती हैं उनको इन केन्द्रों पर पढ़ाया जायेगा। सेतु–पाठ्यक्रम तथा ग्रीष्म कालीन सत्र चलाये जावेंगे और बालिकाओं का विद्यालय में शत–प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित किया जायेगा।

बाला शाला :

इसका उद्देश्य छोटे बच्चों तथा उनके 11 वर्षीय भाई बहानों पर है। बड़े बच्चों के दल को प्राथमिक शिक्षा और 3–8 वर्ष के बच्चों को स्कूल में उत्साही पैकेज प्रदान किया जायेगा। जिन बालिकाओं पर अपने छोटे भाई बहनों की देख–रेख उत्तरदायित्व है वे इसी कारण स्कूल से बाहर रहती हैं। इस अधिगम द्वारा दानों आयु वर्ग के बच्चों को एक साथ जोड़ा जाता है।

जनपद में डी0पी0ई0पी0 योजना अन्तर्गत चयनित तीन विकास खण्डों में 80 केन्द्र संचालित हैं उपरोक्त केन्द्रों की सफलता को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को पूरा करने हेतु सभी विकास खण्डों में ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों को खोले जाने का प्रस्ताव है।

प्रहर पाठशाला :

प्रहर पाठशाला एक रणनीति है। जोकि 9 वर्षीय बालिकाओं के लिये है, जिन्होंने स्कूल जाना शुरू नहीं किया है या स्कूल छोड़ दिया है। 9–14 वर्ष के बच्चों के लिये 15 बालिकाओं के साथ एक प्रहर पाठशाला चलाई जा सकती है।

मकतब/मदरसा – मुस्लिम छात्राओं धार्मिक अवमाननाओं के कारण स्कूल कम जाती हैं। अधिकांशतः वे मकतबों/मदरसों में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करती हैं। अतः मकतब मदरसों का पाठ्यक्रम औपचारिक पाठ्यक्रम से जोड़ा जायेगा।

विशेष वर्ग की शिक्षा समेकित शिक्षा :

भारत की लगभग 5 से 10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विकलांगता के विभन्न प्रकारों से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाये। बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहां बच्चे के व्यक्तित्व को प्राभावित करता है, वहीं परिवाार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है, कुछ बच्चे विकलांगता के बाद भी शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उनमें शिक्षा के प्रति रुचि होती है लेकिन विकलांग शिक्षा के अभाव में अनपढ़ ही रह जाते हैं।

सर्वशिक्षा अभियान में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष जो दिया गया है।

विकलांगता/अक्षमता के प्रकार

1. दृष्टि सम्बन्धी अक्षमता
2. श्रवण सम्बन्धी अक्षमता
3. मानसिक मन्दता
4. अधिगम मन्दता
5. अस्थि सम्बन्धी अक्षमता

विकलांग/अक्षमता का कारण :

प्रायः शारीरिक विकलांगता दो प्रकार की होती है –

1. जन्मजात – जन्म से ही उत्पन्न होती है।

2. जन्म के बाद – कभी भी हो सकती है। कभी कभी रासायनिक कारणों से भी हो जाती है जैसे गैस काण्ड अथवा परमाणु बम के धमाकों से आदि।

मथुरा जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की विकलांगता/अक्षमता वार बच्चों की संख्या निम्नवत् है : –

क्र.सं.	विकलांगता के प्रकार	बालक	बालिका	योग
1.	दृष्टि सम्बन्धी अक्षमता	202	126	328
2.	श्रवण सम्बन्धी अक्षमता	310	182	492
3.	मानसिक अक्षमता	316	192	508
4.	अधिगम अक्षमता	183	127	310
5.	अस्थि अक्षमता	1190	741	1931
	योग	2211	1368	3579

विकलांगता के कारण बच्चों में आत्मनिर्भरता की कमी चलने में कमी, समाज द्वारा उपेक्षित होना आदि बातों के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। परिवार में ऐसे बच्चों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। परिवार पर आर्थिक बोझ भी अधिक पड़ता है। ऐसे बच्चों को हर समय अकेला नहीं छोडा जाता। समाज से भी यही अपेक्षा की जाती है कि समाज में ऐसे बच्चों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दें। उसका उत्साहवर्धन करें और **शिक्षा से जुड़ने में अहम् भूमिका का निर्वाह करें। बालक बच्चों को शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक भ्रांतियां हैं। अनेकों शिक्षकों तथा बुद्धजीवी लोगों की राय है कि ऐसे बच्चों के लिए विशेष** तकनीकी की आवश्यकता है जबकि ऐसा नहीं है।

डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत जनपद मथुरा के चयनित दो विकास खण्डों में स्वास्थ्य विभाग एवं जनपद की स्वयं सेवी संस्था कल्याण करोति द्वारा मैडीकल ऐसेसमेन्ट कैम्प लगाया गया जिसमें बच्चों को एड्स एप्लाइंसेज का वितरण भी किया गया है। उपरोक्त लक्ष्य में सार्थक सफलता को देखते हुए जनपद की ज्यादा से ज्यादा स्वयं सेवी संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। जनपद की अन्य सरकारी विभाग यथा जिला समाज कल्याण विभाग, जिला विकलांग विभाग के सहयोग में साथ–साथ स्टेट बैंक एवं धार्मिक संस्थाओं से पूरा सहयोग लिया जायेगा।

कैम्पस :

सामान्य बच्चों का अक्षम प्रकार के बच्चों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने तथा उनको अक्षम बच्चों की समस्याओं से अवगत कराने की दृष्टिकोंण से दो या तीन दिवसीय कैम्प का आयोजन किया जायेगा इस कैम्प के दौरान अक्षम प्रकार के बच्चों को सामान्य बच्चों के मध्य की दूरी को कम करने के उद्देश्य से किया जाना है।

डी0 पी0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत जनपद मथुरा के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों का विकलंगतावार विवरण : –

समेकित बच्चों का ब्योरा (विकलांगता वार)

सत्र 2001–02

जनपद मथुरा

क्र. सं.	विकास खण्ड	आच्छादित विद्यालय की संख्या	दृष्टि अक्षमता		श्रवण अक्षमता		अस्थि अक्षमता		मानसिक अक्षमता		अधिगम निम्नता		योग		योग
			बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	
1.	मथुरा	102	19	12	46	26	91	52	69	52	9	2	234	144	378
2.	छाता	95	25	12	34	29	211	111	38	29	59	21	367	202	569
3.	चौमुहाँ	77	15	5	52	14	59	33	24	16	0	0	150	68	218
4.	राया	107	17	7	20	16	96	52	23	5	8	6	164	86	250
5.	माँट	98	12	3	22	8	53	38	20	5	36	31	143	85	228
6.	नौहझील	108	5	8	4	6	48	29	0	4	0	5	57	52	109
7.	नंदगाँव	69	10	8	20	8	98	52	50	26	8	0	186	94	280
8.	बल्देव	102	18	2	38	17	196	119	6	4	0	1	258	143	401
9.	फरह	84	36	20	24	18	190	121	29	17	20	24	299	200	499
10.	गोवर्धन	94	10	4	7	3	110	92	10	11	0	0	137	110	247
	योग	936	167	81	267	145	1152	699	269	169	140	90	1995	1184	3179

स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी :

उन स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है जो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा हेतु कार्यरत हों तथा निम्नलिखित पत्रधारी हों:–

1. यह कि वह स्वयं सेवी संस्था सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व पंजीकृत हुई हो तथा उसकी नवीनीकरण भी हुआ हो।

2. यह कि उस संस्था के पास विकलांगता विशेषज्ञ उपलब्ध हो।

3. यह कि विकलांगता के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

4. यह कि संस्था "विकलांगता–जन'अधिनियम" 1995 की धारा–5 के अधीन पंजीकृत हो।

"विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा में स्वयं–सेवी संगठनों एवं अन्य विभागों की सहभागिता"

'सर्व शिक्षा अभियान' योजनान्तर्गत विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है। विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। इसके लिये कुछ सुनियोजित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। साथ ही विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सहायता भी प्रदान की जायेगी। कार्यक्रमों में स्वयं सेवी संगठनों का योगदान महत्वपूर्ण एवं प्रभावी रहता है। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागृति, अभिभावकों तथा अध्यापकों का संवेदीकरण, विकालांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों के कौशल विकसित करने, छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण में अध्यापकों को संसाधन एवं सहायता उपलब्ध कराने, ब्लाक स्तर तथा स्कूल स्तर पर अध्यापकों को सहायता प्रदान करने में सहयोग दिया जा सकता है। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित है, जिसके तहत जनपद के अनुभवी तथा **प्रसिद्ध स्वयंसेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इन प्रस्तावों का डेस्क टॉप अप्रेजल/फील्ड अप्रेजल किया जाता है तथा कुशल एवं अनुभवी संगठनों को जिलाधिकारी की** अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण :

अ. माता–शिक्षक संघ– गांवों में जहां प्राथमिक स्कूल संचालित हैं, उस गांव की 10–12 सक्रिय माताओं तथा अध्यापकों के समूह का निर्माण कर उन्हें कार्यों का उत्तरदायी तथा संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये "माता–शिक्षक संघ" विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करेंगे।

ब महिला प्रेरक दल– ऐसे गांव तथा मजरे स्कूल से दूर होंगे वहां स्कूल में लड़कियों की उपस्थिति तथा ठहराव सुनिश्चित करने हेतु 'महिला प्रेरक दल' बनाकर प्रशिक्षत किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै0 शि0 केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगे।

डी0 पी0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन एवम् ठहराव में अभिवृद्धि हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम किये गये : –

क्र. सं.	न्याय पंचायत का नाम	महिला प्रेरक दल		माता शिक्षक संघ	
		कुल समूह	कुल सदस्यों की संख्या	कुल समूह	कुल सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	सतोहा	3	43	11	138
2.	शेरनी	2	33	5	68
3.	भैंरारा	2	32	15	212
4.	सिहागा	–	15	7	105
5.	अगरयाला	1	15	9	129
6.	सहार	1	15	13	145
7.	भरनाकला	2	20	7	105
8.	सेही	1	20	14	208

9.	लोहई	—	—	8	102
10.	बरौठ	—	—	9	155
11.	बेरा	1	12	7	92
12.	हाथिया			10	146
13.	कामर			8	118
14.	खरौठ			11	161
15.	गिडोह			6	84
	योग	13	190	140	1968

ठहराव, परिक्रमा तथा तारांकन– बच्चों की विद्यालय में उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह ग्राम–स्तर पर निकाली जायेगी जिससे स्कूल के बच्च, अध्यापक क अभिभावक शमिल होंगे ठहराव–परिक्रमा के दौरान गैर हाजिर नहने वाले कम हाजिर रहने वाले बच्चों के घर ठहर कर नारे लगा कर बच्चों को स्कूल आने का दबाव बनाया जायेगा।

बच्चों की हाजिरी के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चें का हरा, पीला एवचं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थित के आधार पर दिया जायेगा। जैसे

अ. माह में 15 दिन या उससे अधिक उपस्थित पर – हरा

ब. माह में 14 दिन से 7 दिन तक उपस्थिति पर – पीला

स. माह में 6 दिन या उससे कम उपस्थित पर – लाल

इन निशाओं की व्यख्या करके भी समझाया जायेगा।

सत्र के मध्य अथवा अन्त में अभिभावकों का सम्मेलन

ऐसे सम्मेलनों के आयोजनों में बच्चों की उपस्थिति तथा शैक्षिक दशा से अभिभावकों को अवगत कराया जायेगा। अधिकांशतः हाजिर रहने वालों तथा योग्य छात्रों को सम्मानित किया जायेगा जिससे प्रेरणा लेकर बच्चों का नामांकन, उपस्थिति तथा ठहराव सुनिश्चित हो सकेगा।

को हार्ट स्टडी

अधिकांशतः स्कूल छोड़ कर चले जाने वाले बच्चों का विगत पांच वर्षे का शाला त्याग दर रजिस्टर से निकालकर सूचीबद्ध करना होगा और उनके लिये ग्रीष्म शिविर शिक्षा के द्वारा उनके ग्रीष्मकालीन शिविर शिक्षा के द्वारा उन्हें स्कूल लाने की कोशिश की जायेगी।

ग्रीष्मकालीन शिविर

ऐसे गांवों में जहां कम से कम 40 छात्रायें स्कूल छोड़ कर जाने वाली हों उनके लिए दस दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उनको पुनः स्कूल में दाखिल कराया जायेगा।

डी0 पी0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत जनपद में कुल 44 शिविरों आयोजन किया गया जिसमें 292 बालक एवं 1382 बालिकाओं ने भाग लिया तथा सभी 1674 बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराया गया।

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	शिविरों की संख्या	शिविर में नामांकन			शिविर से विद्यालयों में नामांकन		
			B.	G.	T.	B.	G.	T.
1.	मथुरा	04	46	114	160	46	114	160
2.	फरह	05	39	115	154			
3.	बल्देव	05	37	146	183			
4.	राया	—	—	—	—	—	—	—
5.	गॉट	05	10	170	180	10	170	180
6.	नौहझील	05	—	207	207	—	207	207
7.	नन्दगांव	05	69	131	200	69	131	200
8.	गोवर्धन	05	48	140	188	48	140	188
9.	छाता	05	—	211	211	—	211	211
10.	चौमुहाँ	05	43	148	191	43	148	191
	योग	44	292	1382	16774	392	1382	1674

ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्र

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	केन्द्रों की संख्या			केन्द्र पर नामांकित बच्चों की संख्या					ई0सी0सी0ई0 कार्यकर्ती प्रशिक्षण की उपलब्धी	
		प्रथम चरण में खोले गये केन्द्र	द्वितीय चरण में खोले गये केन्द्र	को संचालित केन्द्र	प्रथम चरण		द्वितीय चरण		कुल	लक्ष्य	उपलधी
					बालक	बालिका	बालक	बालिका	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	मथुरा	6	21	27	159	160	585	547	1451	27	13
2.	फरह	21	5	26	844	826	199	191	2060	26	25
3.	बल्देव	13	14	27	279	501	321	561	1662	27	14
	योग	40	40	80	1282	1487	1105	1299	5773	80	52

मां बेटी मेला कला जत्था :

सामुदायिक सहयोग प्राप्त करने हेतु कला जत्था एक आम तरीका है। "कला जत्था अभियान" इसलिए चलाया जाएगा कि कहीं बालिकायें विद्यालय आना न छोड़ दें। इसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा गांवों में नाटक प्रस्तुत कराये जायेंगे। यह अभियान ऐसे गांवों में चलाया जायेगा जहां महिलाओं की साक्षरता दर कम है तथा बालिकाओं की शालात्याग दर अधिक है। डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत जनपद मथुरा में बालिकाओं के ठहराव हेतु जन समुदाय में विशेष कर उनकी माँ की संवेदनशीलता बढाने हेतु माँ बेटी मेले का अयोजन किया गया।

अध्यापकों का जैण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :

लड़कियों की शिक्षा के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण परिवर्तित करने तथा उनको संवेदनशील बनाने के लिए उपको यह प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें बच्चों के सत्र के मध्य शाला त्याग कम करने और उनके कारणों पर प्रकाश डाला जायेगा तथा समस्याओं का निराकरण हेतु उपाय किये जायेंगे।

कार्यक्रम :

1. *शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना :*

प्रायः गांवों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अपने परिवार में छोटे भाई–बहनों की देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि अपरिहार्य कारणों से माता–पिता जीविकोपार्जन कर गरीबी से लड़ना होता है। अतः ऐसी दशा में कुछ छात्रायें इन कार्यों में अधिक व्यस्त हो जाने के कारण बीच में ही स्कूल जाना छोड़ देती हैं। अतः इस कार्यक्रम के तहत प्ले वे मैथड के माध्यम से संचालित आंगबाड़ी केन्द्रों को अधिक प्रभावी बनाने एवं 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का नामांकन कराने हेतु विशेष प्रयास किया जाएगा। इस कार्य के लिए इन केन्द्रों को अतिरिक्त मानदेय एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

जनपद में आई० सी० डी० एस० विभाग द्वारा नगर क्षेत्र सहित विकास खण्डों में 80 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचलन किया जा रहा है। जनपद के जिन विकास खंडों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन नहीं किया जा रहा है और जो महिला साक्षरता में पिछड़े हैं वहां ई० सी० सी० ई० केन्द्र खोले जायेंगे। केन्द्रों हेतु कार्य कत्रियों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जहां आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं चलाये जा रहे हैं, वहां स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा सकते हैं। इसके अलावा स्वयं सेवी संगठनों द्वारा आंगवाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, अभिकर्मियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनों की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं से सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिसमें जिला स्तर पर प्रसिद्ध एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क टाप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायी। स्वयं सेवी संगठनों का निर्णय जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

2. उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव: (SUPW)

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए सामान्य शिक्षा के साथ-साथ पारिवारिक, पारम्परिक तथा गैर परस्परिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बालिकाओं की रूचि भी जीवन के कार्यक्रमों, अभिभावकों के जागरूकता के अनुसार उपयुक्त व्यवस्था का

आभाव है। यदि उपयुक्त व्यवस्था कर दी जाय तो निश्चित रूप से बालिकाओं में स्कूल शिक्षा के प्रति रूचि उत्पन्न होगी और वे तथा अभिभावकगण नामांकन तथा ठहराव के प्रति अधिक जागरूक हो जायेंगे। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, आर्ट, ड्राइंग आदि के साथ-साथ टोकरी बनाने, गुड़िया बनाने, मिट्टी के खिलौने तैयार करने, कागज के आयटम बनानें आदि कार्यो का भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है।

वर्ष	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	योग
स्कूल की सं0	–	–	25	20	20	–	–	–	65

सामुदायिका गतिशीलता के कार्यक्रम:

पंचायत राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला समाख्या एवं स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग एवं समुदायों के साथ, विकलांग कल्याण विभाग, जिला अर्थ एवं संख्या विभाग आदि के साथ विचार-विमर्श करके उनके सहयोग से आंकड़ों का संकलन तथा वातावरण सृजन का कार्य किया गया है और योजना को चलाने में भी इनका सहयोग प्राप्त कर सर्वशिक्षा अभियान को सफल बनाया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का** गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव** परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एव एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग के सहयोग से आंकडि सम्बन्धी मूल आंकड़ों का संकलन किया गया, और विकलांग कल्याण विभाग का सहयोग प्राप्त कर समेकित शिक्षा हेतु 6 से 11 तथा 11–14 आयु वर्ग के विकलांग बच्चों की सूची तैयार की जायेगी। पंचायत राज विभाग के सहयोग से ग्रामों एवं बस्तियों की सूची सुलभ हो सकी।

6 वर्ष से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा में समाज की सक्रिय भूमिका है।ग्रामीण निरक्षरों की संख्या शहरी निरक्षरों से अधिक है। शिक्षा विकेन्द्रकरीण हेतु ग्राम शिक्षा समिति तथा शहरों में वार्ड वार नगर शिक्षा समिति बनाई गई। इन समितियों को शैक्षिक योजना बनाने तथा विद्यालय संचालन में सहयोग के अधिकार सौंपे गए हैं।

शैक्षिक वातावरण का सृजन :

नियोजन प्रक्रिया के दौरान जनपद की विभिन्न बस्तियों एवं समुदायों के साथ विचार विमर्श एवं उनका सहयोग प्राप्त कर योजना को मूर्त रूप दिया गया। इन समुदायों के साथ चर्चा करते हुए सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा महत्व पर प्रकश डाला गया।

ग्राम शिक्षा समितियों तथा नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण :

सर्वशिक्षा अभियान में उक्त समितियों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। इसमें नई समितियों का संदर्भ प्रशिक्षण फिर दो वर्ष बाद 'पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण' और पाँच वर्ष बाद नई बनी समिति का संदर्भ प्रशिक्षण एवं उनको भी दो वर्ष बाद 'पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण' दिया जायेगा।

विद्यालय प्रगति में समुदाय की भूमिका :

सूक्ष्म नियोजनोपरान्त विद्यालय की समस्या के निराकरण में समुदाय के व्यक्तियों द्वारा सहयोग प्राप्त करेंगे। ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि जहां विद्यालय के लिए भूमि नहीं है अथवा कम भूमि है, वहां पर ग्राम वासियों के सहयोग से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। बच्चों के लिए खेल का मैदान उलपब्ध कराया जायेगा तथा इस बात की जानकारी दी जायेगी कि बिना खेल के बच्चा सीख नहीं सकता। अतः खेल का मैदान आवश्यक है।

विद्यालयों में बागवानी हेतु समुदाय का सहयोग :

सर्वशिक्षा अभियान के तहत इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि सुन्दर वृक्षों तथा फूल के पौधों का रोपण करके विद्यालय का स्वरूप आकर्षक बनाया जाए। इस कार्य में

समुदाय के लोगों का सहयोग प्राप्त करके पुष्-वाटिका लगाई जयेगी। साथ ही उद्यान विभाग की सहायता भी ली जायेगी। और विद्यालय को आकर्षक वनाने का प्रयास होगा।

फर्नीचर आदि की व्यवस्था

इस कार्य में गांव के अनुभवी लोगों से मदद लेकर स्कूल के फर्नीचर टाट पट्टी, श्याम पट्ट, चाक, शैक्षिक उपकरण आदि उपलब्ध किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा सिमति के प्रभाव का भी प्रयोग किया जायेगा। ग्राम शिक्षा सिमति छात्र/छात्राओं के लिए यूनिफार्म तथा लेखन सामग्री वितरण कर सकती है। प्रतिभावान बच्चों का उत्साह वर्धन करने हेतु समुदाय द्वारा पुरस्कार वितरण भी कराया जायेगा इस प्रकार सर्वशिक्षा अभियान द्वारा शैक्षिक प्रगति का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।

विद्यालय भवन को सुदृढ वनाने में समुदाय का योगदान

सर्वशिक्षा अभियान योजनान्तर्गत समुदाय अपना सक्रिय योगदान देगा। वह कक्षा शिक्षण हेतु कमरों का निर्माण कराना, विद्यालय भवन की मरम्मत कराना, वहार दीवारी का निर्माण कराना, विद्यलाय प्रांगण , क्रीड़ स्थल, प्रार्थना स्थल आदि की उबड़ खाबड़ भूमि को समतल कर चौरस करायेगा तथा इस प्रकार विद्यालय की प्रगति में आशातीत वृद्धि होगी। इससे छात्र नामांकन तथा ठहराव भी प्रभावित होगा।

विद्यालय की ड्रैस का प्रबन्ध

प्रायः यह देखा जाता है कि जिस स्कूल की अपनी एक पूर्व निर्धारित वेश भूषा बच्चों की होती है – अर्थात् स्कूल यूनिफार्म की व्यवस्था होने पर बच्चे एकदम अनुशासति और सभ्य दिखाई देते हैं। उनमें एकरूपता आती है। कोई छात्र अपने को किसी से उंचा नीचा अथवा अमीर गरीब नहीं समझता है। फलस्वरूप उनमें हीनता की भावना इन्फीरियरटी काम्पलैस उत्पन्न नहीं होने पाती है।

अतः सर्वशिक्षा अभियान में यह बात तय की गई है कि समुदाय के व्यक्ति, ग्राम शिक्षा समिति तथा अभिभावकों को एकत्र कर, अध्यापक महानुभाव मीटिंग लें और उनका सहयोग प्राप्त करके छात्रों के लिए आकर्षक एवं प्रभाशाली यूनिफार्म तथा स्कूल का मोनोग्राम आदि की उचित व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार सर्वशिक्षा अभियान कारगर ढंग से प्रभावी होगा। विद्यालय से पास होकर निकलने वाला उत्पानद राष्ट्र के योग्य नागरिक तथा कर्णधार बन सकते हैं।

सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों का विवरण

जनपद – मथुरा

सामुदायिक सहभागिता :

क्र.सं.	प्रशिक्षित डी. आर.जी संख्या	ब्लाक संदर्भ समूह				कुल न्याय पंचा. की संख्या	ग्राम शिक्षा समिति का गठन				प्रशिक्षण माड्यूल मुद्रण की स्थिति	सूक्ष्म नियोजन		ग्राम शिक्षा योजना	
		कुल विकास खण्ड की संख्या	बी.आर.जी समूह की संख्या	कितने बी. आर.जी समूह प्रशिक्षित	कुल प्रशिक्षित बी. आर.जी. संख्या		कुल ग्राम सभाओं की सं०	कुल गठित ग्रा.शि. समिति की सं०	कुल प्रशिक्षित ग्रा. शि. समिति की सं०	कुल प्रशिक्षित ग्रा. शि. समिति के सदस्यों की सं०		कितने गांव में सूक्ष्म नियोजन पूर्ण हुआ	कितने गांव में सूक्ष्म नियोजन का कम्प्यूटरीकृत हुआ	कितने गांव की ग्राम शिक्षा योजना बनी	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	03	10	10	10	248	89	478	478	299	7475	मुद्रित	118	--	118	--

[3]

राष्ट्रीय पर्वों का महत्व

सर्वशिक्षा अभियान में यह विशेष ध्यान दिया गया है कि विद्यालयों में 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को पूर्ण उत्साहपूर्वक मनाया जायेगा। इसमें प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जन सहयोग लिया जयेगा। प्रतियोगिताओं का आयोजन करके कुशाग्र बुद्धि तथा विजयी छात्रों को पुरस्कृत तथा सम्मानित किया जायेगा।

शिक्षकों की भूमिका

अध्यापकगण ग्राम ग्राम के शिक्षित व्यक्तियों, सम्मानित नागरिकों से सम्पर्क करके उन्हें प्रभावित करेंगे तथा विद्यालय के क्रिया कलापों तथा शिक्षण में उनको सहयोग प्रदान करने की प्रेरणा देंगे। उनसे आग्रह करेंगे कि वे विद्यालय का सतत पर्यवेक्षण करके शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तरोत्तर संवर्धन हेतु भूमिका निभायें।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम

इसके द्वारा कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है। जिनको स्वयंसेवी संगठनों से जोड़ा जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तर पर सूक्ष्म नियोजन, विद्यालय और समुदाय में निकटता लाने की प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। स्वय सेवी संगठनों के चिन्हींकरण हेतु प्रमुख संगठनों के प्रस्ताव मांगे जायेंगे इनको डेस्क टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और संस्तुत किया जाएगा। चयन का निर्णय जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना द्वारा किया जाएगा।

डी0 पी0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत जन समुदाय की की विद्यालय के प्रति भागीदारी बढाने के दष्टि कोण से ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है । तथा अपने ग्राम की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा योजना बनाने तथा विद्यालय की क्षमता संवर्धन करने तथा विद्यालय के प्रति संवेदनशीलता बनाने के लिए वर्ष 2000–01 में 50 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण कराया गया है । शेष 50 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण दिसम्र 2001 से प्रस्तावित है । अधतन 108 ग्राम शिक्षा समितियों का सूक्ष्म नियोजन भी संपन्न कराया जा चुका है ।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रगति वर्ष 2003–04

जनपद–मथुरा | दिनांक–27.08.2003

क.सं.	कक्षा	नामांकन			प्राप्त पुस्तकें	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण			अवशेष (6–10)
		अनु.जा./अनु.ज.जा.के बालक	सभी वर्ग की बालिका	योग (4+5)		अनु.जा./अनु.ज.जा.के बालक	सभी वर्ग की बालिका	योग (8+9)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	8074	23902	31976	31976	8074	23902	31976	–
	2	7566	21884	29450	58960	7566	21884	29450	–
	3	6349	16358	22707	113535	6349	16358	22707	–
	4	5026	12135	17161	102966	5026	12135	17161	–
	5	4711	9906	14617	87702	4711	9906	14917	–
1 से 5 तक योग		31726	84185	115911	395139	31726	84185	115911	
	6	1428	3180	4608	50688	1428	3180	4608	–
	7	1260	2494	3754	37540	1260	2494	3754	–
	8	926	1962	2690	[illegible]	926	1962	2690	–
6 से 8 तक योग		3616	7636	11252	117128	3616	7636	11252	–
1 से 8 महायोग		35342	91821	127163	512267	35342	91821	127163	–

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण :-

सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रा0वि0 एवम् उ0प्रा0 स्तर पर अनु0जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक एवम् समस्त वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु वर्षवार निम्न भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष कुल 98091.96 हजार रूपये की धनराशि का प्रवधान किया गया है

मद	वर्ष											
	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		योग	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
प्रा0वि0	-	-	2793	139.65	-	-	273456	13672.8	284679	14233.95	560928	28046.4
उ0प्रा0 वि0	21069	3160.4	42735	6410.25	127961	19194.15	133804	20070.6	141401	21210.15	466970	70045.55

प्रा0 विद्यालयों में वर्ष 2002-03 एवम् 2004-05 में डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु धनराशि का प्रावधान किया गया है.

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बाद, मथुरा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 1992 में यथा स्वीकृति की गयी सक्षरता प्रतिशत में वृद्धि तथा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1989 में हो गयी थी । इस संस्थान के नये भवन का निर्माण 1993 में हो गया था । 1996 में राजकीय विद्यालय का विलय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बाद, मथुरा में हो गया। राजकीय दीक्षा विद्यालय (बालिका) मथुरा को 1996 में समाप्त कर दिया गया।

संस्थान के विभिन्न कार्यो को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिए सात विभागों की स्थापना की गयी है :-

1. सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग (P.S.T.E.)
2. सेवारत प्रशिक्षण विभाग
3. नियोजन एवं प्रबन्ध विभाग
4. पाठ्यक्रम निर्माण एवं मूल्यांकन (M.D.E.)
5. जिला संस्था एकक (D.R.U.)
6. कार्यानुभव शिक्षा विभाग (W.E.)
7. शैक्षिक तकनीकी विभाग (E.T.)

सेवापूर्ण प्रशिक्षण विभाग (PSTE)

कार्य :-

1. नोडल शाखाओं को सहयोग देना ।
2. सेवापूर्व कार्यक्रमों को आयोजित करना ।
3. संस्थान के अन्य विभागों से सम्बन्धित कार्यक्रमों में इन-पुट देना ।
4. विज्ञान प्रयोगशाला व मनोविज्ञानशाला का रख-रखाव ।
5. पाठ्य सहगामी क्रियाओं जैसे - प्रतियोगिता, विज्ञान मेला, कला (Visual and Performing) खेल, शारीरिक व्यायाम प्रतिस्पर्धा, योग तथा हॉबी इत्यादी आयोजित करना ।

सेवारत प्रशिक्षण विभाग (IFIC)

(In service programmes, Field Interaction and Innovation Co-ordination)

कार्य :-

1. प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवारत शिक्षण कार्यक्रमों में योजना बनाना व सहयोग करना। डायट में इन प्रोग्रामों को लागू करना

   अ. प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पहिचानना व इनके लिए प्रॉसपेक्टिव प्लान बनाना ।

   ब. डायट में होने वाले कार्यक्रमों का वार्षिक कलैण्डर बनाना ।

   स. डायट से बाहर होने वाले कार्यक्रमों का वार्षिक कलैण्डर तैयार करना ।

2. नोडल शाखा के रूप में काम करना :-

   अ. अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना ।

   ब. संदर्भ व्यक्तियों के लिए अनुस्थापना कार्यक्रम करना ।

   स. दूरस्थ शिक्षा/सम्पर्क शिक्षा में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना ।

3. डायट के अन्दर व डायट के बाहर प्रशिक्षणों का मूल्यांकन व मानीटरिंग करना व अनवरत सुधार करना ।

4. डायट से प्रशिक्षण लेने वाले लोगों का डाटाबेस तैयार करना (सम्पर्क, विजिट, प्रिन्ट मैटेरियल का प्रेषण)

5. सन्दर्भ एवं स्रोत के रूप में कार्य करना ।

6. क्रियात्मक शोध, क्षेत्र अन्तःक्रिया के लिए नोडल शाखा का कार्य करना ।

नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग

कार्य :-

1. UPE/UEE/NLM के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु ऐप्रोपाइएट डाटाबेस तैयार करना।
2. शिक्षा से सम्बन्धित योजनाकारों प्रशासकों/UEE से सम्बन्धित, DBE/NLM से सम्बन्धित अध्ययन करना ।

   अ. नामांकन, धारण, छात्रों की नियमित उपस्थिति, प्रौढ लर्नरों से सम्बन्धित विभिन्न कारक (विशेषतः महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग, आसेवित बस्तियों के लोगों से सम्बन्धित) ।

   ब. उपरोक्त के सम्बन्ध में विभिन्न इन्अरवेन्शन्स ।

   स. प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में समाज का योगदान व सम्भावनाओं का अध्ययन।

   द. जिले के स्कूलों ए.ई./एन.एफ.ई. के मूल्यांकन के लिए नियम, क्राइटेरिया व तकनीक का विकास ।

3. लैब एरिया के अन्तर्गत अधिकाधिक क्रियात्मक शोध करना व परिणामों का मूल्यांकन करना ।
4. स्कूल मैपिंग/UPE व AUEE के क्षेत्र में शिक्षाधिकारियों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना ।
5. DBE/VEC सामाजिक नेताओं में प्रशिक्षण देने हेतु नोडल शाखा के रूप में कार्य करना ।
6. नियोजन एवं प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रशिक्षण देना ।
7. UPE/UEE/NLM के प्रोग्रामों का मूल्यांकन करना ।
8. नियोजन व प्रबन्धन से सम्बन्धित इनपुट देना ।

पाठ्यक्रम शोध, निर्माण एवं मूल्यांकन विभाग (CMDE)

(Curriculum, Material Development and Evaluation))

कार्य :-

1. उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग व नये उपकरणों का विकास करना ।
2. प्रौढ शिक्षा तथा अनौचारिक शिक्षा में जिला संसाधन एकक विभाग की मदद करना।
3. एन.एल.एम. के परीक्षण हेतु सैम्पिल बनाना ।
4. विश्वसनीय व स्परूट मूल्यांकन प्रपत्र तैयार करना ।
5. सी.एम.डी.ई. से सम्बन्धित कार्यशालायें आयोजित करना ।
6. सेवारत व सेवापूर्व प्रशिक्षणों में इनपुट देना ।

कार्यानुभव विभाग (W. E.)

कार्य :-

1. स्थानीय कार्यानुभव क्षेत्रों की पहिचान करना ।
2. कार्यानुभव के क्षेत्र में शिक्षाधिकारियों की मदद करना।
3. कार्यानुभव के क्षेत्र में कार्यशालायें आयोजित करना ।
4. डायट के अन्य विभागों को कार्यानुभव से सम्बन्धित इनपुट देना।
5. संस्थान के कैम्पस, सड़क, प्ले ग्राउण्ड, लॉन, बगीचे में सफाई से सम्बन्धित क्रियायें करना ।
6. समाज सेवा कार्यों को प्रोत्साहन देना ।
7. कार्यानुभव के लिए कार्यशाला / खेती / बकीचे का रख-रखाव करना ।
8. सेवापूर्व के छात्राध्यापकों में कार्य करने से सम्बन्धित रुचि का विकास करना ।

शैक्षिक तकनीकी विभाग (ET)

कार्य :-

1. इन्य विभागों की मदद से कम लागत का सादा, प्रभावी टी.एल.एम. तैयार करना।

   चार्ट्स

   डायग्राम

   मॉडल

   फोटोग्राफ

   स्लाइड

   आडियोटेप

   प्ले स्क्रिप्ट्स

   गाने

2. प्रौढ शिक्षा हेतु व अनौपचारिक शिक्षा हेतु कम लागत के टी.एल.एम. बनाना।
3. तकनीकी संयन्त्रों का उचित रख-रखाव।
4. स्रोत केन्द्रों से स्लाइड, कैसेट, फिल्म खरीदना व अन्य विभागों को प्रदान करना।
5. निकट से रेडियो स्टेशन से सम्पर्क बनाए रखना।
6. ई.टी. के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देना ।
7. टी.एल.एम. निर्माण हेतु कार्यशाला आयोजित करना ।
8. अन्य विभागों को आवश्यकता पड़ने पर टी.एल.एम. उधार देना ।

डायट के उद्देश्य एवं प्रमुख कार्य

1. जनपद की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को नई शिक्षा एवं गति प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण के सभी महत्वपूर्ण घटकों, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रशिक्षण अनुश्रवण आदि की प्रासंगिकता तथा प्रभाव का वस्तुनिष्ठ परीक्षण करके वर्तमान में व्याप्त विसंगतियों का निराकरण करने हेतु नई प्रविधियां एवं उपाय सुझाना ।
2. प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ शिक्षा के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यनीतियों एवं कार्यक्रम की सफलता हेतु जनपद स्तर पर विशेष रूप से शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं प्रौढ निरक्षरों की काम चलाऊ साक्षरता के सन्दर्भ में अकादमिक सहयोग एवं संसाधनों को उपलब्ध कराना।
3. प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को सेवापूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण देना ।
4. प्रसार/परामर्श/शिक्षण व अनुपूरक सामग्री का विकास ।
5. क्रियात्मक शोध के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्रतियों में कमी के कारणों तथा शैक्षिक समस्याओं को खोजकर निराकरण करना।
6. अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ शिक्षा के अभिकर्मियों का प्रशिक्षण, जिला शिक्षा बोर्ड, ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण, समुदाय के शिक्षा जगत से जुड़े अन्य वर्गों के सदस्यों का प्रशिक्षण ।
7. जनपद में कार्यरत B.R.C. समन्वयक / A.B.R.C./N.P.R.C. का कर्तव्य एवं दायित्व बोध प्रशिक्षण ।
8. विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, E.C.C.E. केन्द्रों, शिक्षालयों का सतत अनुश्रवण एवं सपोर्ट प्रदान करना ।
10. E.C.C.E. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आचार्यों, शिक्षा मित्रों आदि को प्रशिक्षित करना ।
11. जिला स्तर पर नवाचारों (Innovations) एवं गतिविधियों का निर्माण कर विद्यालयों में लागू करना ।

12. शिक्षण अनुपूरक साहित्य का विकास एवं निर्माण कर विद्यालयों तक प्रेषित कराकर लागू करना ।

13. अध्यापक अनुदान का सदुपयोग, निःशुल्क एवं कम लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, उसको कक्षा शिक्षण में लागू कराने हेतु शिक्षकों को ज्ण्ण्ण् निर्माण/प्रयोग का प्रशिक्षण देना ।

14. लैब एरिया के विद्यालयों में क्रियात्मक शोध करके शिक्षा की कमियों को दूर करना ।

15. संस्थान के समस्त वार्षिक क्रियाकलापों का नियोजन एवं प्रबन्धन।

16. जनपद के समस्त शैक्षिक आंकड़ों का संकलन एवं रख-रखाव करना ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सत्र–2002–2003 में योजनान्तर्गत सम्पादित प्रशिक्षण /कार्यशालाओं का विवरण

कार्यालय : जिला शिक्षा एवं प्रषिण संस्थान, बाद–मथुरा ।

बिन्दु सं0 2 1 अप्रैल, 2002 से संस्थान में सम्पन्न कराए गये प्रशिक्षणों का विवरण :– बैठक की तिथि 21.3.2003

क्र. सं.	प्रशिक्षण का नाम	फेरों की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि		प्रतिभागियों की संख्या	प्रशिक्षकों का नाम
			कब से	कब तक		
1.	जैण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण (टी0ओ0टी0) तीन दिवसीय	01	15.04.2002	17.04.2002	41	श्रीमती शशि शर्मा (टी0 ओ0 टी0) श्रीमती रंजना श्रीवास्तव, देवेन्द्र सारस्वत
2.	वित्तीय एवं प्रशासनिक सम्बन्धी दो दिवसीय प्रशिक्षण	प्रथम	22.04.2002	23.04.2002	38	श्री एन0 के0 शर्मा (ए0ए0ओ0) श्री एन.के. शर्मा, श्री ओमवीर सिंह (टी.ओ.टी.)
		द्वितीय	24.4.2002	25.04.2002	49	श्री भगवान सिंह (तक0 सहायक)
		तृतीय	26.04.2002	27.04.2002	44	श्री भगवान सिंह (तक0 सहायक)
3.	सतत व्यापक गत्यांक तथा विद्यालय श्रेणीकरण एवं पर्यवेक्षण	01	05.06.2002	10.6.2002	46	श्रीमती सुषमा शर्मा (उपप्राचार्य) श्री प्रेमप्रकाश (परि0 प्रवक्ता) श्री रामकिशोर दुबे (कार्या0 शिक्षक)
4.	लिंग संवेदनशीलता पर आधारित बी.आर.सी./ ए.बी.आर.सी. का ब्लाक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशि.	01	10.06.2002	15.06.2002	28	उपरोक्त
5.	शिक्षा मित्र/आचार्य जी का 15 दिवसीय पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण	01	07.08.2002	21.08.2002	85	श्रीमती मदिता पाण्डेय (प्रवक्ता) श्रीमती रागिनी शर्मा (प्रवक्ता) श्रीमती हेमलता ओबेराय (प्रवक्ता)
6.	प्रा0मा0 विद्यालयों के गणित अध्यापकों का 10 दिवसीय एस.ओ.पी.टी. प्रशिक्षण	प्रथम	02.09.2002	11.09.2002	32	श्री मुरारी लाल (मास्टर ट्रेनर्स)
		द्वितीय	12.09.2002	21.09.2002	36	श्री राजीव कृष्ण तेहरिया (मास्टर ट्रेनर्स)
		तृतीय	23.09.2002	02.10.2002	46	श्री नृत्यगोपाल दुबे
		चतुर्थ	04.10.2002	13.10.2002	41	

क्र. सं.	प्रशिक्षण का नाम	फेरों की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि		प्रतिभागियों की संख्या	प्रशिक्षकों का नाम
			कब से	कब तक		
7.	समेकित शिक्षा का 10 दिवसीय प्रशिक्षण	01	04.10.2002	13.10.2002	33	सुश्री मनिका पाण्डेय (जिला समन्वयक, मथुरा) श्री संदीप कुमार (जिला समन्वयक, महोवा) श्री आर0एन0 सिंह (जिला समन्वयक, मैनपुरी) श्री आर0 के0 नागस (जिला समन्वयक, एटा)
8.	शिक्षा मित्र/आचार्य जी का 30 दिवसीय प्रशिक्षण	01	18.10.2002	16.11.2002	48	श्रीमती मुदिता पाण्डेय (प्रवक्ता) श्रीमती रागिनी शर्मा (प्रवक्ता) श्री अन्जु कुशवाह (प्रवक्ता) श्रीमती हेमलता ओबेराय स0अ0 श्री एन.के. शर्मा, श्री ओमवीर सिंह (टी.ओ.टी.)
9.	एस0 ओ0 पी0 टी0 योजनान्तर्गत माध्यमिक स्तर के हाईस्कूल विज्ञान अध्यापकों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण	प्रथम द्वितीय	21.10.2002 8.11.2002	30.10.2002 17.11.2002	30 25	श्रीमती मुदिता पाण्डेय (प्रवक्ता) श्रीमती हेमलता ओबराय (स0अ0) श्री टीकाराम अग्रवाल (प्रवक्ता)
10.	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण (नगर क्षेत्र)	प्रथम	11.11.2002	17.11.2002	39	श्री देवेन्द्र सारस्वत (टी0ओ0टी0) श्रीमती शकुन्तला दुबे (एन0जी0ओ0) श्री शशि शर्मा (टी0ओ0टी0)
11.	हाईस्कूल विज्ञान अध्यापकों का 10 दिवसीय	तृतीय	20.11.2002	29.11.2002	40	श्रीमती मुदिता पाण्डेय (प्रवक्ता) श्रीमती हेमलता ओबराय (स0अ0) श्री टीकाराम अग्रवाल (प्रवक्ता)

क्र. सं.	प्रशिक्षण का नाम	फेरों की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि		प्रतिभागियों की संख्या	प्रशिक्षकों का नाम
			कब से	कब तक		
12.	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण (नगर क्षेत्र)	द्वितीय बैच– I, II	25.11.2002	1.11.2002	29 28	श्री देवेन्द्र सारस्वत, शशि शर्मा (टी.ओ.टी.) श्रीमती एकता आदित्य श्री विजय सक्सैना, श्रीमती शकुन्तला दुबे
13.	हाईस्कूल विज्ञान अध्यापकों का 10 दिवसीय एस.ओ.पी.टी. प्रशिक्षण	चतुर्थ पंचम	02.12.2002 12.12.2002	11.12.2002 21.12.2002	24 27	श्रीमती मुदिता पाण्डेय (प्रवक्ता) श्रीमती हेमलता ओबेराय (स0अ0) श्री टीकाराम अग्रवाल (प्रवक्ता)
14.	सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण (नगर क्षेत्र)	तृतीय	02.12.2002	08.12.2002	27	श्री देवेन्द्र सारस्वत, शशि शर्मा (टी.ओ.टी.) श्रीमती शकुन्तला दुबे, अर्चना जायस विजय सक्सैना
15.	टी.एल.एम. निर्माण से सम्बन्धित 3 दिवसीय प्रशिक्षण	01	21.2.2003	28.2.2003	27	श्रीमती ऋचा तिवारी, रागिनी शर्मा (प्रवक्ता) श्री रामकिशोर दुबे, श्रीमती मुदिता पाण्डेय श्री भगवान सिंह (तक0 सहायक)

प्रशिक्षण / कार्यशाला

क्र. सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट संकाय के सदस्य	04 दिन
2.	टी.ओ.टी. का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	अ. शिक्षामित्र/आचार्य का आधारभूत प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र/आचाय	30 दिन
	ब. रिफ्रैशर प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र/आचाय	15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	आधारभूत रिफ्रैशर	15 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्य0 हेतु प्रशिक्षण	समन्वयक	10 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	कार्यकत्री एवं सहायिकायें	07 दिन
7.	समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ग्राम प्रधानों का प्रशिक्षण	ग्राम प्रधान	05 दिन
9.	वी.ई.सी. के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षक	05 दिन
11.	संस्कृत विषय का प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षक	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	अंग्रेजी भाषा का शिक्षण	अंग्रेजी शिक्षक	05 दिन
14.	सेवापूर्व प्रशिक्षण	नव नियुक्त अध्यापक	10 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ+समन्वयक चयनित शिक्षक	03 दिन
16.	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन	डायट स्टाफ+बी.आर.सी. व एन.पी.आर.सी.. समन्वयक	03 दिन
17.	अकादमिक पर्यवेक्षण का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ+बी.आर.सी. व एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	03 दिन
18.	अकादमिक सन्दर्भ समूह की क्षमता	ए.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
19.	बहुश्रेणी कक्ष शिक्षण	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
20.	क्षमता विकास कार्यशाला	डायट स्टाफ	03 दिन

गुणवत्ता संवर्धन

जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता का परिदृश्य –

मथुरा जनपद में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए वर्ष 2000 से 2005 तक के लिए डी.पी. ई.पी. योजना प्रारम्भ की गई है । जनपद स्तर पर डायट द्वारा आकदमिक सपोर्ट, नेतृत्व, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग एवं समर्थन हेतु कार्य किया गया जिसमें बी0 आर0 सी0 तथा एन. पी. आर. सी. की अग्रणी भूमिका है । डायट स्तर पर B.R.C, A.B.R.C. एवं N.P.R.C. को उनके कार्य एवं दायित्वों के संबंध में 07 दिन का प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण में नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण N.P.R.C. तथा B.R.C. का उने भौतिक–आकदमिक पक्षों के आधार पर श्रेष्ठीकरण, N.P.R.C. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री, मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया गया । यह तथ्य उभर का आया कि D.P.E.P. के अन्तर्गत निम्न लिखित क्षेत्र अनाच्छदित रहे –

– उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षक की आकदमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका ।
– असारकीय हाईस्कूल, इन्टर कालेज के साथ कक्षा 1–5 तथा 6–8 के बच्चों एवं अध्यापकों की शैक्षिक आवश्यकताओं एवं कठिनाइयों को आकदमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया ।
– उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों गुणवत्ता विकास, कार्यक्रम से लाभ नहीं मिला ।

1. जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या – 1047 ।
2. जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 179 ।
3. जनपद में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या (जहां कक्षा 6,7,8 संचालित है) 118।
4. जनपद में ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्रों की संख्या – 80

स्कूल पूर्व शिक्षा –

उसके अन्तर्गत मथुरा जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया । महिला एवं बाल विकास विभाग उ0 प्र0 द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में 80 केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया । इन केन्द्रों का कार्यकलापों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर में दिया गया ।

आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय का समय–सारिणी में अनुरूपता लाई गई। डी.पीई. पी. योजनान्तर्गत केन्द्रों को खेल सामग्री, उपकरण शिक्षण सामग्री हेतु रू0 5000 तथा आवर्तिक व्यय वार्षिक रूपये 1500 प्रदान किया गया तथा इनके पर्यवेक्षण हेतु ग्राम शिक्षा समिति को जोड़ दिया गया ।

इसका प्रभाव अच्छा पड़ा है –

1. विद्यालय में बालकों एवं बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई ।
2. विद्यालय में बच्चों का ठहराव बढा है ।
3. शिक्षा के प्रति बच्चों में अभिरूचि बढ़ी ।

ग्राम शिक्षा समिति –

D.P.E.P. योजना के अन्तर्गत विद्यालय के प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है । ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है । समिति में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, स्वंय सेवी संगठन के सदस्य एवं विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है । विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं भवन

निर्माण आदि का उत्तर दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है । डायट मथुरा द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संदर्भ समूह तथा ब्लाक संदर्भ समूह का गठन किया गया । B.R.G. में नेहरू युवा केन्द्र के स्वयंसेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित है । B.R.G. सदस्यों को डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया तथा इस अनुक्रम में B.R.G. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया । जनपद मथुरा में 279 ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

प्रशिक्षण में विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया । ग्राम शिक्षा समिति का प्रशिक्षण प्रयास एवम् संकल्प नामक माड्यूल के आधार पर किया गया ।

मध्य सत्रीय मूल्यांकन के द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि लगभग 60प्रतिशत विद्यालय में ही ग्राम शिक्षा समितियों की नियमित बैठकों का आयोजन हो रहा है । वस्तुतः समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय पर्वो, वार्षिक कार्यक्रमों के अवसर पर समुदाय के लोगों एवं अभिवावकों को आमंत्रित करने की आवश्यकता है तथा उनकी विद्यालय की क्षमता संवर्धन के प्रति और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है ।

उपर्युक्त ग्रेडिंग व्यवस्था भौतिक वातावरण पर आधारित है । इसमें शैक्षिक वातावरण को भी समाहित किये जाने की आवश्यकता है ।

<u>डी0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण</u>

प्राथमिक स्तर –

D.P.E.P. के अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षिण कराये जाने की व्यवस्था है । प्रशिक्षण का दो चक्रों में किये जाने की योजना है । प्रथम डायट स्तर पर द्वितीय B.R.C. स्तर पर

प्रशिक्षण / कार्यशाला

क्र. सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट संकाय के सदस्य	04 दिन
2.	टी.ओ.टी. का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	अ. शिक्षामित्र/आचार्य का आधारभूत प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र/आचाय	30 दिन
	ब. रिफ्रैशर प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र/आचाय	15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	आधारभूत रिफ्रैशर	15 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्य0 हेतु प्रशिक्षण	समन्वयक	10 दिन
6.	ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	कार्यकत्री एवं सहायिकायें	07 दिन
7.	समन्वयकों का प्रशिक्षण	बी.आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयक	07 दिन
8.	ग्राम प्रधानों का प्रशिक्षण	ग्राम प्रधान	05 दिन
9.	वी.ई.सी. के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी.आर.सी. के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षक	05 दिन
11.	संस्कृत विषय का प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षक	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	अंग्रेजी भाषा का शिक्षण	अंग्रेजी शिक्षक	05 दिन
14.	सेवापूर्व प्रशिक्षण	नव नियुक्त अध्यापक	10 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ+समन्वयक चयनित शिक्षक	03 दिन
16.	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन	डायट स्टाफ+बी.आर.सी. व एन.पी.आर.सी.. समन्वयक	03 दिन
17.	अकादमिक पर्यवेक्षण का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ+बी.आर.सी. व एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण	03 दिन
18.	अकादमिक सन्दर्भ समूह की क्षमता	ए.आर.जी. के सदस्य	03 दिन
19.	बहुश्रेणी कक्ष शिक्षण	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
20.	क्षमता विकास कार्यशाला	डायट स्टाफ	03 दिन

प्रशिक्षण देने के लिये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को खुली चयन प्रतियोगिता द्वारा चयनित कर उसको T.O.T. का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया । नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कई चक्रों में डायट एवं विकास खण्ड स्तर पर किया गया। यह प्रशिक्षण साधन मॉड्यूल के आधार पर कराया गया ।

उच्च प्राथमिक स्तर :–

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए D.P.E.P. योजना में प्रशिक्षण का कोई व्यवस्था नहीं है । किन्तु एस. ओ. पी. टी के अन्तर्गत गठित एवं भाषा (आंगल) का प्रशिक्षण 3 चक्रों में प्रस्तावित है जो दिसम्बर माह में कराये जाने की योजना है ।

जनपद में कार्यरत शिक्षकों का शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति का विवरण –

सारिणी

	शिक्षिक योग्यता	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	शिक्षकों की कुल संख्या	3110	818
2	हाई स्कूल योग्यताधारी से कम	25	00
3	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	628	12
4	केवल इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (अप्रशिक्षित)	06	.....
5	स्नातक (अप्रशिक्षित)	04	.....
6	परा स्नातक (अप्रशिक्षित)	शून्य	.....
7	इन्टरमीडिएट (प्रशिक्षित)	2447	.....
8	स्नातक एवं प्रशिक्षित	.....	.....
9	परास्नातक एवं प्रशिक्षित	.....	.....

सारिणी से स्पष्ट हैं कि प्रा0वि0 के 25 शिक्षक हाई–स्कूल से कम योग्यता वाले हैं । जिन्हें विभिन्न विषयों की विषय वस्तु का ज्ञान देने की विशेष आवश्यकता होगी । शिक्षकों में शिक्षक अप्रशिक्षित है जिन्हें प्रशिक्षक संबंधी बाल मनोविज्ञान की जानकारी, शिक्षण विधियों की जानकारी के साथ अन्य शिक्षण विधाओं की जानकारी दिये जाने की आवश्यकता है ।

सारिणी

क्रमांक	शिक्षक योग्यता	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	5 वर्ष से कम	.....	.....
2	5 से 10 वर्ष तक	.....	.....
3	10 से 15 वर्ष तक	.....	.....
4	15 से 20 वर्ष तक	.....	.....
5	20 से 25 वर्ष तक	.....	.....
6	25 से 30 वर्ष तक	.....	.....
7	30 वर्ष से अधिक	.....	.....

स्रोत बी. एस. ए. मथुरा

सारिणी से स्पष्ट होता है कि जनपद में शिक्षक 5 वर्ष से कम अनुभव वाले हैं इनको शिक्षण विधाओं – 95 कक्षा शिक्षण, विद्यालय, समय सारिणी कक्षा प्रबन्ध आदि की विशेष जानकारी उलब्ध कराने की आवश्यकता होगी सारिणी के अनुसार शिक्षक वर्ष या उससे अधिक सेवा वाले हैं । इनके ज्ञान को नवीन विषय वस्तु के अनुसार अद्यतन करने की आवश्यकता होगी । सारिणी के अनुसार शिक्षक वर्ष या उससे अधिक सेवा वाले हैं । इनके ज्ञान को नवीन विषय वस्तु के अनुसार अद्यतन करने की आवश्यकता होगी ।

उच्च प्राथमिक स्तर पर भी सारिणी से स्पष्ट होता है कि शिक्षक हाईस्कूल की योग्यता वाले हैं । इन्हें भी पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को जानकारी देने की आवश्यकता होगी । सारिणी के अनुसार शिक्षण कार्य कम किया गया है या कम अनुभव वाले हैं कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया तथा प्रभावी शिक्षण विधाओं से परिचित कराने की आवश्यकता होगी ।

प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :–

पर्यवेक्षण के माध्यम से शिक्षकों तथा बच्चों से जानने पर पता चला है कि शिक्षकों में जागरूकता बढ़ी है सहायक सामग्री का प्रयोग पहले से अधिक हो रहा है । नवीन गतिविधियों से शिक्षा के आनन्ददायी होने से बच्चे कक्षा में सक्रिय नजर आते हैं ।

प्राथमिक विद्यालयों में एक ही स्थान पर दो या अधिक कक्षायें लगायी जाती हैं जिससे गतिविधि आधारित शिक्षण में दूसरी कक्षाओं के शिक्षण में बाधा उत्पन्न होती है । एकल अध्यापकीय विद्यालयों में सभी कक्षाओं के संचालन में भी कठिनाई होती है । बी. आर. सी. भवन के पूर्ण न होने के कारण ब्लाक स्तर पर भी प्रशिक्षण वैकल्पिक स्थानों पर आयोजित किये गये जिसमें पर्याप्त स्थान न मिल पाने के कारण कठिनाई अनुभव हुई ।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण :–

डी. पी. ई. पी. के अन्तर्गत जनपद मथुरा में बी. आर. सी. एवं एन. पी. आर. सी. की स्थापना की गई है । प्रत्येक विकास खण्ड में एक बी. आर. सी. समन्वयक तथा दो सह बी.आर.सी समन्वयक और एन. पी. आर. सी. स्तर पर एक न्याय पंचायत समन्वयक का चयन एवं पदस्थापन किया गया है । इन्हें प्रशिक्षित भी किया गया –

– डायट स्तर पर बी. आर. सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत सात दिवसीय प्रशिक्षण समर्थन माड्यूल पर किया गया ।

– आकदमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।

समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण विद्यालयों में N.P.R.C. तथा B.R.C. का उनके भौतिक आकदमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण N.P.R.C. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान शिक्षण सामग्री के प्रयोग आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम संचालित किया गया ।

समन्वयकों की भूमिका :–

B.R.C. द्वारा वर्तमान में मुख्य रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं –

– प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप ।

– विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करना ।

– वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन ।

– शिशु शिक्षा केन्द्रो तथा वैकल्पिक केन्द्रों का अनुश्रवण एवं E.M.I.S. आकड़ों का संकलन ।

– डायट निर्देशानुसार कार्यशालाओं का आयोजन मानचित्रण वातावरण सृजन आदि ।

N.P.R.C. की समन्वयकों की भूमिका :–

संकुल स्तर पर भौतिक आकदमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रिया कलापों का केन्द्र है N.P.R.C. हैं । इनके मुख्य कार्य निम्नवत है –

- शिक्षकों का मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन ।
- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्ष केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
- स्कूल चलो अभियान, नामांकन N.P.R.C. आकड़ो का संकलन तथा चैकिंग ।
- बी. ई. सी. के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास ।
- बी आर. सी. को सहयोग प्रदान करना, तथा कार्यो तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी. आर. सी. तथा डायट को भेजना ।

प्रोत्साहन योजना है :–

प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित योजना चलाई जा रही हैं –

- अनु0 जाति तथा पिछड़ी जाति के लिए छात्रवृत्रि की व्यवस्था ।
- अनु0 जाति अनु० जनजाति तथा सभी वालिकाओं के लिए निःशुल्क पुस्तक वितरण ।
- सभी बच्चों को बालपोषाहार का प्रतिमाह वितरण।

D.P.E.P. के अन्तर्गत शैक्षिक सम्प्राप्ति का मूल्यांकन किय गया । इस क्रम में बेस लाइन एसेसमेन्ट स्टडी तथा मिड कर्म एसेसमेन्ट स्टडी 2000 में की गई हैं बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का तुलनात्मक चार्ट निम्न है --

विशेष बच्चों के बारे में –

समाज में कुछ बच्चे ऐसे भी होती है जो विद्यालयी शिक्षा से वंचित रह जाते है । इनमें बाल भिखारी, खेतिहर बालश्रमिक मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे विकलांग बच्चे । इनके विद्यालय में न जुड़ने से शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं होता है । इन्हें मुख्य धारा में जाने के लिए

- इनके अभिंवावकों से सम्पर्क कर साकारात्मक परिवर्तन लाना होगा ।

- बच्चों में आत्म विश्वास जमाना होगा ।
- इनकी पहचान कर इनके प्रशिक्षण के लिए डायट स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में हरने वाले बच्चों के लिए बैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था हैं। इनके लिए शिक्षण अवधि घटाकर तद्नुसार नवीन पाठ्यक्रम विकसित करना होगा । बच्चों कों जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना उपयोगी होगा ।

स्कूलों की शिक्षकों की स्थिति :–

परिवदीय विद्यालय	एक शिक्षक विद्यालय	दो शिक्षक विद्यालय	तीन शिक्षक विद्यालय	चार शिक्षक विद्यालय	चार से अधिक शिक्षक वाले ।
प्राथमिक स्तर	19	269	324	226	135

सारिणी से स्पष्ट होता है कि एकल अध्यायकीय एवं 2 अध्यायकीय विद्यालयों की संख्या अधिक होने के कारण बहु कक्षा शिक्षण पर बल देना होगा । ऐसी स्थिति में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या अधिक होने के कारण बहु कक्षा शिक्षण पर बल देना होगा । उच्च प्राथक विद्यालयों के अध्यापकों को नवीन पाठ्य पुस्तकों पर प्रशिक्षण देते हुए सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए शिक्षण पर बल देने की आवश्यकता है ।

स्कूल भ्रमण, शिक्षकों से विचार–विमर्श के दौरान शिक्षक अपनी शैक्षिक कठिनाइयां इस प्रकार बताते हैं –

- प्राथमिक/उ0प्रा0 विद्यालयों में अध्यापको की कमी ।
- बालगणना, अधिक चुनाव आदि विभागों के कार्यो में लगा दिये जाने से शिक्षण कार्य के लिए समय नहीं मिल पाता ।

- पाठ्गत सहायक सामग्री बनाने व उनके प्रयोग करने का पर्याप्त जानकारी नही है । जानकारी दिये जाने की आवश्यकता है ।

- विज्ञान, गणित के कुछ कठिन स्थलों के शिक्षण में कठिनाई है जिसकी जानकारी दी जानी चाहिए ।

- उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित, विज्ञान विषयों के अध्यापक नहीं है । सामान्य विषयों के अध्यापकों को गणित, विज्ञान, भाषा विषय पढ़ाने पड़ते है जिससे गुणवत्ता पर प्रभाव पढ़ता है ।

उ0 प्रा0 विद्यालयों के लिए शैक्षिक सर्पोट के लिए बोर्ड का प्राविधान नहीं है । डायट द्वारा जनपद स्तर पर तथा सकुल विद्यालयों द्वारा ब्लाकस्तर पर किसी माध्यमिक विद्यालय या केन्द्रीय विद्यालय को सकुल बनाकर दिया सकती है । वास्तव में विद्यालय में ही ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है जिससे बच्चों को सीखने के अधिक अवसर प्राप्त हो सके।

<u>एम. एल. एल. के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण :–</u>

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमकीकरण का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद मथुरा में 6–14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है इस कार्यक्रम का तथ्य निम्न प्रकार है --

1. 6–14 वर्ष वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई. जी. एस. केन्द्र वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे 5 कक्षा तक की प्रा0 शि0 पूरा करे यह लक्ष्य वर्ष 2005 तक प्राप्त किया जायेगा ।
3. सभी बच्चे 8 कक्षा तक की शिक्षा पूरा करें यह लक्ष्य 2010 तक प्राप्त किया जायेगा ।
4. गुणवत्ता परक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती है, प्रदान की जायेगी ।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं समुदायों और समूहों के मध्य अन्तर को 2007 तथा उ० प्रा० स्तर पर 2010 तक प्राप्त किया जायेगा ।
6. **तथ्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।**

सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक विजन विकसित किया जायेगा जिससे जनपद विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों का भागीदारी होगी, इस हेतु 4 दिवसीय विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा । सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों तथा डायट संकाय के सदस्यों, जिला परियोजन कार्यालय के कर्मियों, विकास खण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर विकसित कार्यशालायें आयोजित की जायेगी जिसमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा कक्षों में शिक्षण का वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा। शिक्षकों के लिए विकसित कार्यशालाओं का आयोजन एन.पी.आर.सी. स्तर पर किया जायेगा ।

कार्यक्रम शिक्षकों का दक्षता तथा उसमें शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए सरलीकृत आसान तरीके से शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे ।

<u>प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण</u>

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तकों पर आधारित 8 दिवसीय प्रशिक्षण का अयोजन किया जायेगा । जिसमें प्रा0 वि0 के सभी स0 अ0, प्र0 अ0 प्रतिभाग करेंगे । इसी के अनुक्रम में निम्न लिखित अति लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण निम्नलिखित है –

1. N.P.R.C. स्तर तथा विभिन्न कार्यशालायें 3 दिवसीय
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित सामग्री के निर्माण हेतु एक एक दिवसीय तीन कार्यशालायें N.P.R.C. स्तर पर ।
3. T.L.M. मेला एक दिवसीय N.P.R.C. स्तर पर ।

दो वर्ष के बाद मूल्यांकन किया जायेगी । प्रथम वर्ष में प्रशिक्षण मद पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु 70 की दर से अभावित व्यय 40 लाख प्रस्तावित है ।

द्वितीय वर्ष में भाषा तथा गणित का प्रशिक्षण विषय वस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण पर आधारित सात दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा तथा इस अनुक्रम में लघु दिवसीय प्रशिक्षण तथा कार्यशालाऐं आयोजित की जायेंगी ।

बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी0आर0सी0 स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजन किया जायेगा ।

N.P.R.C. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे एक वर्ष के 7 महीनों में अयोजन होंगे।

एन0 पी0 आर. ई0 स्तर पर वास्तविक शिक्षण समय को बढाने के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण एन. पी.आर.सी. स्तर पर अयोजित किया जायेगा ।

द्वितीय वर्ष में 70 रूपये प्रति प्रतिभागी के हिसाब से अनुमानित व्यय लगभग 40 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष विज्ञान तथा सामाजिक विषय और मूल्यांकन पर केन्द्रित आठ दिवसीय प्रशिक्षण अयोजित किया जायेगा उसी अनुक्रम में एन.पी.आर.सी. स्तर में निम्नलिखित अन्य प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा –

विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने के लि बी आर सी स्तर पर दो दिवसीय कार्यशाला सामाजिक विषय के शिक्षण कार्य को प्रभाशाला बनाने के लिए बी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय कार्यशाला सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के के लिए बी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

ये प्रशिक्षण पांच माह में अयोजित किये जायेंगे तथा 70 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुमानित व्यय 40 लाख रूपये आयेगा ।

चतुर्थ वर्ष में शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण एवम् उपयोग पर केन्द्रीकृत 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा तथा उसी अनुक्रम में एन0पी0आर0सी0 स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

1. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला।

2. बी0आर0सी0 स्तर पर मासिक शिक्षण हेतु आवश्यक पाठ योजनाओं तथा T.L.M. बनाने पर 3 दिवसीय कार्यशाला ।

3. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर छात्र उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला ।

5. शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन 4.70 की दर से अनुमानित व्यय लगभग 40 लाख प्रस्तावित है ।

पांचवें वर्ष में प्रा0 शिक्षकों के लिए उपर्युक्त प्रशिक्षणें के आधार पर पुनर्विचारात्मक प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक बिन्दु होगा इसके उपरान्त शिक्षकों को रूप रेखा तथा विषय वस्तु का निर्माण उपर्युक्त प्रशिक्षकों के अनुभवों के आधार पर किया जयेगा 189 प्रशिक्षणों पर उन प्रतिभागी के हिसाब से अनुमानित व्यय 40 लाख होगा ।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षको का प्रशिक्षण :

उ0 प्रा0 शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जोगा जिसमें प्रा० वि० हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों के संचालित कक्षा 6–8 के शिक्षक शिक्षिकाऐं भी प्रतिभाग करेंगे । विषय के स्तर में वृद्धि करने हेतु उ0 प्रा0 विद्यालयों के अध्यापकों का प्रशिक्षण निम्नवत आयोजित किये जायेंगे –

प्रथम वर्ष शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा । इसी अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर 3 दिवसीय कार्यशला आयोजित की जायेगी ।

प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला एन0पी.आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी इसी पर एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 1 दिवसीय मेटीरियल मेला तथा एक दिवसीय मेटीरियल मेला बी0आर0सी0 स्तर पर भी आयोजित किया जायेगा । प्रति प्रतिभागी 70 रुपये की दर से अनुमानित व्यय 8 लाख आयेगा ।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय वस्तु शिक्षण सामग्रियों के निर्माण तथा उपयोग सम्बन्धी सात दिवसीय प्रशिक्षण दिया जोयगा इसी अनुक्रम में विकास खण्डवार स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा संबंधित सहायक शिक्षक सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला अयोजित की जायेगी ।

इसके फालोअप के लिए एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय प्रशि. कार्यशाला आयोजित की जोयगी । एन0पी0आर0सी0 स्तर एक दिवसीय गणित मेला तथा बी0आर0सी0 स्तर पर भी एक दिवसीय गणित मेले का आयोजन किया जायेगा । सत्तर रुपये प्रति प्रतिभागी के आधार पर अनुमानित व्यय 8 लाख आयेगा ।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा गणित विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों का शिक्षण विधियों पर आधारित 8 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा इसी अनुक्रम में विकासखण्डवार स्तर पर 4 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जायेगा ।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एक दिवसीय प्रशि0 कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर तथा भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी. तथा एन.पी. आर.सी. स्तर पर दो दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशाला का अयोजन किया जायेगा 170 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुमानित व्यय 8 लाख आयेगा ।

चौथे वर्ष उ. प्रा. कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन केन्द्रित 8दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जोयगा । शिक्षक प्रशिक्षण के इसी क्रम में बी0आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक सामग्री विकास हेतु दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा ।

भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु दो दिवसयी कार्यशाला एन0पी0आर0सी0 स्तर पर तथा प्रशिक्षण के फालेअप के लिए एक दिवसीय कार्यशाला एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा । सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली संबंधी शिक्षकों के अभिमुखी कारण के उपरान्त टेस्ट आइटम बनाने हेतु दो दिवसीय तथा एक दिवसीय कार्यशाला क्रमशः एन0पी0आर0सी0 एवं बी0आर0सी0 स्तर पर अयोजित किया जायेगा । इस प्रकार प्रति अभ्यर्थी 70 रुपये के हिसाब से अनुमानित व्यय 8 लाख रुपये होगा ।

पांचवे वर्ष में उपर्युक्त प्रशि. के आधार पर पुर्नशिक्षणात्मक 08 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों को विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणो के अनुभव तथा फीड बैंक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया

जायेगा । पांचवे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रति दिन 70 की दर से अनुमानित रु0 08 लाख प्रस्तावित है ।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका

आकदमिक नेतृत्व प्रदान करना

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर आकदमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा । जनपद विकास खण्ड, एन0पी0आर0सी0 अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणें का नियोजन तथा क्रियान्वयन आकदमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों में समता का विकास, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण सामग्री विकास ई0एम0ई0एस0 आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि मुख्य दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर किया जायेगा ।

क्षमता विकास करना

प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने बी.आर0सी0 समन्वयकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने वैकल्पिक शिक्षा बी.ई.सी. प्रशिक्षण ई0सी0सी0 प्रशिक्षण समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वाहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम को लागू किया जायेगा। डायट द्वारा ए0बी0एस0ए0 / एस0डी0आई0 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्थापक तथा प्रधानाध्यापक बी0आर0सी0, समन्वयक, एन0ए0आर0सी0 समन्वयक के सफल प्रयास का क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जोयगा ।

आकदमिक सन्दर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीड बैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु ए0आर0जी0 का गठन किया गया है।

सारिणी 1.2

विकास खण्ड–मथुरा

क्षेत्र वार जनसंख्या

क्र0 सं0	नाम विकास खण्ड नगर क्षेत्र	1991 की जनसंख्या		2001 की जनसंख्या	
		कुल जनसंख्या	अनु0जाति की कुल जन संख्या	कुल जनसंख्या	अनु0 जाति की कुल जन संख्या

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन :– प्राथमिक तथा उ0प्र0 विद्यालय की निम्नलिखित कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी ।

- ❖ बच्चों शैक्षिक स्तर के आंकडों का विश्लेषण एवम् रेगरिंग।
- ❖ अनुपूरक अध्ययन सामग्री।
- ❖ भाषा विकास हेतु शिक्षक के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास ।
- ❖ छात्र–छात्राओं का अधिगम सम्प्राप्ति मूल्यांकन हेतु रारटे आइटम का निर्माण ।
- ❖ स्कूल पूर्ण शिक्षा की तैयारी के लिए कक्षा कविता का संकलन ।

शोध एवं मूल्याकन : भौगोलिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास, कक्षा शिक्षण निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों के व्यवहारिक कक्षाओं के परिपेक्ष्य में क्रियात्मक शोध एवं मूल्यांकन कार्य किया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा ।

एक्शन रिशर्च :

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिशर्च का कार्य किये जाने की दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजित की जायेगी । शोध हेतु प्रस्तावित विषय इस प्रकार है।

- ❖ बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सदुपयोग करने की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढाने के तरीके ।
- ❖ विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का उपाय ।
- ❖ कक्षा में धीमीगति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षक तकनीकी।
- ❖ विद्यालय के संदर्भ में समुदाय के सहयोग के अभाव के कारणों का अध्ययन ।
- ❖ बच्चों का विद्यालय में अधिकतम् उपस्थिति के कारानें का अध्ययन।
- ❖ अध्यापकों के पठन–पाठन के स्तर में वृद्धि हेतु प्रत्येक 6माह बाद मूल्यांकन

डायट द्वारा MIS से प्राप्त आंकडों का विश्लेषण किया जायेगा जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा क्रियान्वयन किया जा सके।

प्रशिक्षण/कार्यशाला :– डायट स्तर पर आयेजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत सारिणी द्वारा प्रदर्शित है ।

क्र0सं0	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट संकाय के सदस्य, ब्लाक समन्वयक, न्यायपंचायत समन्वयक, स०बे०शि०अधिकारी, बे०शि०अधिकारी	4दिन
2.	TOT का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षामित्र/आचार्य का प्रशिक्षण		
	1. आधार भूत प्रशिक्षण		30,,
	2. रिफ्रेशर कोर्स		15

4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेश को प्रशि0	अनुदेश	
	1. आधार भूत प्रशि0		15
	2. रिफ्रेशर कोर्स		10
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवे0 हेतु प्रशिक्षण	ब्लाक समन्वय, न्यायपंचायत समन्वयक	03
6.	ECCE केन्द्रों के अनुदेश का प्रशि0	ECCE केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकायें	07
7.	ब्लाक समन्वयक, न्यायपंचायत समन्वयक का प्रशि0	BRC, NPRC समन्वयक	07
8.			05
9.	VEC के प्रशि0 हेतु BRG का प्रशि0	BRG के सदस्य	03
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षको का प्रशि0	डायट स्टाफ उ0प्रा0 वि0 के चयनित अध्यापक	30
11.	आंगल तथा संस्कृत विषयों के शिक्षक हेतु प्रशि0	चुने हुए शिक्षक	05
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशि0	उर्दू शिक्षक	05
13.	सेवा पूर्व प्रशि0	नवनियुक्त स0अ0प्रा नि0	10
14.	एक्शनरिशर्च हेतु प्रशि0	डायट स्टाफ चुने हुए शिक्षक विकास खण्ड के चयनित समन्वयक एवं शिक्षक	03
15.	सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशि0	BRCNPRC डायट स्टाफ चुने हुए प्रशि0	05
16.	अकादशिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण	डायट स्टाफ BRCNPRC समन्वयक	

	हेतु प्रशि0		03
17.	आकदमिक संदर्भ समूह की क्षमता के विकास के संदर्भ में कार्यशाला	ARG के सदस्य	03
18.	बहु स्तरीय एवं बहुकक्षा शिक्षक प्रशिक्षण लर्निंग सामग्री	चुने हुए शिक्षक	05
19	क्षमता संवर्धन विकास का कार्यशाला	डायट स्टाफ	03

आकदमिक सुपर विजन में डायट **BRC, NPRC** की भूमिका

उन आकादमिक सुपर विजन में डायट BRC, NPRC की सम्पादित कार्यों तथा रिपोर्ट का तथा समीक्षा करके प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा । डायट अनुश्रवण के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एलेन्डा तैयार करेंगे । डायट जनपद स्तर पर आकदमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में समन्वयक कार्य करेंगे । आकदमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उ0 प्रा0, हाई स्कूल, इन्टर कालेज में 6–8 कक्षाओं को पढाने वाले शिक्षकों वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को भी लाया जायेगा। विद्यालयों NPRC 4 BRC का उनके कार्य प्रतिपादन के आधार पर भेजाकरना किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर प्रदर्शन न करने वाले विद्यालय संसाधन केन्द्रो को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जाना ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण –

डायट बाद मथुरा में डायट भवन एवं छात्रावास वर्ष 1990–91 में निर्मित हुआ । डायट भवन की रंगाई पुताइ खिड़कियों की मरम्मत विद्युत वायरिंग तथा जलापूर्ति के लिए मरम्मत की आवश्यकता है मुख्य भवन हेतु लगा जेट पंप खराब हो गया है । उसे बदला जाना चाहिए । छात्रावास की रंगाई पुताई छत तथा खिड़कियों में मरम्मत के साथ जलापूर्ति बहाल करने हेतु जेट पंप की आवश्यकता है ।

डायट में कक्ष शिक्षण हेतु 200 मेज एवं 200 कुर्सीयों का आवश्यकता है । छात्रावास के लिए 100 तख्ते, 100 गद्दा, 100 तकिये, 100 कम्बल, 100 बेडसीट की आवश्यकता है । इसके साथ ही कार्यशालाओं के आयोजन एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए दरी की आवश्यकताओं है ।

संस्थान के लिए 5 झट. का एक जनरेटर तथाएक फोटो कापियर की आवश्यकता है ।

संथान में पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की आवश्यकता है ।

सारिणी

मद	आवश्यकता	अनुमानित लागत
1. नवीन भवन	कम्प्यूटर लैब	600000
2. डायट भवन की विद्युत वायरिंग खिडकियों की मरम्मत, जलापूर्ति, रंगाई पुताई, छात्रावास की रंगाई पुताई, जलापूर्ति, खिड़कियों की मरम्मत		
3. उपकरण	जनरेटर 1, 5 Kw. , फोटो कापियर –2	200000
	प्राचार्य कक्ष हेतु एक बड़ी मेज, 6 कुर्सी, 2संदूक	100000
	2 आलमारी, 200 कुर्सी, 200मेज, छात्रावास हेतु 100 तख्ते, 100 गद्दे, 100 चादर, 100 कम्बल, 100 तकिया, 6 बड़ी दरी ।	
5. पुस्तकालय	फर्नीचर 1 आलमारी,–10, 50 कुर्सी, 50 मेज	25000

सारिणी

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता का संग्वध

मद	सृजित	कार्यरत	रिक्त
प्राचार्य	01	01	0
उप प्राचार्य	01	01	0
वरिष्ठ प्रवक्ता	06	01	05
प्रवक्ता	17	07	10
कार्यानुभव शिक्षक	01	01	0
तकनीकी सहायक	01	01	0
सांख्यिकीकार	01	01	0
प्रतिनियुक्ति तैनात			
शिक्षकों की संख्या	04	0	04

संकाय के सदस्यों के कौशल विकास संबंधी विवरण –

प्रशिक्षणों के आयोजन तथा दैनिक कार्यों के सम्पादन में सुविधा हेतु संकाय के सदस्यों को कुछ क्षेत्र में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है ।

सामेकित शिक्षा हेतु संकाय के सदस्यों का प्रशिक्षण

कम्प्यूटर प्रशिक्षण ।

लाइब्रेरी संचालन व्यवस्था हेतु एक सदस्य को प्रशिक्षण

शैक्षिक तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने हेतु प्रशिक्षण

मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के प्रयोग हेतु प्रशिक्षक

क्रियात्मक शोध सम्बंधी प्रशिक्षण

उत्कृस्ठ कार्य हेतु पुरूस्कार/प्रोत्साहन व्यवस्था –

सर्वशिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्य योजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर कार्य को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से जनपद तथा अन्य स्तर पर की जायेगी ।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ठ कार्य निस्पादन वाले 2 B.R.C. को रू0 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड से एक NPRC को रूपये 7000 की दर से पुरूस्कार/पदान किया जायेगा । इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड के अच्छे कार्य के लिए चयनित 2 VEC का क्रमशः 15000 तथा 10000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा । जिसका उपयोग विद्यालय के विकास में होगा । नवाचार के लिए प्रेरित करने तथा उत्कृस्ठ मानदण्ड स्थापित करने वाले प्रत्येक विकास खण्ड के अध्यापक को 5000 का पुरस्कार दिया जायेगा । पुरस्कार की धनराशि का उपयोग BRC, NPRC समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा ।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक :–

शैक्षिक सत्र में 2 बार छमाही परीक्षा के बाद (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेगे । इस अवसर पर छात्र–छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेगें तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगा ।

डायट का सुदृढीकरण :

आवर्तक (प्रतिवर्ष)	लाख
1. क्रियात्मक शोध/अध्ययन	2.00
2. कार्यशालाओं/सेमिनार	2.00
3. प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00

4. कॉन्टिजेन्सी	1.00
5. वाहन रखरखव /POL	10.50
	10.00

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट के लिए कम्प्यूटर का प्राविधान किया गया है । ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए सामग्री विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होगे । सूचना तकनीकी पर आधारित शिक्षक प्रशिक्षक सामग्री के विकास में भी कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होगे ।

अध्याय 10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान परियोजना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल 6–11 आयु वर्ग के सभी बालक, बालिकाओं अभियान के साथ 11–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की गुणवत्तापरक शिक्षा 2010 तक दी जायेगी, इस अवधि से 6–14 आयु वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को गणुवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी, इस कार्यक्रम का प्रबन्धन उ0प्र. सभी के लिये परियोजना परिषद (Education for all) द्वारा किया जायेगा ।

परियोजना का प्रबन्धन समूह–भावना पर आधारित होगा, परन्तु इसमें व्यक्तिगत पहल के भी अवसर उपलब्ध होगे । प्रबन्धन प्रजातांत्रिक होगा, और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहयोग सुनिश्चित कर सकें ।

प्रबन्धन तंत्र :–

एस0 एस0 ए0 के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्ध प्रणाली की स्थापना किया जाना है । इसकी स्थापना के उपरान्त अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करना है ताकि शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकें । प्रशासनिक कार्यो के निष्पादन में पर्याप्त सहभागिता रखी गयी है । प्रत्येक व्यक्ति की जबाबदेही सुनिश्चित की गयी है तथा नवाचारपरक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद में एक प्रबन्ध तन्त्र तैयार किया है, जिसका विवरण निम्न का है ।

निर्णयकर्त्ता समितियां/सर्वेक्षण अभियान की प्रबंध पंक्ति/आकस्मिक संस्थायें

साधारणसभा और कार्यकारिणी	*एस. सी. ई. आर. टी.*	
समिति यू0 पी0 ई. एफ	राज्य परियोजना कार्यालय	एस. आई. ई. टी.
जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट, एन.जी.ओ आदि
क्षेत्र विकास समिति	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	ब्लाक संसाधन केन्द्र
ग्राम शिक्षा समिति	विद्यालय प्रधानाध्यापक अध्यापक	स्कूल संसाधन केन्द्र

संगठनात्क ढांचा

1. ग्राम शिक्षा समिति – ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी संगत कृत्यों के सम्पादन हेतु ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

- ग्राम पंचायत का प्रधान — अध्यक्ष
- प्रधानाध्यापक — सचिव
- तीन अभिभावक जिसमें एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति का सदस्य हों जो स0 बे0 शि0 अ0 द्वारा नामित – सदस्य

ग्राम शिक्षा समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

– ग्राम पंचायत के बेसिक स्कूलों का प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रबन्धन करना ।

– विद्यालय के विकास । सुधार के लिये योजनायें तैयार करना ।

– ग्राम पंचायत में बेसिक शिक्षा तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की अभिवृद्धि ।

– बेसिक स्कूल के भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना

– विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करना

- शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये कर्त्तव्यहीनता की दशा में लघु दण्ड देने की सिफारिश करना ।
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है ।
- सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबन्धन एवं नियोजन सम्बन्धी सभी कार्यो का सम्पादन किया जायेगा । इसके अतिरिक्त शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों आचार्यो, आंगनबाड़ी केन्द्रों के कार्य कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का वेतन । मानदेय के भुगतान की मांग इस समिति द्वारा की जायेगी ।

2. <u>क्षेत्र पंचायत शिक्षा समिति –</u>

प्रत्येक विकास खण्ड में एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठन है, जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण, अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी है । ब्लाक स्तर पर गठित समिति में निम्नांकित पदाधिकारी सम्मिलित है ।

खण्ड विकास अधिकारी	–	अध्यक्ष
सहायक बे0 शिक्षा अधिकारी	–	सचिव
प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य
वि. ख. का एक ग्राम प्रधान	–	सदस्य
वि. ख. का वरिष्ठ प्रधानाध्यापक	–	सदस्य

<u>क्षेत्र शिक्षा समिति के अधिकारी एवं कर्त्तव्य :-</u>

क्षेत्र शिक्षा समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यो में समन्वय स्थापित करना, जिला परियोजना समिति के निर्णयो का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना । यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क कड़ी का काम करेगी । इस समिति की प्रत्येक माह में बैठक अनिवार्य होगी ।

जनपद स्तरीय समिति :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन के लिये, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है । यह समिति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन का कार्य करेगी ।

जनपदीय समिति का गठन निम्नवत है :–

1.	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	–	उपाध्यक्ष
3.	जिला बे. शि. अधिकारी	–	सचिव
4.	प्राचार्य डायट	–	सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	–	सदस्य
6.	वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	–	सदस्य
7.	अधिशासी अभियन्ता पी. डब्लू. डी.	–	सदस्य
8.	अधिशासी अभियन्ता आर. ई. एस.	–	सदस्य
9.	जिला श्रम अधिकारी	–	सदस्य
10.	जिला समाज कल्याण अधि०	–	सदस्य
11.	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षा विद	–	सदस्य
12.	राष्ट्रीय/राज्य पुरष्कार प्राप्त (दो शिक्षक)	–	सदस्य

13.	दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, वर्णमाला, क्रम से एक वर्ष के लिये	–	सदस्य
14.	स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि जिलाधिकारी द्वारा नामित	–	सदस्य

<u>जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–</u>

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति है । जनपद स्तर पर इसे आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है रणनीतियों में परिवर्तन को लेकर निर्माण कार्य, शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करने, जन सहभागिता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में इसके निर्णय प्रभावी होगें । प्रवेश, धारण, गुणवत्ता सम्वर्द्धन, निर्माण कार्य के तकनीकी कार्य उसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे ।

<u>जिला बेसिक शिक्षा समिति :–</u>

उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये, जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है । समिति का वर्तमान स्वरूप निम्नवत् है ।

1.	अध्यक्ष, जिला पंचायत	–	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधि0	–	सचिव
3.	जिले के समस्त सांसद	–	सदस्य
4.	जिले के समस्त विधायक	–	सदस्य
5.	दो जिला पंचायत सदस्य	–	सदस्य
6.	दो ब्लाक प्रमुख (अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा नामित)	–	सदस्य

प्रशासनिक तंत्र :– जिला परियोजना कार्यालय

जिले स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन कराने का दायित्व होगा । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी जिसमें निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होगें ।

1.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परि0 अधि.
2.	उप बेसिक शिक्षा अधि.	1
	ई. जी एस/ए0 आई. ई.	1
3.	समन्वयक	4
4.	सहायक लेखाधिकारी	1
5.	सलाहकार	2
6.	ई. एम. आई. एस. अधि0	1
7.	कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यकी सहायक	3
8.	लिपिक	1
9.	परिचारक	1
10.	अनुचर/चौकीदार	1

शैक्षिक सूचना प्रबन्ध प्रणाली :–

किसी कार्यक्रम के संचालन एवं प्रभावी अनुश्रवण हेतु एक सुदृढ़ एवं क्रियाशील सूचना प्रबन्ध अभियान के अन्तर्गत जिले स्तर पर एम. आई. एस. सैल स्थापित करने का प्रावधान है । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर के लिये सॉफ्टवेयर, डाटा बेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत करने की व्यवस्था की जायेगी ।

ई0 एम. आई. एस. से प्राप्त महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे सकल नामांकन अनुपात आदि का प्रतिवर्ष वार्षिक योजना के निर्माण में कार्यक्रम निर्धारण हेतु उपयोग किया जायेगा । ई. एम. आई. एस. से प्राप्त आकड़े तथा माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आकड़े दोनों का समग्र रूप से विश्लेषण के उपरान्त कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे ।

ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी के कार्य एवं उत्तरदायित्व :–

- सांख्यकी प्रपत्रों का मुद्रण एवं विवरण ।
- एन. पी. आर. सी. समन्वयक का प्रशि0 आयोजित करना ।
- भरे हुये प्रपत्रों का एकत्रीकरण करना ।
- सैम्पिल चैकिंग (भरे हुये प्रपत्रों का)
- रिपोर्ट तैयार कर एस. पी. ओ. भेजना ।
- जनपद की एम. आई. एस. की रिपोर्ट तैयार करना तथा सम्बन्धित विभागों को भेजना ।

ब्लाक स्तर पर प्रशासनिक संगठन :–

सहायक बेसिक शिक्षा अधि0 परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होगें । उनके प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होगें ।

- अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ।
- विद्यालयों का निर्माण का पर्यवेक्षण ।
- ब्लाक परियोजना समिति की बैठक, एवं निर्णयों का पालन करना ।
- सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का विवरण सुनिश्चित करना ।
- मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था ।
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तक समय से वितरित करना ।
- निरीक्षण एवं गुणवत्ता में सुधार लाना । (विद्यालयों का) ।

- मानक के अनुरूप छात्र । अध्यापक अनुपात बनाये रखना ।
- अध्यापकों का वेतन बिल प्रस्तुत करना समय से भुगतान सुनिश्चित करना ।
- अध्यापकों के प्रशि0 की व्यवस्था ।
- मूल्यांकन की व्यवस्था ।

गुणवत्ता मूलक संगठन :–

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान –

गुणवत्ता में सुधार के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशि0 संस्थान स्थापित है । संस्थान की गुणवत्ता मूलक भूमिका निम्नवत् है ।

- सदर्भ व्यक्तियों को तैयार करना ।
- राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर के शिक्षा संस्थान से सम्पर्क में रहना तथा शिक्षा के अभिनव प्रवृत्तियों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोधकार्यो से अपने स्टाफ को सुसज्जित करना, जिसको विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन किया जा सके।
- जिले स्तर के शिक्षा की समस्याओं के अनुदान एवं उपचार के लिये शोध कार्य करना और आपके परिणामों का क्रियान्वयन करना ।
- जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्ता मूलक निरीक्षण करना ।
- ब्लाक संसाधन केन्द्र के समस्त शैक्षिक क्रिया – कलापों को दिशा निर्देश प्रदान करना।
- जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक नियोजन करना ।
- जिले स्तर पर आकादमिक संसाधन समूह का गठन करना ।
- न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये बेसा लाइन सर्वे करना ।
- शिक्षा के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित करना ।

ब्लाक संसाधन केन्द्र :–

हमारे मथुरा जनपद में सभी 10 ब्लाकों में वी. आर. सी. संसाधनों केन्द्र बन चुके हैं । सभी विकास खण्ड के वी. आर. सी. केन्द्रों पर एक वी. आर. सी. समन्वयक तथा दो वी. आर सी. सह समन्वयक कार्यरत है ।

ब्लाक संसाधन केन्द्र के कर्तव्य एवं उत्तर दायित्व :–

– अध्यापकों को सेवारत प्रशि0 प्रदान करना ।

– ब्लाक स्तर पर आकादमिक संसाधन समूह का गठन करना ।

– विद्यालयों का आकादमिक सुपरवीजन तथा अनुसमर्थन ।

– क्षेत्रों पंचायत के आकादमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना तथा शैक्षिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन।

– स्वयं के साथ साथ अपने अधीनस्थ न्याय पंचायतों की वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।

– न्याय पंचायत प्रभारियों की शैक्षिक समस्या का निराकरण करना ।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र :–

मथुरा जनपद में 89 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र है, प्रथम वर्ष 2000–2001 में डी. पी. ई. पी. योजना के अन्तर्गत 20 एन.पी.आर.सी. केन्द्र की स्थापना की जा चुकी द्वितीय वर्ष 2001–2002 में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र निर्माणाधीन शेष 29 अगले वर्ष 2002–2003 में डी.पी.ई.पी. द्वारा निर्मित कर लिये जायेगें । सभी 89 न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के संकुल प्रभारी नियुक्त कर प्रशिक्षित किये जा चुके है ।

न्याय पंचायत केन्द्र के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व :–

- न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडिमिक निरीक्षण करना ।
- अध्यापकों की मासिक बैठक करना तथा उनकी व्यक्तिगत कठिनाईयों पर विचार विमर्श कर उसका शैक्षिक निराकरण करना ।
- ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करना इसमें 50 प्रतिशत न्याय पंचायत समन्वयक के निर्देशन में बी. आर. जी. समिति द्वारा प्रशि० दिया जा चुका है ।
- ग्राम शिक्षा समितियों के न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार, शैक्षिक परिवेश के वातावरण का सृजन आदि की योजना तैयार करना ।
- न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन एवं बी० आर० सी० केन्द्र पर पहुँचाना ।
- शैक्षिक गुणवत्ता को गति प्रदान करने हेतु समय समय पर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना तथा स्वयं विद्यालयों में आवश्यकतानुसार आदर्श पाठ प्रस्तुत कर मार्ग निर्देशन करना ।

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में .....05..... प्राथमिक एवं .....05..... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। वर्ष 2003-04 में 20 प्राप्त हो चुके है। कुल लक्ष्य 507 का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	197	
2005-06	190	
2006-07	100	
योग	487	

Annual Plan - 2003-04

Mathura

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit Cost	2003-2004 Phy	Fin
A	**ACCESS**			
A1	New Primary School Unserved	259	24	6216
A2	New Upper Primary Schools	451	89	24920
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	66	7920
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04	2.25	24	324
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04	9	24	1296
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)	10	267	16020
A8	Teaching Learning Equipment		0	
A8.1	PS	10	24	240
A8.2	UPS	50	89	4450
A9	TLE UPS not covered OBB	50	0	0
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0
	Total		0	61386
	Interventions for out of school children		0	
A11	Alternative Schools		0	
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.845	0	0
A11.2	Honraria	1	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0
A11.4	Contingency	0.468	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.056	0	0
A12	AIE/ Primary-including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.845	0	0
A13	AIE Upper Primary	1.2	30	1080
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	1	180
A16	Bridge Course at NPRC level	0.845	89	3008.2
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.35	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0
	ACCESS Subtotal		0	65654.20
R	**RETENTION**		0	
R1	Reconstruction - PS	191	0	0
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0
R3	**Additional Classrooms**		0	
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	9	630
R4.1	Toilets Upper Primary	10	10	100
R4.2	Toilets Primary	10	0	0
R5.1	Drinking Water Primary	15	0	0
R5.2	Drinking Water Upper Primary	15	0	0
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	1069	5345
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	179	895
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0
R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0
R7.4	Salary of Fresh SM(PS)	2.25	365	4928
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0
R10.1	School Improvement grant(p.a /school) Ps	2	25	50
R10.2	School Improvement grant(p.a /school) UPs	2	326	652
R12	**Promoting Girls Education**		0	0
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0
R12.2	MCDA	75	0	0
R12.3	Meena Manch	4	0	0
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0
	Opening of ECCE centers		0	
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	
R13.2	TLM(per center)	5	0	0
R13.3	Additional Honr. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.375	0	0
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0
R13.5	Training		0	
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0
R16	Community Mobilization		0	
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day	0.45	0	0
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	0
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog	60	10	5000
R21.	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0
	RETENTION Sub Total		0	17599.5
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	
Q1	Training Programmes		0	
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	24	50.4
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	0	0
Q1.3	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	133	186.2
Q1.4	In-service Teachers Trg (/person for 20 days) UPS	1.05	743	780.15
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/person for 20 days)	0.07	0	0
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0
Q.10	ABSA/SDI Trg (/person for 5 days)	0.07	0	0
Q2	IED Provision for disable children	1.2	1744	2092.8
Q2.1	IED-Medical Assessement	2.3	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल,. महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित्त किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करन्ना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षाा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़न्ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्त्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में ......05...... प्राथमिक एवं ......05...... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। वर्ष 2003-04 मे 20 प्राप्त हो चुके है। कुल लक्ष्य 507 का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	197	
2005-06	190	
2006-07	100	
योग	487	

Q2.5	Support Services	5	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0
Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0
Q5	Teacher Learning Material		0	
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	211	105.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1867	933.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	2793	139.65
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	42735	6410.25
Q5.5	School Library	0.15	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0
Q5.9	Schools Awards	25	0	0
	QUALITY Sub Total		0	10698.45
C	CAPACITY BUILDING		0	
C1	DIET Capacity Building		0	
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0
C2	Block Resource Center		0	
C2.1	Civil Construction	800	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	10	60
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0
C2.9	TLM(per center)	5	10	50
C2.10	*Consumables*	*5.0*	*0*	*0*
C2.11	Contigency	12.5	10	125
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0
C3	School Complex (NPRC)		0	0
C3.1	Construction	70	0	0
C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	89	89
C3.4	Contingency	2.5	89	222.5
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	89	213.6
C4	District Project Office/Management		0	0
C4.1	Staffing		0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0
C4.3	Salary of AE	15	1	180
C4.4	Equipment Maintenance	30	1	30
C4.5	Furniture/Fixtures	30	1	30
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	1	10
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0
C4.8	Travelling Allowances	10	11	110
C4.9	Consumaables	40	1	40
C4.10	Telephone/FAX	30	1	30
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	1	100
C4.12	Pay to JE	10	10	1200
C4.13	Hiring of Vehicle	10	1	10
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	201	281.4
C4.16	Contingency	100	1	100
C4.17	AWP & B	10	1	10
	Total		0	2891.5
C5	MIS		0	
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	1	244
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0
C5.6	Computer Software	20	0	0
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0
C5.8	Priming & Distribution of Data Formats	40	0	0
C5.9	Maint. of Equip & Consumables	20	0	0
C5.10	Computer Consumable	25	0	0
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0
	CAPACITY Sub Total		0	3135.5
	GRAND TOTAL		0	97087.65

PROJECT COST

SARVA SHIKSHA ABHIYAN

Mathura

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	24	6216	0	0	5	1280	0	0	29	7496
A2	New Upper Primary Schools	451	22	9922	89	24920	0	0	5	1400	0	0	116	36242
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	66	7200	66	7920	66	7920	66	7920	66	7920	330	38880
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	24	324	24	594	29	717.75	29	717.75	106	2353.5
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	24	1296	24	2592	29	3132	29	3132	106	10152
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	267	16020	267	32040	282	33840	282	33840	1098	115740
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	24	240	0	0	5	50	0	0	29	290
A8.2	UPS	50	40	2000	89	4450	0	0	5	250	0	0	134	6700
A9	TLE UPS not covered OBB	50	60	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	60	3000
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**22122**	0	**61386**	0	**43346**	0	**48789.75**	0	**45809.75**		**221453.5**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	20	20	41	41	51	51	112	112
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	21	31.5	10	15	31	46.5
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	20	9.36	41	19.188	51	23.868	112	52.416
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	20	35.2	21	36.96	10	17.6	51	89.76
A11.6	Adm & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	0	0	10	211.25	30	633.75	30	633.75	70	1478.75
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	30	1080	45	1620	45	1620	45	1620	165	5940
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	0	0	0	0	0	0	1	180
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	89	3008.2	0	0	0	0	0	0	89	3008.2
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ACCESS Subtotal		0	**22122.00**	0	**65654.20**	0	**45241.81**	0	**51172.15**	0	**48170.97**	**0**	**232361.13**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	13	2483	10	1910	10	1910	33	6303
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	0	0	10	3830	10	3830	0	0	20	7660
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	238	16660	256	17920	300	21000	794	55580
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	12	840	9	630	100	7000	100	7000	143	10010	364	25480
R4.1	Toilets Upper Primary	10	0	0	10	100	20	200	10	100	0	0	40	400
R4.2	Toilets Primary	10	20	200	0	0	197	1970	190	1900	100	1000	507	5070
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	10	180	15	270	10	180	35	630
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	5	90	10	180	10	180	25	450
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1069	5345	1111	5555	1111	5555	1116	5580	4407	22035
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	179	895	179	895	224	1120	316	1580	231	1155	1129	5645
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	365	9033.75	757	18735.75	808	19998	1930	47767.5
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	391	37536	442	42432	494	47424	1327	127392
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	365	4928	392	9702	51	1262.25	53	1311.75	861	17203.5
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	25	50	1111	2222	1116	2232	1116	2232	3368	6736
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	179	358	326	652	340	680	437	874	437	874	1719	3438
R12	**Promoting Girls Education**		0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	60	270	40	180	0	0	100	450
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	10	750	10	750	0	0	20	1500
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	25	625	20	500	20	500	65	1625
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	30	42	42	58.8	42	58.8	114	159.6
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	0	0	80	400	80	400	160	800
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	0	0	80	300	80	300	160	600
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	80	120	80	120	160	240
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	0	0	80	5.6	0	0	80	5.6
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	480	1344	480	1344	0	0	960	2688
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	49	245	40	200	0	0	89	445
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	478	229.44	478	229.44	478	229.44	1434	688.32
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	5	25	5	25	5	25	15	75
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	2212	0	0	5	333.5	5	333.5	5	333.5	15	3212.5
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog	60	0	0	10	5000	10	600	5	300	5	300	30	6200
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	1335	3337.5	1427	3567.5	1427	3567.5	4189	10472.5
	RETENTION Sub Total		0	**5443**	0	**17599.5**	0	**106113.2**	0	**114144.84**	0	**118738.99**	**0**	**362039.52**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	24	50.4	150	315	106	222.6	105	220.5	385	808.5
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	120	252	0	0	151	317.1	121	254.1	105	220.5	497	1043.7
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	557	779.8	133	186.2	5646	7904.4	5752	8052.8	5857	8199.8	17945	25123
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	743	780.15	1019	1069.95	1034	1085.7	1034	1085.7	3830	4021.5
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	2170	3038	2276	3186.4	2381	3333.4	6827	9557.8
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	51	35.7	51	35.7	51	35.7	153	107.1
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	171	119.7	171	119.7	171	119.7	513	359.1
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	30	42	30	42	30	42	90	126
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	25	8.75	25	8.75	25	8.75	75	26.25
Q2	IED Provision for disable children	1.2	1193	477.2	1744	2092.8	0	0	0	0	0	0	2937	2570
Q2.1	**IED**-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Pig. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	5	12.5	5	12.5	5	12.5	15	37.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	5	10	5	10	5	10	15	30
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	211	105.5	7816	3908	8028	4014	8238	4119	24293	12146.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	667	338.5	1867	933.5	1199	599.5	1214	607	1214	607	6161	3085.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	2793	139.65	271738	13586.9	273456	13672.8	284679	14233.95	832666	41633.3
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	21069	3160.35	42735	6410.25	127961	19194.15	133804	20070.6	141401	21210.15	466970	70045.5
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	1897	284.55	1897	284.55	1897	284.55	5691	853.65
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	152	7.6	402	20.1	402	20.1	956	47.8
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1590	23850	1590	23850	1590	23850	4770	71550
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	307	2302.5	307	2302.5	307	2302.5	921	6907.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
	QUALITY Sub Total		0	**5007.85**	0	**10698.45**	0	**76656.3**	0	**77901.8**	0	**79965.8**		**250230.2**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	10	1440	10	1440	10	1440	30	4320
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	20	1320	20	1320	20	1320	60	3960
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	10	100	10	100	10	100	30	300
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	10	60	10	60	10	60	10	60	40	240
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	10	20	10	20	10	20	30	60
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	10	100	10	100	10	100	30	300
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	10	50	10	50	10	50	10	50	40	200
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.11	Contigency	12.5	0	0	10	125	10	125	10	125	10	125	40	500
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	20	72	20	72	20	72	60	216
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	10	50	10	50	10	50	30	150
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	89	12816	89	12816	178	25632
C3.2	Equipment'Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	89	445	0	0	89	445
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	89	89	89	89	89	89	89	89	356	356
C3.4	Contingency	2.5	0	0	89	222.5	89	222.5	89	222.5	89	222.5	356	890
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	89	213.6	89	213.6	89	213.6	89	213.6	356	854.4
C4	District Project Office/Management		0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	0	0	11	1980	11	1980	22	3960
C4.3	Salary of AE	15	0	0	1	180	0	0	0	0	0	0	1	180
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	1	30	1	30	1	30	0	0	3	90
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	10	180	12	216	12	216	34	612
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	11	110	3	30	8	80	8	80	30	300
C4.9	Consumaables	40	0	0	1	40	1	40	1	40	1	40	4	160
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	1	100	0	0	1	100	1	100	3	300
C4.12	Pay to JE	10	0	0	10	1200	10	1200	0	0	0	0	20	2400
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	1111	1555.4	1111	1555.4	1111	1555.4	3333	4666.2
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	219	306.6	201	281.4	316	442.4	316	442.4	316	442.4	1368	1915.2
C4.16	Contingency	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.17	AWP & B	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
	Total		0	**996.6**	0	**2891.5**	0	**7529.9**	0	**21756.9**	0	**21281.9**		**54456.8**
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	244	0	0	0	0	0	0	1	244
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	2	200
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	0	0	2	40
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	0	0	2	40
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**996.6**	0	**3135.5**	0	**8003.9**	0	**22250.9**	0	**21665.9**	**0**	**56052.8**
	GRAND TOTAL		0	33569.5	0	97087.65	0	236015.20	0	**265469.69**	0	**268541.66**	**0**	**900683.65**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention										Mathura
		2002-03		**2003-04**		**20004-05**		**2005-06**		**Total**
Civil		10962.0		31866.0		32413.0		35790.0		145311.0
Management		306.6		2131.4		4141.8		5127.8		16939.4
Programme		22300.9		63090.3		199460.4		224551.9		738433.2
Total		**33569.5**		**97087.7**		**236015.2**		**265469.7**		**900683.6**
Percentage - Civil		**32.7**		**32.8**		**13.7**		**13.5**		**16.1**
Percentage - Management		**0.9**		**2.2**		**1.8**		**1.9**		**1.9**
Percentage - Programme		**66.4**		**65.0**		**84.5**		**84.6**		**82.0**
Percentage - Total		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**